सोमवार,
२६ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

किराया इकट्ठा करना

*२०२२. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में सरकारी निवास भवनों पर १ नवम्बर १९५२ से ३१ अक्तूबर, १९५३ तक कितना किराया लगाया गया और कितना इकट्ठा किया गया ; तथा

(ख) इन्हीं भवनों से क्षेत्र के आधार पर किराये के अभिनवीकरण की नई व्यवस्था लागू किये जाने से पूर्व के बारह मासों में कितना किराया इकट्ठा किया गया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अभिनवीकरण की व्यवस्था केवल नई दिल्ली के सरकारी निवास स्थानों पर ही लागू की गई थी अधिगृहीत या किराये के मकानों पर नहीं । इस प्रकार के निवास स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों से ३१ अक्तूबर, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में वसूल किये जाने योग्य कुल किराया लगभग ३१ लाख रुपये था और ३१ अक्तूबर, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये लगभग ३५ लाख ९० हजार रुपये था ।

सरदार हुक्म सिंह : किराये में यह चार लाख रुपये की वृद्धि किस प्रकार के सरकारी मकानों से हुई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उच्च स्तर के ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इनमें संसत्सदस्यों के बंगले भी सम्मिलित हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य यह जानते हैं कि उन का किराया नहीं बढ़ा है । अतः उन से सम्भवतः यह वृद्धि नहीं हुई है ।

सरदार हुक्म सिंह : सम्भव है मैं उच्च स्तर के मकान में न रहता हूं और इसी कारण मैं यह जानना चाहता था कि यह वृद्धि किस प्रकार के भवनों से हुई है । वे उच्च स्तर के मकान कौन से हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जिस प्रकार के मकान में रहते हैं वही उच्च स्तर का मकान है । खैर किसी एक भी संसत्सदस्य द्वारा दिये जाने वाले किराये में वृद्धि नहीं हुई है, और इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

ब्रिटिश उद्योग मेला

*२०२३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष होने वाले ब्रिटिश उद्योग मेले में भाग लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार से और किस हद तक भाग लेगी ; तथा

(ग) इसमें अनुमानत: कितना व्यय होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रदर्शन की वस्तुओं में यह चीजें सम्मिलित होंगी :—

(१) तैयार तथा न तैयार निर्यात योग्य वस्तुयें ;

(२) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये उत्पादन स्तर तथा निर्धारित लक्ष्य और औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में सामान्य बुद्धि विषयक सामग्री ; तथा

(३) सांस्कृतिक तथा प्रतिष्ठात्मक महत्व की वस्तुयें ।

(ग) २,७५,००० रुपये ।

श्री एस० एन० दास : इस मेले में सफलता पूर्वक भाग लेने का कार्य किस संगठन को सौंपा गया है ?

श्री करमरकर : यह संगठन मुख्यतया वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इस प्रदर्शनी अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रदर्शनियों का कार्यभार सम्भालने के लिये मंत्रालय में अलग से कोई विभाग खोला गया है ?

श्री करमरकर : जी हां, एक प्रदर्शनी शाखा है, जिसके अध्यक्ष प्रदर्शनी निदेशक हैं । इस विषय में हमारे विदेशी दूतावास भी हमारे साथ सहयोग करते हैं और जब कभी आवश्यक होता है, तो मंत्रालय का कोई पदाधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से अधीक्षण के लिये वहां चला जाता है ।

श्री एस० एन० दास : निजी उद्योगों तथा इसमें रुचि रखने वाले अन्य लोगों को इन प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिये किस प्रकार आमंत्रित किया जाता है ?

श्री करमरकर : हम वाणिज्य तथा उद्योग सम्बन्धी संगठनों के पास परिपत्र भेज देते हैं और हमारे पास काफी लोगों के पतों की सूची है जिसमें व्यक्तिगत निर्माता तथा इसी प्रकार के अन्य लोग भी सम्मिलित हैं । हम उन्हें काफी समय पहले ही अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिये परिपत्र भेज देते हैं । इस प्रदर्शनी में लगभग पचहत्तर प्रदर्शनकर्त्ता अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे ।

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्

*२०२४. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह निकाय कैसे बनाया जायेगा ; तथा

(ग) क्या सरकार का विचार वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिये विशेषज्ञ ज्ञान युक्त एक गैर सरकारी निकाय बनाने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह विषय विचाराधीन है ।

(ग) एक स्वायत्त, गैर सरकारी संगठन बनाने का विचार है जो सूती वस्त्र निधि समिति की देख रेख में कार्य करे ।

श्री के० पी० सिन्हा : यह कब तक स्थापित होगी और क्या हम १९५४ में अपने वस्त्र निर्यात के एक अरब गज के लक्ष्य को प्राप्त करने में इस परिषद् से कोई सहायता लेंगे ?

श्री करमरकर : यह समिति तो पहले ही बन चुकी है और इस समय इस कार्य की देख भाल करने के लिये उन्नीस सदस्यों की एक तदर्थ समिति बनाई गई है ।

श्री के० पी० सिन्हा : १९५३ में कुल कितना वस्त्र निर्यात हुआ ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे स्मरण है, साठ करोड़ गज से कुछ अधिक ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कुछ अन्य उद्योगों के लिये भी निर्यात संवर्धन परिषदें बनाने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो किन किन उद्योगों के लिये ?

श्री करमरकर : जी हां, कुछ अन्य उद्योगों के लिये भी निर्यात संवर्धन परिषदें बनाने का विचार किया जा रहा है, किन्तु मैं तुरन्त ही ऐसे उद्योगों की सूची नहीं दे सकता हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस परिषद् की सदस्यता केवल वस्त्र हितों तक ही सीमित रहेगी अथवा क्या अन्य हितों तथा तटस्थ पक्षों को भी, जो तटस्थ हैं, इस निकाय में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा?

श्री करमरकर : इस में केवल सक्रिय पक्ष ही सम्मिलित होंगे ; तटस्थ पक्ष नहीं और प्रधानतया वस्त्र हितों के प्रतिनिधि होंगे ।

श्री बर्मन : निर्यात संवर्धन समिति ने १९५० में वस्त्र निर्यात के विषय में दो त्रुटियां पकड़ी थीं । पहली तो कपड़े की गांठें बांधने (पैकिंग) की असन्तोष-जनक अवस्था थी और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि भारतीय प्रमाप संस्था को पैकिंग के सम्बन्ध में मानदण्ड निश्चित करना चाहिये । दूसरी त्रुटि यह थी कि जिस प्रकार के कपड़े का सौदा किया जाता था उस से घटिया प्रकार का कपड़ा भेजा गया था । इस त्रुटि को दूर करने के लिये उन्होंने संविदा के प्रमाणित फ़ार्म में एक मध्यस्थ-निर्णय सम्बन्धी खण्ड रखे जाने का सुझाव दिया था । क्या ये त्रुटियां दूर कर दी गई हैं और क्या बाहर के आयातकों से ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

श्री करमरकर : जो मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी खंड रखे जाने का सुझाव दिया गया है उस के सम्बन्ध में मैं तुरन्त कुछ नहीं कह सकता हूं । परन्तु मुझे सदन को यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि मेरे माननीय मित्र ने जिन दो प्रकार की शिकायतों का उल्लेख किया है उन दोनों के सम्बन्ध में अर्थात पैकिंग और उत्पादन दोनों में ही काफी सुधार हुआ है ।

खादी

*२०२५. **श्री बी० के० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में कितनी तथा कितने मूल्य की खादी तैयार की गई ;

(ख) किन किन खादी उत्पादन केन्द्रों ने १९५२ की तुलना में उत्पादन में १० प्रतिशत या इससे अधिक की वृद्धि दिखाई है ; तथा

(ग) अर्थ सहायता योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों को कितनी अर्थ सहायता दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १,९४,००,७९८ रुपये का १,०६,५७,४६८ वर्ग गज ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस-१२९/५४]**

(ग) १,८२,७०५ रुपये १२ आने ।

श्री बी० के० दास : क्या इन संस्थाओं में से किसी संस्था ने १० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखाई है ?

श्री करमरकर: जी हां । मोटे तौर पर देखने से ज्ञात होता है लगभग १०० संस्थाओं में १० प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दिखाई है ।

श्री बी० के० दास: अधिक से अधिक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं किस संस्था में हुई है ?

श्री करमरकर : अधिकतम प्रतिशतता के आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास: क्या आर्थिक सहायता दिये जाने के उपरांत खादी की बिक्री में जो वृद्धि हुई है उसका कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री करमरकर: जी हां । १९५२ की तुलना में सन् १९५३ में निश्चय सुधार हुआ है ।

श्री बी० के० दास : क्या यह आर्थिक सहायता अर्द्धवार्षिक उत्पादन, जिसके आंकड़े यहां दिये गयें हैं, के आधार पर दी गई है, और क्या आगामी अर्द्धवार्षिक उत्पादन पर बाद को विचार किया जायेगा ?

श्री करमरकर : जी हां ; आर्थिक सहायता की इस नीति को हम जारी रखना चाहते हैं, वर्ष १९५४-५५ में इस कार्य के लिये ३० लाख रुपये की मांग की गई है ।

श्री दाभी : क्या सरकार का यह विचार है कि कुछ प्रकार के कपड़े केवल खादी द्वारा ही बनाये जायें ?

श्री करमरकर : नहीं श्रीमान् ।

श्री भागवत झा आजाद : खादी की बिक्री बढ़ाने के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त और किन किन उपायों की सिफारिश सरकार से की है ?

श्री करमरकर : मैं चाहता हूं कि इसके बारे में एक प्रश्न अलग से किया जाये ।

कोयला

***२०२६. पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९५३-५४ में कोयले का उत्पादन विशेषत: बंगाल तथा बिहार में काफी कम हो गया है ; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि कुछ खदानों के लिये नियत किये गये वैगनों में कोयले का लदान करने के लिये उन खदानों पर काफी कोयला नहीं मिलता है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) बंगाल/बिहार की कोयला खदानों के उत्पादन में कुछ कमी हो गई थी ।

(ख) सामान्य स्थिति तो यह है कि बंगाल/बिहार की कोयला खदानों में १९५३-५४ में पिछले वर्ष की अपेक्षा स्टाक उच्च स्तर पर था । इस समय यह सूचना तो उपलब्ध नहीं है कि किस खदान विशेष में आवंटित वैगनों का लदान करने के लिये कोयले का स्टाक काफी नहीं था ।

पंडित डी० एन० तिवारी: कितने कोयले की कमी थी ?

श्री आर० जी० दुबे: किस कोयला खदान में ?

पंडित डी० एन० तिवारी: कोयले के उत्पादन में कितनी कमी हुई थी ?

श्री आर० जी० दुबे: उत्पादन आंकड़े इस प्रकार थे :

	टन
१९५२-५३	२,९२,३५,०७०
१९५३-५४	२,८६,४३,८२८

अतः इस प्रकार १·२ प्रतिशत की कमी थी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या उत्पादन बढ़ाने तथा उपयोग में लाने के लिये कोयला को बाहर भेजने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : उत्पादन में वृद्धि करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्यों कि उत्पादन के बारे में तो दो या तीन बातों का विचार रखना होगा । सर्वप्रथम परिवहन सुविधाओं की प्राप्ति, दूसरे मूल्य निश्चित करने- सम्बन्धी आदेश जो कि लागू किया गया था, तीसरे निर्यात की मांग । अतः उत्पादन बढ़ाने का प्रश्न नहीं था अपितु स्थानीय स्थितियों के अनुसार उसे ठीक करने का था ।

श्री बंसल : परिवहन व्यवस्था की कमी अर्थात् वैगनों की प्राप्ति में कमी, कोयले के उत्पादन की कमी के लिये कहां तक ज़िम्मेदार है ?

श्री आर० जी० दुबे : इसका ठीक ठीक उत्तर देना तो बहुत कठिन है । किन्तु मोटे तौर पर मैं इसका उत्तर दे सकता हूं कि देश के उत्तरी भाग में, जैसे पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मुगलसराय होकर कोयला ले जाने में काफी कठिनाई है । किन्तु दक्षिणी भाग में तथा कुछ अवसरों पर जब परिवहन सम्बन्धी मांग में कुछ ढील हो जाती है तो काफी मात्रा में वैगन मिल जाते हैं ।

श्री पी० सी० बोस : १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कोयले के लदान के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्री आर० जी० दुबे: १९५२-५३ में २,६७,९६,७५७ टन का तथा १९५३-५४ में, २,५३,२४,७०३ टन का लदान हुआ था ।

हिन्दुस्तान केबिल फैक्टरी

*२०२७. **श्री विभूति मिश्र :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान केबिल फैक्टरी के सभी प्रविधिक पदाधिकारी भारतीय हैं; तथा

(ख) यदि नहीं, तो कितने समय में इन ग़ैर भारतीयों के स्थान पर भारतीयों को रखा जायगा ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). जी हां । इंगलैंड के मैसर्स स्टेन्डर्ड टेलीफोन्स एन्ड केबिल्स लिमिटेड से जो प्रविधिक सहायता समझौता हुआ है उसके अनुसार उन्हें कारखाने में मशीनें तथा संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये परामर्शकों के रूप में नियुक्त किया गया है और काम करने वाले उनके कुछ इंजीनियर ग़ैरभारतीय हैं ।

श्री विभूति मिश्र : यह व्यवस्था कब तक चलेगी कि दूसरे देश के लोगों की सलाह लेकर हम अपना काम चलाते रहें और यह कब तक खत्म हो जायगी ?

श्री आर० जी० दुबे: अभी हाल में चार विदेशी आफ़िसर्स एडवाइज़र्स की हैसियत से काम कर रहे हैं और एक साल के बाद जब प्लान कम्पलीट हो जायेगा

और फैक्टरी का प्रोडक्शन शुरू होगा तो एक साल तक दो विदेशी अफसरों की ज़रूरत होगी ।

श्री साधन गुप्त: क्या इन विदेशी विशेषज्ञों को हटाकर अपने विशेषज्ञों को रखने तथा ऐसे विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की कोई योजना है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां । पिछली बार मैंने बताया था कि फ़ैक्टरी के वर्क-शाप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये छः भारतीयों को इंगलैंड भेजा गया था । उनको वहां प्रशिक्षित किया गया, और वे यहां आ गये हैं, और विभिन्न विभागों एवं स्थानों पर उन्होंने अपने अपने पद संभाल लिये हैं और वे कारखाने के निर्माण कार्य म वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं ।

श्री साधन गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या इन वर्तमान विदेशी विशेषज्ञों को हटाकर उनके स्थान पर भारतीयों को रखने का कोई विचार था और क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना थी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नीति हमेशा यही रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : यह हिन्दुस्तान केबिल फैक्टरी उत्पादन का कार्य कब से प्रारम्भ करेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : उत्पादन का तो प्रारम्भ हो गया है, बिना रक्षण वाले केबिलों का बनाना तो प्रारम्भ हो गया है, तथा रक्षणयुक्त केबिलों का बनाना जुलाई से शुरू होगा ।

नारियल जटा उद्योग

*२०२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) योजना अयोग ने ग्रामीण उद्योगों को सुधारने के लिये जो चार वर्षीय कार्य-क्रम बनाया है उसके अनुसार नारियल जटा उद्योग पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ;

(ख) सहकारिता के आधार पर किस राज्य ने नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन किया है ;

(ग) पश्चिमी बंगाल में इस उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये कोई कार्यवाही, यदि कोई, की गई है ; तथा

(घ) यदि नहीं, तो क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ३,५०,१४१ रुपये ।

(ख) त्रावनकोर कोचीन, मद्रास, आंध्र, बम्बई, तथा उड़ीसा ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने नारियल जटा से चीजें बनाने की व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिये दो नारियल जटा प्रदर्शन दलों की स्थापना की है । नारियल की जटा से नारियल का रेशा तैयार करने की प्रयोगात्मक योजना को राज्य सरकार ने चालू कर दिया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह तथ्य नहीं है कि नारियल जटा बोर्ड संगठन तथा सुधार का कार्य प्रारम्भ करेगा ? इस नारियल जटा बोर्ड की स्थापना कब होगी ?

श्री करमरकर : बहुत शीघ्र ।

श्री एस० सी० सामन्त : कच्चा माल उत्पादन करने वाली भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति से इस नारियल जटा बोर्ड का क्या सम्बन्ध होगा ?

श्री करमरकर : संगठन के आधार पर तो ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु नारियल की अच्छी किस्म के उत्पादन के सम्बन्ध में नारियल समिति से परामर्श किया जायेगा ; और यह नारियल जटा बोर्ड नारियल जटा के अच्छी किस्म के उत्पादन तथा नारियल जटा से वस्तुयें तैयार करने के सम्बन्ध में कार्य करेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस कार्य का पुनर्गठन करने के लिये विदेशों में व्यापार प्रतिनिधियों को निर्देश देने के सम्बन्ध में हमारी सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : विदेशों में स्थित अपने व्यापार संगठनों को हम सदैव ही निर्देश देते रहते हैं और विशेषत: नारियल जटा की हानि के बारे में । हमने इसलिये उन्हें निर्देश दिया था क्योंकि नारियल जटा की स्थिति यहां अच्छी नहीं थी ।

श्री एम० डी० जोशी : इस उद्योग का पुनर्गठन करने के लिये यदि कोई सहायता बम्बई सरकार को दी गई है तो वह सहायता कितनी धन राशि की थी ?

श्री करमरकर : बम्बई में पांच सहकारी संस्थायें हैं । हमने क्या किया है यह बताने में मैं असमर्थ हूं । किन्तु बम्बई सरकार ने ४३,३५० रुपये की सहायता दी है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : त्रावनकोर कोचीन में नारियल जटा उद्योग में लगे कुल कर्मचारियों में से जितने कर्मचारियों को सहकारिता के आधार पर संगठित किया गया है, उनका अनुपात क्या है ?

श्री करमरकर : इसके लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री दामोदर मेनन : क्या सहकारिता के आधार पर संगठित नारियल जटा उद्योग संस्थाओं को ही राज्यीय सहायता दी गई अथवा अन्य संस्थाओं को भी दी गई है ?

श्री करमरकर : उद्योग को समष्टि रूप में सहायता दी गई है । किन्तु सहकारी संस्थाओं को विशेषत: सहायता एवं आर्थिक सहायता दी गई है क्योंकि हमारा विश्वास है कि नारियल जटा उद्योग की कठिनाइयों को हल करने में सहकारिता प्रणाली ही अधिक कार्य कर सकेगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी

*२०२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने दिल्ली में होने वाली खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी को कितनी सहायता दी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : प्रदर्शनी पर होने वाला कुल खर्चा सरकार ने किया है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि एग्ज़िबिशन में हानि हुई या कि उससे कुछ आमदनी हुई ।

श्री करमरकर : हम फ़ायदा नहीं चाहते और अगर उससे कुछ हानि होती है तो वह हानि नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने भी इसी प्रश्न की सूचना भेजी है । मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस किस्म की नुमायश से जो फायदा हो रहा है वह शहर की जनता को हो रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि देहात की जनता को फ़ायदा होता रहे और सुबर्ब्स को भी होता रहे, इस के लिये सरकार की ओर से कोई उपाय किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : इसके लिये खादी इण्डस्ट्रीज सोचती है । और और इन्स्टिटयूशन्स भी हैं ।

खादी उद्योग

*२०३०. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में खादी उद्योग के विकासार्थ विभिन्न राज्यों को पेशगी दिये गये अनुदानों तथा ऋणों की धनराशियां ; तथा

(ख) इन अनुदानों तथा ऋणों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : यद्यपि राज्यों को कोई रुपया नहीं दिया गया था परन्तु गैर सरकारी संस्थाओं तथा सोसायटियों को सीधे ही ८७,१४,५०० रुपये के ऋण दिये गये थे । इस रुपये का उपयोग खादी के उत्पादन तथा बिक्री के लिये किया जा रहा है । विस्तृत विवरण के लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन काम करने वाले बोर्डों के कार्यकरण सम्बन्धी रिपोर्ट (१९५३-५४) के पृष्ठ २४-२६ की ओर दिलाऊंगा । इस रिपोर्ट की प्रतियां सदन के सदस्यों तथा पुस्तकालय के पास भेज दी गई थीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : जहां तक इस ऋण का सम्बन्ध है इससे कितने मज़दूरों को लाभ पहुंचाया जा रहा है ?

श्री करमरकर : जैसा मैं कह चुका हूं यह ऋण प्रमुख संस्थाओं को दिया गया है । मैं उनके नाम बता दूं : सर्व सेवा संघ, वर्धा ; श्री गांधी आश्रम, मेरठ ; बिहार खादी समिति, मुजफ्फरपुर ; बम्बई उपनगर ज़िला ग्रामोद्योग संघ, बम्बई ; राजस्थान खादी संघ, जयपुर ; हैदराबाद खादी समिति, हैदराबाद ; सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट ; सर्व सेवा संघ, सेवाग्राम; तामिल नाद, केरल तथा अन्य क्षेत्र; महाराष्ट्र सेवा संघ, पूना ; तथा गांधी आश्रम, तिरुचेनगोड़े ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री के पास इन संघों से समय समय पर रिपोर्टें आया करती हैं जिससे पता चले कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : यह काम खादी बोर्ड की देखरेख में किया जा रहा है तथा बड़ी कुशलता के साथ किया जा रहा है । इसकी बराबर जांच होती रहती है ।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या दिल्ली की अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग प्रदर्शनी पर खर्च किया जाने वाला रुपया वसूल किये गये करघा उपकर में से किया गया है या किसी अन्य निधि से ?

श्री करमरकर : यह अनुपूरक प्रश्न बहुत देर से पूछा गया है । अब वह प्रदर्शनी भी समाप्त हो चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि जानकारी उनके पास हो तो वे बता दें ।

श्री करमरकर : मैं चाहता हूं कि प्रश्न फिर दोहराया जाये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दुहराइये अपना प्रश्न ।

बाबू रामनाराण सिंह : उठे हुए –

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति ! बाबू रामनारायण सिंह ।

बाबू रामनारायण सिंह : सरकार खादी की बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये क्या उपाय कर रही है जिससे कि ऐसा न हो कि उत्पादन के बाद बहुत सा स्टाक जमा हो जाये ?

श्री करमरकर : इसका सब से बड़ा उपाय यह है कि हम उपभोक्ता को हर प्रकार की खादी की बिक्री पर तीन आने की छूट देकर हर प्रकार की खादी की बिक्री को सहायता देते हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या राजकीय सहायता, ऋण तथा अनुदान ऐसी ही संस्थाओं को ही दिये जाते हैं जिनको अखिल भारतीय चर्खा संघ ने मान्यता प्रदान की हुई है?

श्री करमरकर : उन संस्थाओं को जिनकी अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सिफ़ारिश की गई हो ।

बिस्कुट

***२०३२. श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में देश में बिस्कुट का कुल उत्पादन कितना हुआ ;

(ख) क्या इतना उत्पादन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये पर्याप्त है ;

(ग) क्या भारत के बने बिस्कुट अन्य देशों को भेजे जाते हैं ; तथा

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर हां में हो तो यह बताया जाय कि प्रति वर्ष कितने तथा कितने मूल्य के ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३ में संगठित एवक्कों ने १०,८३० टन बिस्कुट तैयार किये ।

(ख) बिस्कुट की मांग का कोई ठीक ठीक अनुमान नहीं किया गया है ।

(ग) हां ।

(घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि व्यापार आंकड़ों के वर्तमान वर्गीकरण में बिस्कुटों का निर्यात पृथक मद के रूप में नहीं अंकित किया जाता है परन्तु 'प्राविजन तथा आयलमैन्स स्टोर्स' शीर्ष में ही सम्मिलित कर दिया जाता है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या हमारे देश के बिस्कुट बनाने वालों ने विदेशी बिस्कुटों के अत्यधिक आयात के सम्बन्ध में शिकायत की है और यदि ऐसा है, तो इस उद्योग को क्या संरक्षण दिया गया है जिससे कि इसे विदेशी बिस्कुट कम्पनियों की प्रतियोगिता से हानि न होने पावे ?

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न स्पष्ट हो गया है ?

श्री करमरकर : मैं संरक्षण वाला बाद का अंश तो समझ गया परन्तु इसके पहले वाला अंश नहीं समझा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या देशी बिस्कुट कम्पनियों ने बिस्कुटों के आयात के सम्बन्ध में शिकायत की है ?

श्री करमरकर : हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है । संरक्षण देना इस लिये उचित नहीं समझा गया क्योंकि संरक्षण औचित्य पूर्ण नहीं जान पड़ता है ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या भारतीय बिस्कुट निर्माताओं को आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार की सहायता सरकार द्वारा दी गई है ?

श्री करमरकर मैं समझता हूं कि आर्थिक सहायता नहीं दी गई है और न आर्थिक सहायता की कोई आवश्यकता ही है ।

श्री जोकीम आल्वा : सरकार को ज्ञात है कि भारतीय कम्पनियां जिनके मालिक तथा प्रबन्धकर्ता भारतीय हैं, पारलीज, मंघाराम तथा शांरतीला जैसे अच्छे किस्म के बिस्कुट तैयार करती हैं । क्या सरकार का विचार है कि हंटले पामर्स जैसी विदेशी कम्पनियों को कुछ विशेष सुविधायें दी जायं उसी प्रकार जैसे कि उसने गाडरेज के मुकाबिले में रेमिंगटन को तथा ग्लूको कोला के मुक़ाबिले में कोकोकोला को अधिमान दिया है ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न किसी विशेष अभिप्राय से किया जान पड़ता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विदेशों से कितने परिमाण में बिस्कुट आयात किया जाता है ?

श्री करमरकर : मैं आंकड़े दे सकता हूं ।

वर्ष	परिमाण	मूल्य
	हंडरवेट	रुपये
१९४९-५०	२३,७१०	४५,१५,४७३
१९५०-५१	१,९९१	२,३१,३१०
१९५१-५२	३,८२४	९,०१,७०७

श्री बंसल : माननीय मंत्री ने कहा था कि बिस्कुट के निर्यात के सम्बन्ध में उन के पास कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे निर्यात आंकड़ों में उसका पृथक रूप से अंकन नहीं किया जाता है । यदि वाणिज्य सूचना महा संचालक के पास एक निर्देश भेज दिया जाय तो यह आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं । मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस प्रश्न की सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया था ? जब सदन में जानकारी के लिये कोई प्रश्न पूछा जाता है तो यह स्पष्ट है कि उक्त जानकारी सांख्यकीय साधनों से उपलब्ध नहीं है । ऐसी दशा में सरकार का कर्तव्य है कि वह इस जानकारी को चाहे इसके लिये सरकार को अनेक विभागों से पूछताछ करने में थोड़ा परिश्रम ही क्यों न करना पड़े ।

श्री करमरकर : यदि इसमें थोड़ा परिश्रम हो तो हम इसके लिये सदा तैयार रहते हैं । परन्तु हमारे मित्र जानते हैं कि हमारे काम का तरीक़ा क्या है । इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सम्बन्ध में हमारे वाणिज्य सूचना विभाग में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है । वास्तव में जब इस प्रकार के प्रश्न की सूचना प्राप्त होती है तो हम यह करते हैं । हम वाणिज्य सूचना विभाग के संचालक से जानकारी भेजने को कहते हैं । यदि उसके पास जानकारी तैयार होती है तो वह भेज देता है । अन्यथा मेरे माननीय मित्र समझ सकते हैं कि सीमाशुल्क अधिकारियों से यह कहना कि वह सारी असली बिल्टियों तथा बीजकों इत्यादि को उलट पुलट कर जानकारी एकत्रित करें, कितना कष्ट साध्य है ।

नल की टौंटियां

***२०३३. श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में नल की टौंटी बनाने वाले कारखानों तथा कुटीर उद्योग कम्पनियों की कुल संख्या ;

(ख) क्या भारत नल की टौंटियों की उत्पादन में आत्मनिर्भर है ,

(ग) क्या नल की टौंटियों का निर्यात भी किया जाता है ; तथा

(घ) देश की खपत के लिये आवश्यक कुल मात्रा तथा उसका मूल्य ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) हां। साधारण प्रकार की टौंटियों के सम्बन्ध में ऐसा ही बताया गया है।

(ग) तथा (घ). निश्चित जानकारी प्राप्य नहीं है। नल की टौंटियों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग के विकास के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

श्री करमरकर : अभी तक हमने कोई कदम नहीं उठाये हैं लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो उठायेंगे।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि जो इंडस्ट्रीज़ यह काम कर रही हैं उनके लिये सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सहायता या कर्ज़ दिया गया है ?

श्री करमरकर : इस विषय पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। फिर भी यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करें जहां ऐसा करना आवश्यक तथा प्रासंगिक हो तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

गिरिडीह कोयला-खदानें

*२०३४. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गिरिडीह कोयला खदानों की खन्डिहा तह से ८,००० टन कोयला निकालने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है ?

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान उत्पादन कितना है ?

(ग) इस कोयले की यथासम्भव अधिक से अधिक मात्रा को स्थानीय रूप से बेच देने के लिये क्या प्रणाली अपनाई गई है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि स्थानीय विक्रय के लिये रखे गये कोयले की सम्पूर्ण मात्रा को एक ही ठेकेदार को बिना टेन्डर मंगाये दे दिया जाता है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान उत्पादन लगभग ४,००० टन प्रति मास है। इस उत्पादन को और बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहेहैं, परन्तु उत्पादन में बृद्धि घटिया प्रकार के कोयले की खपत पर निर्भर करती है।

(ग) तथा (घ). स्थानीय विक्रय के लिये बिहार राज्य सरकार द्वारा बिहार कोयला नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत लाइ-सेन्स-प्राप्त एक व्यक्ति ने गिरिडीह में एक कोयला डिपो खोल रखा है। क्योंकि फुट-कर बिक्री इस लाइसेंस प्राप्त डिपो मालिक द्वारा की जाती है तथा ठेके दार द्वारा नहीं इसी कारण टेंडर मंगाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : मैं समझा नहीं कि फुटकर बिक्री किस तरह की जाती है।

श्री आर० जी० दुबे : मैंने यह कहा कि बिहार कोयला नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत बिहार सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष को लाइसेंस दिया है और वह स्थानीय बिक्री का प्रभारी है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या गिरिडीह कोयला खदानों की सीमाओं में कोई ठेकेदार भारत सरकार की ओर से काम कर रहा है तथा क्या वह इन खदानों से निकाले गये कोयले को गड्ढे पर ही जमा कर लेता है तथा बाद में उसे स्थानीय रूप से दूसरे व्यापारियों को बेच देता है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि जहां तक गिरिडीह का सम्बन्ध है, किसी मध्यम व्यक्ति या अभिकरण का कोई प्रश्न

ही नहीं है । सरकार इस प्रभारी स्थानीय व्यक्ति को सीधे ही कोयला देती है तथा उसके स्थानीय फुटकर बिक्री के प्रबन्धों के बारे में कुछ बताना कठिन है । इस सम्बन्ध में ठेके की कोई प्रणाली नहीं है परन्तु लाइसेंस प्रणाली को चलाया गया है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या इस उत्तर से मैं यह समझ लूं कि वहां पर उत्पादित कोयला सामान्यत: केवल उन्हीं ठेकेदारों या व्यापारियों को दिया जाता है जिन्हें बिहार सरकार नियुक्त करती है ?

श्री आर० जी० दुबे : स्थिति ठीक यही है ।

मैसूर को दी गई सहायता

*२०३५. **श्री एन० राचय्या :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी तक मैसूर राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई है ; तथा

(ख) क्या निश्चित की गई राशि उक्त कालावधि में व्यय कर ली गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७१]**

श्री एन० राचय्या : विवरण में यह लिखा है कि १६ में से १२ मदों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। जब राज्य सरकारों को अनुदान दिये जाते हैं तो यह सूचना क्यों उपलब्ध नहीं है ?

श्री हाथी : जैसा कि देखा जा सकता सकता है, इन विषयों के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है । उदाहरणार्थ, कुटीर उद्योगों, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण, औद्योगिक गृह-व्यवस्था, एकल-अध्यापक विद्यालय, पुनर्वास आदि सभी विषयों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही की जाती है । उनसे सूचना एकत्र करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री एन० राचय्या : इस विवरण में लिखी प्रत्येक मद के अन्तर्गत क्या प्रगति हुई है ?

श्री हाथी : जहां तक इन दो मदों अर्थात् विशेष विकास निधि से स्थानीय सहायता तथा 'अधिक अन्न उपजावो' सम्बन्धी योजनाओं का सम्बन्ध है, यह देखा जायगा कि प्रथम मद के अन्तर्गत सारी धन राशि व्यय की जा चुकी है तथा दूसरी मद के अन्तर्गत ३७३ लाख रुपये में से १९७·८३ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं । दूसरी मदों में की गई प्रगति की सूचना को अन्य मंत्रालयों से प्राप्त किया जायगा ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को मलनाद सम्मेलन के उद्घाटन के समय श्री किदवई द्वारा दिये गये इस आश्वासन के बारे में विदित है कि मलनाद विकास के लिये अधिक सहायता दी जायगी तथा, यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री हाथी : इस पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि यह मामला योजना आयोग के सामने आयेगा ।

श्री तिम्मय्या : क्या पंचवर्षीय योर्जना में मंजूर की गई राशि के अतिरिक्त मैसूर सरकार के अभ्यावेदन पर कुछ और धन राशि भी दी गई है ?

श्री हाथी : भद्रा के निर्माण कार्यों के लिये ३ करोड़ रुपया दिया गया है ।

आल इंडिया रेडियो

*२०३८. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आल इंडिया रेडियो ने १ सितम्बर, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५३ तक छतछात मिटाने सम्बन्धी प्रचार के लिये कितने प्रोग्राम प्रसारित किये ; तथा

(ख) ये प्रोग्राम कितनी भाषाओं में तथा किन किन केन्द्रों से प्रसारित किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ४१।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७२]**

श्री नवल प्रभाकर: मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या इसमें कुछ प्रोग्राम देहाती लोगों के लिये भी किये गये थे ? क्या दिल्ली केन्द्र से भी इस तरह के कोई प्रोग्राम किये गये, और यदि नहीं किये गये, तो क्यों नहीं किये गये ?

डा० केसकर: अछूतोद्धार के लिये हर स्टेशन से कुछ न कुछ देहाती प्रोग्राम किये गये हैं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि इसमें कितने देहाती प्रोग्राम के हैं और कितने मामूली टांक्स के हैं ।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं, जैसा कि विवरण में दिया गया है, कि दिल्ली से और कुछ अन्य केन्द्रों से अंग्रेजी में इस तरह के प्रोग्राम किये गये, इनका क्या उद्देश्य है ?

डा० केसकर: इनका उद्देश्य यह है कि अभी अंग्रेजी समझने वाले कुछ लोग हैं और अभी तक हमारे यहां अन्तरप्रांतीय भाषा अंग्रेजी है । इस लिये कुछ कार्यक्रम अंग्रेजी में भी होना ज़रूरी है । यह मैं मानता हूं कि ज्यादातर अंग्रेजी में करने से कोई फायदा नहीं है ।

श्री पी० एल० बारूपाल: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो छुआछात मिटाने के विषय में आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रोग्राम रखे गये थे क्या उनमें भाषण के अलावा अन्य प्रोग्राम किस प्रकार के थे ?

डा० केसकर : विवरण अस्पृश्यतया सम्बन्धी सभी पहलुओं के बारे में है । उनमें से अधिकांश तो वार्तायों के हैं तथा कुछेक संवाद हैं ।

श्री गणपति राम: क्या सरकार यह वाजिब समझती है कि अस्पृश्यता निवारण के लिये भी आल इंडिया रेडियो से प्रोग्राम प्रसारित किया जाय और महीने में एक बार ज़रूर किया जाय ?

डा० केसकर : अस्पृश्यता निवारण के लिये सरकार जितना अधिक से अधिक प्रोग्राम रख सकती है रखती है और इस से भी अधिक करना चाहती है ।

आयात किये गये काजू

*२०४०. **श्री ए० एम० टामस:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि निर्माता लोग आयातकों से कच्चा काजू मेवा नहीं ले रहे हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) इस कार्यवाही का रोज़गार पर तथा निर्मित काजू के निर्यात पर क्या प्रभाव होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). पूछताछ से पता चला है कि निर्माता लोग आयातकों से खराब

काजू के सम्बन्ध में रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में संतोषजनक शर्तों के लिये बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान में आयात किये गये काजू का काफी व्यापार होने की सूचना मिली है ।

(ग) स्वदेशी काजू पहले ही बाजार में आ चुका है । निर्यात पर किसी प्रभाव के पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : भारत में काजू तैयार करने के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा इसमें से कितना काजू अन्तर्देशीय स्रोतों से मिल जाता है ?

श्री करमरकर : लगभग आधा आधा । ५०,००० टन प्रत्येक में ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सरकार को विदित है कि काजू तैयार करने वालों ने अपनी एक सिंडीकेट बना ली है तथा काजू के क्रय तथा वितरण का काम स्वयं संभाल लिया है ?

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री ए० एम० टामस : क्या सिंडीकेट की ओर से वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है, तथा यदि ऐसा है, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : मुझे वित्तीय सहायता दिये जाने की किसी प्रार्थना का पता नहीं है, परन्तु मैं चाहता हूं कि प्रश्न की पूर्वसूचना दी जाय ।

श्री ए० एम० टामस : काजू तैयार करने की कितनी फैक्टरियां हाल में बन्द कर दी गई हैं तथा क्या निकट भविष्य में उन में किसी के द्वारा काम पुनः आरम्भ किये जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री करमरकर : मेरे पास बन्द हो गई फैक्टरियों की संख्या के सम्बन्ध में ठीक जानकारी तो नहीं है, परन्तु यह हम जानते हैं कि बम्बई के आयातकों के व्यवहार के कारण कुछेक फैक्टरियों ने उन से खरीद न करने का निश्चय किया, तथा इस कारण उन्होंने काजू को कम मात्रा में तैयार करना आरम्भ कर दिया परन्तु अब ज्ञात हुआ है कि स्वदेशी काजू की मांग के उत्पादन की मात्रा ५०,००० टन है तथा आयात किये गये १८,००० टन काजू को उठा लिया गया है । इस कारण अब फैक्टरियों में काम चालू होना चाहिये ।

श्री एन० सोमना : इस विचार से कि यह एक डालर कमाने वाला उद्योग है, मैं जानना चहता हूं कि सरकार ने यहां उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री करमरकर : यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये । इस बीच में सूचना एकत्रित करने का यत्न करूंगा तथा माननीय सदस्य को बता दूंगा ।

श्री केलप्पन : क्या फैक्टरी मालिकों नें आयात लाइसेंस की मांग की है, तथा यदि ऐसा है, तो क्यों ?

श्री करमरकर : यह ठीक है कुछ फैक्टरी मालिकों ने स्वयं अपने आयात लाइसेंस की मांग की है, परन्तु वर्तमान स्थिति को जानने के लिये मुझे प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

काजू उद्योग

***२०४२. श्री अच्युतन :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन १९५२ की तुलना में सन् १९५३ में भारत में तैयार किये गये काजू मेवा के निर्यात से कम आय हुई थी, तथा यदि ऐसा है, तो कितनी ?

(ख) क्या सरकार त्रावनकोर-कोचीन राज्य में काजू उद्योग की वर्तमान स्थिति को जानने तथा उद्योग पर आये संकट को

दूर करने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये किसी विशेष अधिकारी को वहां भेजने का विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान, जहां सन् १९५२ में निर्यात की गई २६,००० टन की मात्रा की तुलना में सन् १९५३ में यह मात्रा २८,००० टन थी, परन्तु निर्यात से १९५३ में १९५२ की तुलना में २४ लाख रुपये कम आय हुई थी ।

(ख) पिछले वर्ष के अन्त में इस मंत्रालय के एक अधिकारी को वहीं पर काजू मेवा उद्योग की कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य को भेजा गया था । सरकार अब उद्योग की सहायता के लिये अपेक्षित साधनों तथा उपायों पर विचार कर रही है ।

श्री अच्युतन : १९५३ में विदेशी बाजार में तैयार काजू के प्रति टन मूल्य में कितनी कमी हुई थी ?

श्री करमरकर : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री अच्युतन : यूरोप तथा अमरीका को तैयार काजू के निर्यात को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : वास्तव में, अमरीका को किया गया निर्यात अपेक्षा से कम था, किन्तु हम आशा रखते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका में काजू अधिकाधिक लोकप्रिय बनता जायेगा ।

श्री अच्युतन : आयात किये गये तथा देशी काजुओं के भावों में कितना अन्तर है ?

श्री करमरकर : जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था, ऐसा हुआ कि बम्बई के आयातकों ने भावों का नियंत्रण किया, और इस कारण, हमारे यहां के निर्माता एक समान भाव पर काजू प्राप्त नहीं कर सके । मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि भारत में आयात किये गये या कच्चे या तैयार किये गये काजुओं के भाव परस्पर तुलना में कैसे हैं ।

श्री ए० एम० टामस : काजू उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का ध्यान करते हुये, क्या सरकार ने मसाला जांच समिति की सिफारिशों का परीक्षण किया है और क्या उन सिफारिशों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करने का प्रयत्न किया है ?

श्री करमरकर : हम यथासंभव शीघ्र कार्यवाही करेंगे और जहां भी संगत होगा हम यदि मसाला जांच समिति की कुछ सिफारिशें हैं, तो उन पर भी विचार करेंगे ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार को काजू उद्योगपतियों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वर्तमान संकट काल के कारण लाखों व्यक्ति बेकार हो गये हैं ?

श्री करमरकर : हम समझते हैं कि संकट स्थिति में सुधार हो रहा है ।

मान्य एकड़ का मूल्य

*२०४३. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री १९ फरवरी, १९५४ को पूछे गये मान्य एकड़ के मूल्य सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे, कि परामर्शदात्री समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : प्रश्न के सब पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया है, कि कृषि भूमि के लिये दावा करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध भूमि दी जाने के पश्चात् मान्य एकड़ का मूल्य निश्चित किया जाय ।

श्री गिडवानी : क्या अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : अभी नहीं ।

चार तकलों वाला चरखा

*२०४६. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग प्रदर्शिनी दिल्ली, में चार तकलों वाले चरखे के प्रदर्शन की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) प्रति घंटा इसका सूत का औसत उत्पादन कितना है ; तथा

(ग) क्या सरकार इसको लोकप्रिय बनाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग १७०० गज़ सूत प्रति घंटा ।

(ग) सरकार को मालूम हुआ है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम्: क्या मैं इस मशीन की लगभग लागत जान सकता हूं ?

श्री करमरकर: कातने की मशीन का लगभग मूल्य १०० रुपये है ।

श्री टी० सुब्रह्मण्यम्: क्या सरकार सरकारी संस्थाओं या कारखानों में इस चरखे को बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री करमरकर : यह मामला अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड के विचाराधीन है, और यदि वह इस मामले में कोई सहायता चाहते हैं, तो हम प्रसन्नता पूर्वक सहायता देंगे ।

श्री तिम्मय्या : क्या श्री जू कुरियन ने, जिसने छोटे से छोटे स्वरूप का चरखा तैयार किया है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से कुछ अनुदान की मांग की है, और क्या सरकार अनुदान दे रही है ?

श्री करमरकर : मुझे इस विशिष्ट मामले का पता नही है, किन्तु यदि यह मामला खादी बोर्ड के सामने आया, तो अवश्य ही इस मामले पर विचार किया जायेगा ।

श्री बालकृष्णन् : क्या सरकार इस अच्छे प्रकार का चरखा बनाने वाले को कोई पारितोषिक देने का विचार करेगी, ताकि मशीनी वस्तुओं के नवीन प्रारूप की खोज करने के लिये जनता को प्रोत्साहन मिले ?

श्री करमरकर : यदि यह मामला खादी बोर्ड की ओर से सरकार के सामने प्रस्तुत किया जायेगा तो सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ।

कलकत्ता लेखन-सामग्री कार्यालय

*२०४७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लेखन सामग्री-कार्यालय का माल लादने का कार्य संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक को कब स्थानान्तरित किया गया था ; तथा

(ख) इस परिवर्तन के पश्चात् (वर्ष वार) कितना लाभ या हानि हुई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १५ अगस्त, १९५१ से ।

(ख) संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक का माल लादने का सेक्शन वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जाता है, किन्तु इस परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष लगभग ८,००० रुपये की बचत हुई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं इस परिवर्तन का मुख्य कारण जान सकती हूं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में, लेखन-सामग्री कार्यालय सभी मंत्रालयों से सम्बन्धित निकासी के कार्य को पूरा कर रहा था । प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की कि लेखन सामग्री कार्यालय को अन्य मंत्रालयों से सम्बन्धित काम को नहीं करना चाहिये । इस लिये जो काम लेखन सामग्री कार्यालय के पास बच गया वह इतना थोड़ा था कि ऐसा विचार किया गया कि यदि उसे किसी बड़े विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाये, तो कुशलता की दृष्टि से यह प्रबन्ध उत्तम रहेगा, और परिणामस्वरूप बचत भी होगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परिवर्तन के परिणामस्वरूप, ठीक परिवर्तन से पहले, लेखन-सामग्री कार्यालय के माल लादने के विभाग द्वारा जितना टन माल भेजा जाता था उसकी तुलना में संभरण और उत्सर्जन महा निदेशक द्वारा भेजे जाने वाला माल कितना है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे पास १९५१ और १९५२ के आंकड़े हैं । १९५१ में कलकत्ता में क्लीयरिंग एजन्टों को एजैन्सी के व्यय के लिये कुल २२,५०० रुपये दिये गये थे और १९५२ में १९,७०० रुपये दिये गये थे । इन वर्षों के टनों के आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : लेखन-सामग्री कार्यालय के माल भेजने वाले विभाग के कर्मचारियों का क्या हुआ ? क्या उनको संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय में स्थानान्तरित तथा विलीन कर दिया गया है ; अथवा उनको अन्य कहीं वैकल्पिक नौकरियां दे दी गई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तीन वर्ष पुराना मामला है । स्थानान्तरण के समय केवल कुछ व्यक्ति ही फालतू थे, किन्तु उसके पश्चात् क्या हुआ, इसकी मेरे पास जानकारी नहीं है ।

मलाया यात्रा प्रमाणपत्र

*२०४८. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन भारतीयों की संख्या, जो १९५३-५४ में मलाया के लिये यात्रा सुविधायें प्राप्त कर सके हैं ; तथा

(ख) क्या अभी भी किसी यात्रा विशेष के लिये "आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र" दिया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) १९५३ में : ४६,४९७ । १९५४ में ३१ मार्च तक : ४,४४७ ।

(ख) मलाया में नवीन आप्रवासन विनियमनों के लागू होने के पश्चात् यातायात में कमी हो जाने के कारण अब जहाजों में स्थान प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं रही है, और किसी यात्रा विशेष के लिये मान्य 'आपत्ति नहीं प्रमाणपत्र' जारी करने की पद्धति समाप्त कर दी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : मलाया जाने के लिये प्रवेश प्रमाणपत्र पद्धति के लागू होने पश्चात् कितने भारतीय मलाया में प्रवेश प्राप्त कर सके हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : पिछले तीन महीनों में लगभग उनकी संख्या ४,५०० थी ।

सरदार हुक्मसिंह : क्या इस ४,५०० की संख्या में वे लोग भी सम्मिलित हैं जो वहां पर आप्रवासन प्रमाणपत्र के

लागू होने के कारण रुके पड़े थे, और क्या इन अवस्थाओं में कोई नये भारतीय भी वहां जा सकते थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी, हां । नये भारतीय जा सकते हैं यदि वे पहले ही मलाया सरकार से अनुमति प्राप्त कर लें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य की दृष्टि से, कि राष्ट्रमंडल के देशों के लिये हमें प्रवेश दृष्टांक की आवश्यकता नहीं है, माननीय मंत्री ने कहा कि मलाया में भारतीयों के प्रवेश के लिये कोई कठिनाई नहीं है । क्या इससे हम यह समझ सकते हैं कि जो नियम मलाया में प्रचलित हैं, वह राष्ट्रमंडल के प्रत्येक देश में प्रचलित हैं, तथा अभी भी कुछ रुकावटें हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये विनियमन प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न हैं । उदाहरण के लिये पाकिस्तान राष्ट्रमंडल का एक सदस्य है परन्तु वहां जाने के लिये 'पारपत्र' या दृष्टांक की आवश्यकता होती है ।

श्री एन० एल० जोशी : मलाया जाने के लिये कितने यात्रियों को यात्रा सुविधा दिये जाने से इन्कार किया गया और क्यों ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे पृथक पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

आकाशवाणी में लोक संगीत

*२०४९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २६ जनवरी, १९५४ को आकाशवाणी द्वारा एक लोक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ; तथा

(ग) क्या भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का कोई विचार है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) १. अजमेर
२. आसाम
३. बम्बई
४. मध्य प्रदेश
५. मनीपुर
६. पेप्सू
७. सौराष्ट्र ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में समय समय पर विभिन्न राज्यों के लोक संगीत के कार्यक्रमों को आयोजित करने की योजना बनाई गई है । अगले कार्यक्रम में पंजाब तथा काश्मीर के लोक संगीत होंगे । मैं यह भी बता दूं कि लोक संगीत के कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से होते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या कुछ उपेक्षित प्रकार के लोक संगीत को पुनर्जीवित करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० केसकर : लोक संगीत के कुछ ऐसे रूपों का, जो समाप्त होते जा रहे हैं, पता लगाने और उनको पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । परन्तु यह एक ऐसा काम है जिस में कुछ समय लगेगा और इस प्रकार के संगीत को पुनर्जीवित करने के लिये बहुत जोरशोर से प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस तरह के जो लोकसंगीत प्रसारित किये जाते हैं, क्या उनको एक न्यूनाधिक स्थायी रूप में रक्षित रखने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० केसकर : काफ़ी मात्रा में लोकसंगीत प्रसारित किया गया है । जब उसके

वर्गीकरण और उसको किसी स्थायी रूप में रखने का प्रश्न उत्पन्न होगा, तो मैं अपने माननीय मित्र का सुझाव ध्यान में रखूंगा ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दी की जो भाषायें हैं, जैसे राजस्थानी, मैथिल भाषा आदि, उनके लोक गीतों के प्रसार की भी कोई नियमित व्यवस्था की गई है ?

डा० केसकर : हिन्दी की जो अलग अलग बोलियां हैं, उनमें जो लोकगीत हैं, उन सबको सब स्टेशनों से ब्राडकास्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन प्रांतों में यह भाषायें बोली जाती हैं, उनके स्टेशनों से वह जरूर ब्राडकास्ट किये जाते हैं, जैसे बिहार से मैथिली के लोक गीतों को नियमित रूप से ब्राडकास्ट किया जाता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : हमारे देश के पहाड़ी जिलों में जो लोक संगीत पाया जाता है, क्या उस में से कुछ को रक्षित रखने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

डा० केसकर : श्रीमान् लोक संगीत को एकत्र करने और उसमें गवेषणा करने का काम बहुत बड़ा है, और यद्यपि हम अधिक से अधिक लोक संगीत को एकत्र करने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हमारा कार्य बढ़ता जा रहा है, फिर भी यह बताना कठिन है कि हम किस हद तक पहाड़ी लोक गीत एकत्र कर सके हैं ।

ब्रह्मा को चाय का निर्यात

*२०५१. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ से उपलब्ध आंकड़ों की तिथि तक भारत-ब्रह्मा सीमान्त के लीडरों तथा मोरेह नामक स्थानों से होकर स्थल मार्ग के द्वारा ब्रह्मा को कुल कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जनवरी १९५३ से १५ मार्च, १९५४ तक स्थल मार्ग के द्वारा ब्रह्मा को चाय का निर्यात :—

लीडो से होकर	कुछ नहीं
मोरेह से होकर	९८.६८२ पौंड

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सीमाशुल्क का भुगतान न करके चोरी छिपे भारी मात्रा में चाय ब्रह्मा को भेजी जा रही है ? यदि हां, तो भारत-ब्रह्मा सीमान्त पर इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

श्री करमरकर : तस्कर व्यापार सम्बन्धी गति विधि के बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है । यदि माननीय सदस्य को कोई विशेष जानकारी हो, तो हम उसे बहुत महत्व देंगे ।

कोयला खदान क्षेत्रों में सड़कें

*२०५२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान बोकारो और बेरमो कोयला खदान क्षेत्रों की विभिन्न सड़कों की उपेक्षित दशा की ओर आकर्षित किया गया है ?

(ख) कोयला खदान क्षेत्र में कितने मील लम्बी सड़क की देखभाल सरकार द्वारा होनी चाहिये ?

(ग) उनकी देखरेख पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय होती है ?

(घ) क्या मज़दूर बस्तियों में विद्यमान सड़कों को सुधारने या नई सड़कें बनाने की कोई योजना है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी नहीं । बोकारो और बेरमो कोयला खदान क्षेत्रों

की सड़कें उपेक्षित नहीं हैं, यद्यपि उन्हें पूर्ण-रूपेण संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है ।

(ख) तथा (ग). बोकारो तथा कारगली राज्यीय कोयला खदानें कोयला खदान क्षेत्र में १,५०० रुपये प्रतिवर्ष की लागत पर १३ मील लम्बी सड़क की देखरेख करती हैं । अन्य राज्यीय कोयला खदानों के सम्बन्ध में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(घ) कारगली राज्यीय कोयला खदान में मज़दूरों के सभी क्वाटरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने वाली सड़कें बनाने की एक योजना तैयार की गई है । जहां भी आवश्यकता है, वहां मज़दूर बस्तियों को जाने वाली सड़कों को सुधारने के लिये भी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री एन० एम० लिंगम : इन सड़कों की देखरेख पर प्रतिवर्ष कितना व्यय होता है ?

श्री आर० जी० दुबे : कारगली राज्यीय कोयला खदान की सड़कों की देखरेख पर ५०० रुपये और बोकारो की सड़कों पर १०० रुपये व्यय होता है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि बोकारो और बेरमो की कोयले की खदानों और दूसरे प्रान्तों में जो कोयले की खदानें हैं उन के मार्गों की व्यवस्था एक ही जैसी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के क्षेत्र से बाहर है ।

श्री पी० सी० बोस : इस क्षेत्र में सड़कों के बनवाने और उनकी देखभाल करने की ज़िम्मेदारी सरकार पर है या हज़ारीबाग खदान बोर्ड पर ?

श्री आर० जी० दुबे : स्थिति इस प्रकार है । जहां तक बोकारो कोयला खदान क्षेत्र का संबन्ध है, वहां सात मील सड़क की देखभाल कोयला खदान अधिकारियों को करनी पड़ती है, जबकि दो मील सड़क की देखभाल हज़ारीबाग़ खदान बोर्ड करता है ।

सुपारी के आयात के लाइसेन्स

* २०५३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में सुपारी के आयात के कितने लाइसेन्स कितने व्यक्तियों या फ़र्मों को दिये गये ; तथा

(ख) किस प्रदेश में विदेशी सुपारी की खपत सबसे अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७३]**

(ख) सरकार को जान कारी नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बीट्ल नट्स हिन्दुस्तान में इम्पोर्ट किये जाते हैं, उनकी तादाद क्या है ?

श्री करमरकर : १९५२–५३ में यह मात्रा १०·१० लाख मन थी; अप्रैल १९५३ से जनवरी १९५४ तक यह ८·४६ लाख मन थी और मूल्य २ करोड़ ६७·२ लाख रुपये था ।

श्री रघुनाथ सिंह : जिन लोगों को आपने लाइसेन्स दिये हैं, उनमें से इनकम टैक्स देने वालों की संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इनमें से कितने लाइसेन्सधारी आयकर देते हैं ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि आयकर सम्बन्धी मामलों की मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस वर्ष के लिये आयात की कोई अधिकतम मात्रा निश्चित की जायेगी ?

श्री करमरकर : मेरे माननीय मित्र को मालूम है कि इस वर्ष आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है । सच तो यह है कि हम आयात के सम्बन्ध में उदार नीति रखना चाहते हैं, ताकि पर्याप्त आयात हो सके ।

श्री ए० एम० टामस : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त कर्ताओं और दलालों को आमतौर से अधिक अनुज्ञप्तियां मिल गई हैं, जिसकी स्वयं वित्त मंत्री ने आयव्ययक वादविवाद के समय चर्चा की थी, मैं जान सकता हूं कि इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : जैसा कि इस सदन में स्वयं माननीय वित्त मंत्री ने कहा था, इस बढ़े हुए आयात शुल्क के फलस्वरूप यह समस्या समाप्त हो जायेगी ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : नवागंतुकों को किन शर्तों पर अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं ?

श्री करमरकर : चालू अवधि में नवागंतुकों को भी अनुज्ञप्तियां दी जायेंगी ।

कोयले का निर्यात

*२०५५. **श्री के० पी० सिन्हा:** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया अपनी अपेक्षाओं के लिये सम्पूर्ण कोयला इस देश से नहीं लेने जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). दक्षिण कोरिया की कोयले की आवश्यकतायें सम्पूर्ण रूप से भारतीय कोयले के द्वारा कभी भी पूरी नहीं की जाती थीं । अभी तक एक भारतीय फर्म ने १९५४ में कोरिया को एक लाख टन कोयला भेजने का एक आर्डर प्राप्त कर लिया है, फिर भी दक्षिण कोरिया को चालू वर्ष में और अधिक मात्रा में भारतीय कोयले के निर्यात की आशा बहुत उज्वल प्रतीत नहीं होती है । ऐसा इसलिये है क्योंकि संसार में कोयले का उत्पादन बढ़ गया है, और उस देश को निकट के देशों से भारतीय कोयले की अपेक्षा कम भाड़े की दर पर कोयला उपलब्ध हो जाता है ।

श्री के० पी० सिन्हा : कोरिया को होने वाले हमारे कोयला के निर्यात में कितनी कमी हुई है ?

श्री आर० जी० दुबे : वर्ष १९५२ में निर्यात १,०१,२९६ टन था, जबकि १९५३ में निर्यात २,००,२०६ टन था ।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि हमने कोरिया जैसे विदेशी बाजारों को खो दिया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह कथन पूर्ण-रुपेण सच नहीं है क्योंकि भारत को जो प्राकृतिक एवं अन्य सुविधायें प्राप्त हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ खोये हुए बाज़ारों को पुनः प्राप्त कर लिया है । जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, वह वाणिज्यिक नीति जिससे प्रतिस्पर्धा में अड़ंगा पड़ा था, हटा दी गई है और विदेशी बाज़ारों से समुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिये व्यापारियों को अन्य सुविधायें दी जा रही हैं ।

सीमान्त घटनायें

*२०५६. **श्री एस० एन० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा पर हुगी नूर मोह-म्मद नामक सीमा स्थित गांव के निकट

१० अप्रैल, १९५४ को पाकिस्तानी पुलिस ने गोली चलानी शुरू की और दोनों ओर से गोलियों का चलना लगभग २४ घंटे तक जारी रहा ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों के फलस्वरूप यह गोली का चलना आरम्भ हुआ ;

(ग) क्या कोई व्यक्ति मारा गया; तथा

(घ) अब यह मामला किस अवस्था पर है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) से (घ). ९ अप्रैल १९५४ को सीमा पर साधारण रूप से गश्त लगाते हुए पंजाब (भारत) सशस्त्र पुलिस के एक दल ने अमृतसर ज़िले के झुगियां नूर मोहम्मद गांव की भू-राजस्व सीमाओं में भारतीय राज्य क्षेत्र पर बहुत सी पाकिस्तान सीमा पुलिस और पाकिस्तान के राष्ट्र जनों के एक दल को पाया । उन्होंने यह भी देखा कि उस क्षेत्र में पाकिस्तानियों ने कुछ मोर्चे खोद दिये थे । चूंकि वह भारतीय राज्य क्षेत्र था, अतः भारतीय पुलिस के गश्ती दल ने पाकिस्तान पुलिस एवं अन्य राष्ट्रजनों से उस क्षेत्र से वापस चले जाने के लिये कहा । पाकिस्तान पुलिस ने ऐसा करने से इन्कार किया और तैयार किये गये मोर्चों में लड़ने के लिये तैयार हो कर बैठ गये । तब पाकिस्तान पुलिस की एक दूसरी टुकड़ी ने, जिसने सीमा के उस पार पाकिस्तान राज्य क्षेत्र में मोर्चे खोद लिये थे, एकाएकी भारतीय दल पर गोली चलानी शुरू कर दी । पाकिस्तान पुलिस की उस टुकड़ी ने भी, जो अनधिकृत रूप से भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आई थी, भारतीय गश्ती दल पर गोली चलानी शुरू की, जिस पर उसने भी आत्म-रक्षा के लिये गोली चलाई और अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास उस हमले की खबर भेज़ दी । उन अधिकारियों ने पाकिस्तानी पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के कई प्रयत्न किये । अन्त में पाकिस्तान पुलिस अधिकारी १० अप्रैल, १९५४ को लगभग २ म० पू० अपने आदमियों को तत्काल गोली बन्द करने का आदेश देने के लिये और १० अप्रैल, १९५४ को ८ म० पू० घटना स्थल पर भारतीय अधिकारियों से मिलने के लिये भी तैयार हो गये ।

भारतीयों की ओर से गोली का चलाया जाना ९ अप्रैल, १९५४ को लगभग ५ म० प० बन्द हो गया । फिर भी पाकिस्तानी पुलिस सारी रात और अगली सुबह तक अन्धाधुन्ध गोलियां चलाती रही ।

कोई भी भारतीय नहीं मरा । दोनों ओर से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी १० अप्रैल १९५४ को घटना स्थल पर मिले और उनकी बातचीत के फलस्वरूप भारतीय तथा पाकिस्तानी, दोनों ही बल उस क्षेत्र से हटा लिये गये ।

श्री एस० एन० दास: जिस भूमि के सम्बन्ध में पाकिस्तान ने विवाद उठाया था, क्या वह पहले भी कभी विवादास्पद थी ?

श्री अनिल के० चन्दा: यह हमें रेडक्लिफ पंचाट द्वारा दिया गया था और १९४९ तक पाकिस्तान के कब्जे में था । तब से यह हमारे कब्ज़े में रहा है और हमारी गश्ती पुलिस इस क्षेत्र में नियमित रूप से आती जाती रही है ।

श्री एस० एन० दास: क्या यह सच है कि पाकिस्तान के ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक और हमारे ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक की बात चीत होने तथा भारतीय पुलिस द्वारा गोली चलाना बन्द किये जाने के बाद भी पाकिस्तानी ओर से गोलियां चलती रहीं ? यदि ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि हमने लगभग ५ बजे मध्याह्न पश्चात् गोली चलाना बन्द किया परन्तु वह अगले दिन प्रातः काल तक गोली चलाते रहे यद्यपि उनके ज्येष्ठ पदाधिकारियों ने २ बजे प्रातः गोली चलाना बन्द करना मान लिया था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या पाकिस्तानी पुलिस द्वारा हमारे राज्य-क्षेत्र में बनाये गये मोर्चे अब पूर्णतया हमारे हाथ में हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी सीमान्त पर अब तक ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनायें न होनी पायें ।

श्री अनिल के० चन्दा : क्या यह १९४७ के पंचाट से संलग्न है ? मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें चाहिये कि विशेष समय के बारे में प्रश्न करें ।

सरदार ए० एस० सहगल : १९५३ में तथा १९५४ के अप्रैल मास तक ।

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे इसके लिये अलग पूर्व सूचना चाहिये ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह कह सकता हूं कि सीमान्त पर इस कालावधि में बहुत ही शान्ति रही है और यह झगड़ा बिना किसी क्षति के निपटाया गया था ।

आल्वे की उर्वरक फैक्टरी

*२०५७. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रावनकोर-कोचीन राज्य में आल्वे में स्थित उर्वरक फैक्टरी की क्षमता बढ़ाने का कोई कार्यक्रम है ; तथा

(ख) यदि है, तो इस के क्या क्या पहलू हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, इस प्रयोजन के लिये एक प्रस्थापना सरकार की भेजी गई थी ।

(ख) मेसर्स फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर, लिमिटेड, का विचार अमोनिया के उत्पादन-क्षमता ४० टन से बढ़ा कर ८० टन करके अमोनियम सल्फेट की वार्षिक उत्पादन क्षमता ४६,००० टन से बढ़ा कर ७५,००० टन करने का है । अन्य नाइट्रोजन वाले उर्वरक, जैसे अमोनियम क्लोराइड तथा अमोनियम फास्फेट का उत्पादन बढ़ाना भी कार्यक्रम में शामिल है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या उर्वरक का उत्पादन कृषकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य मात्रा से पहले ही अधिक नहीं है ?

श्री करमरकर : अन्तिम स्थिति यह है : १९५३ में हम ने ३१९,६१६ टन का उत्पादन किया जब कि प्राक्कलित आवश्यकता ३००,००० टन की थी । परन्तु हमारे विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राक्कलित उपभोग ६००,००० टन तक का होगा ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस फैक्टरी की स्थापना से उर्वरक के मूल्य में कमी होने की आशा है ?

श्री करमरकर : फैक्टरी को कठिनाई हो रही है क्योंकि सिन्दरी उर्वरक फैक्टरी के उर्वरक का दाम कम है । मुझे आशा है कि इस में सुधार करने से मूल्य कुछ कम हो जायेंगे ।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि इन फैक्टरियों में जो उपोत्पाद बनते हैं उन को उपयोग में लाने के क्या लिये नियमित प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री ए० एम० टामस : क्या इस समवाय के पास बहुत माल पड़ा हुआ है और क्या समवाय ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है, और यदि मांगी है तो केन्द्र ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री करमरकर : मुख्य कठिनाई विक्रय मूल्य की थी और हाल ही में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा मूल्य के बारे में कुछ रियायतें दी गई हैं और लगभग २० लाख रुपये की पेशगी दी गई है ।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि आल्वे में उत्पादित अमोनियम सल्फेट का क्या मूल्य है और सिन्दरी में उत्पादित माल के मूल्य की तुलना में यह कैसा बैठता है ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे याद है, सिन्दरी के माल का रेल भाड़ा सहित मूल्य २८८ रुपये प्रति टन था और आल्वे के माल का ३६५ रुपये प्रति टन ।

पाकिस्तान में ज़मीन में गड़े हुए खज़ाने

*२०५८. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त ने उन विस्थापित व्यक्तियों से, जो पश्चिमी पाकिस्तान में ज़मीन के नीचे गड़े हुये खज़ाने छोड़ आये हैं, यह खज़ाने निकालने के हेतु अभिवेदन मांगे हैं ;

(ख) ऐसे कितने अभिवेदन पत्र अब तक प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या ऐसा कोई खज़ाना मिला है ; तथा

(घ) उन स्थानों के संरक्षण के लिये जहां ऐसे खज़ाने रखे हुए हैं अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) ७३९.

(ग) कोई नहीं ।

(घ) इस उद्देश्य से कि ऐसे स्थानों का समय से पूर्व पता न लगे जहां खज़ाने रखे गये हैं, विस्थापित लोगों को परामर्श दिया गया है कि अपने आवेदन पत्रों में गांव, कस्बे अथवा शहर का नाम न बतावें परन्तु केवल उस ज़िले का नाम बतायें जहां ऐसे खज़ाने रखे गये हैं । इसलिये ऐसे स्थानों के संरक्षण का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : सरकार को कैसे पता लगा कि ज़मीन के नीचे दबाई सम्पति के खज़ाने पाकिस्तान में छोड़े गये थे ?

श्री जे० के० भोंसले : हमारे पास ऐसे लोगों के आवेदनपत्र आये जिन्होंने पाकिस्तान में खज़ाने छोड़े थे ।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : जिन स्थानों का पता लग चुका है उनके संरक्षण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जे० के० भोंसले : संरक्षण का कोई प्रश्न ही नहीं । हमने विस्थापित लोगों से पहले ही कहा है कि उस स्थान का नाम न दें जहां खज़ाने हैं, परन्तु केवल ज़िले का नाम दें । जब अन्तिम रूप से प्रबन्ध हो जायेगा, तो कराची तथा लाहौर स्थित उच्चायुक्त इन लोगों को बुलायेंगे और ठीक स्थान मालूम करके खुदाई करके खज़ाने निकालने के लिये आवश्यक पुलिस संरक्षण दिया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

चाय निर्यात

*२०३१. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि सारी की सारी बढ़िया भारतीय चाय सीधे लन्दन भेज दी जाती है ?

(ख) क्या यह सच है कि आयरलैंड को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कलकत्ते के नीलामों में चाय नहीं मिल रही है और इस लिये उसे लन्दन बाजार की शरण लेनी पड़ती है ; तथा

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). सुना जाता है कि आयरलैंड की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार १९५३ में कलकत्ते के नीलामों में चाय नहीं मिली थी । इसका कारण यह था कि उस विशेष प्रकार की चाय का उत्पादन, जिसे साधारणतः आयरलैंड खरीदता है, प्रतिकूल मौसम के कारण कम हुआ था । पिछले वर्षों में आयरलैंड द्वारा कम मात्रा में चाय खरीदने के कारण यह पता नहीं लग सका कि आयरलैंड की चाय सम्बन्धी सीधी आवश्यकता कितनी है, इसी लिये अधिकांश मात्रा में उपलब्ध चाय इंगलैंड भेज दी गई थी ।

मैथन और पंचेट बांध

*२०३६. **श्री वल्लाथरास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा जिन स्थानों पर मैथन और पंचेट बांध बनाये जाने हैं, क्या उनकी परीक्षा भूतत्ववेत्ताओं ने की थी तथा क्या उनकी राय ले ली गई थी ;

(ख) यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मैथन में कांकरीट की नीव रखने का काम कब तक आरम्भ होना है; तथा

(घ) काम आरम्भ करने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) काम १२ फरवरी, १९५४ को आरम्भ कर दिया गया था ; तथा

(घ) समय पर विदेशों से कुछ आवश्यक मशीनें और फालतू पुर्जे न प्राप्त होने के कारण ।

साईकिल के पुर्जों की आयात अनुज्ञप्तियां

*२०३७. **श्री बी० एन० मिश्र** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वास्तविक प्रयोक्ता अनुज्ञप्ति (एक्चुअल यूजर्स लाइसेंस) के अधीन आयात किये गये साइकिल के पुर्जे दूसरे को बेचने पर बाजार में प्रतिबन्ध है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार पुर्जों की बिक्री हो रही है ?

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो 'एक्चुयल यूजर्स लाइसेंस' की शर्तों का उल्लंघन करने वाली सार्थों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). निर्माताओं द्वारा पुर्जों की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सके ।

हिमालय गिरि श्रंगों पर अभियान

*२०३९. **श्री एच० जी० वैष्णव** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिमालय की चोटियों पर चढ़ने का प्रयत्न करने वाले विभिन्न विदेशी अभियानों को पहले से सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर यह स्वीकृति दी जाती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जिस शिखर पर चढ़ाई करनी है यदि वह भारतीय भूप्रदेश में है तो भारत सरकार की अनुमति आवश्यक है ।

(ख) प्रार्थना पत्रों पर मुख्यतया रक्षा की दृष्टि से विचार किया जाता है । जब भी अनुमति दी जाती है तो सामान्यतया यही शर्त रहती है कि अन्तर्रेखा पार नहीं करेंगे ।

दामोदर घाटी निगम

*२०४१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा १९५३-५४ में कितना सामान खरीदा गया ;

(ख) इस सामान में से उत्सर्जन तथा संभरण के महानिदेशक द्वारा और सीधे कितना कितना सामान खरीदा गया; और

(ग) स्वदेश में निर्मित कितने मूल्य की वस्तुएं खरीदी गई ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) ५,३६,३६,०८३ रु० ।

(ख) (१) उत्सर्जन तथा संभरण के महानिदेशक द्वारा ८७,७४,४२३ रु० का सामान खरीदा गया ।

(२) सीधे खरीदे गये सामान का मूल्य ३,९१,३८,५६२ रू० ।

(३) दूसरी सरकारी एजंसियों—रेलवे उत्सर्जन, छपाई तथा स्टेशनरी के उप नियंत्रक और लोहे तथा इस्पात के नियंत्रक के मार्फत ५७,२३,०९८ रू० का सामान खरीदा गया ।

(ग) १,६४,३४,१९० रु० ।

भारतीय प्रमाप संस्था

*२०४४. **श्री तेलकीकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारतीय प्रमाप संस्था का वार्षिक व्यय बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७४]**

सीमावर्ती दुर्घटना

*२०४५. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **प्रधान मंत्री** ७ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतायेंगे :

(क) क्या २ नवम्बर, १९५३ को घटित होने वाली सीमावर्ती दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्निया और दिनाज पुर के जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा संयुक्त जांच की गई है ;

(ख) यदि हां तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं ;

(ग) क्या अपराधी को दंडित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या पीड़ितों के सम्बन्धियों को क्षतिपूर्ति दी गई है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चंदा) : (क) से (घ). दोनों पदाधिकारियों द्वारा २९ जनवरी, १९५४ को एक संयुक्त जांच की गई थी। चूंकि दीनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्षों को पूर्वी बंगाल की सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के साक्ष्य का अध्ययन करना चाहता था एकमत निर्णय नहीं दिये गये। भारतीय आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार से अपने एक विरोध पत्र में प्रार्थना की है कि वह अपराधी को दंड देकर पाकिस्तानी पुलिस द्वारा मारे गये भारतीय नागरिक के उत्तराधिकारियों को उचित मुआवजा दे। इसी बीच बिहार सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को कुछ वित्तीय सहायता स्वीकार की है।

करांची स्थित हमारे उच्च आयुक्त से कहा गया है कि वह पाकिस्तान सरकार से शीघ्र उत्तर देने का आग्रह करे।

कलकत्ता में चाय की नीलामी

*२०५०. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के भारतीय दलाल सार्थों को यूरोपीयों द्वारा प्रबंधित बगीचों से, जो देश में लगभग ८० प्रतिशत चाय का उत्पादन करते हैं, कोई समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सार्थों के हितों के संरक्षण के लिये सरकार कौन सी कार्यवाही करने का विचार करती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). इस आशय के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कलकत्ता की भारतीय दलाल सार्थों को चाय बगीचों से सारभूत रूप से समर्थन नहीं मिल रहा है। यद्यपि मूलभूत रूप में यह एक ऐसा विषय है जिस पर सम्बन्धित दलालों को सीधे चाय बगीचों से बातचीत करना चाहिये, सरकार स्थिति पर ध्यान दे रही है।

कारबन ब्लेक

*२०५४. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश के कार्बन ब्लेक के निर्माण में लीन औद्योगिक यूनिटों की कुल संख्या और १९५३-५४ में उनका अनुमानित उत्पादन ;

(ख) देश में इस वस्तु की कुल आवश्यकता कितनी है और उक्त अवधि में इसका कुल आयात कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) केवल एक यूनिट। १९५३-५४ में इसका उत्पादन १९८,४७६ पौण्ड था।

(ख) लगभग एक करोड़ पौंड प्रति वर्ष। आयात आंकड़े समुद्र-व्यापार लेखा में अलग-अलग प्रलेखित नहीं हैं।

मैसूर में चमड़े का उद्योग

४३८. **श्री एन० राचय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३-५४ में केन्द्र द्वारा मैसूर को चमड़े के उद्योग के लिये कोई वित्तीय सहायता स्वीकार की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो रकम कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) ४७,३०० पये।

कहवा और रबड़ बोर्डों के कर्मचारीवृन्द

४३९. **प्रो० मैथ्यू** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य संविहित निकायों के समान क्या कहवा

और रबड़ बोर्डों के कर्मचारियों के लिये निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था का उपबन्ध किया गया है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस उपबन्ध का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) मामले की जांच की जायेगी ।

सोडियम सलफाइड (क्षारातु शुल्बेय) का आयात

४४०. **श्री ए० के० गोपालन :**
श्री वी० पी० नायर :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जनवरी, जून, १९५४ में क्षारातु शुल्बेय के आयात पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध है ?

(ख) चालू वर्ष में आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) हां, श्रीमान् । लेकिन वास्तविक प्रयोक्ता अपने उपभोग के लिये इसका आयात कर सकते हैं ।

(ख) स्वदेशी उद्योग की सहायता के लिये आंशिक प्रतिबन्ध है ।

वस्त्र

४४१. **श्री एस० एन० दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ (३१ दिसम्बर, १९५३ तक) में निर्यात को छोड़ कर भारत में उपभोग के लिये उपलब्ध वस्त्र का कुल परिमाण कितना है और निम्न बिन्दुओं के अलग-अलग आंकड़ें क्या हैं ;

(१) कुल आयात ;

(२) मिलों में उत्पादन ; और

(३) हथकरघा और खादी का उत्पादन ; और

(ख) उक्त अवधि में भारत से निर्यात किये गये वस्त्र का परिमाण कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सदन पटल पर विवरण पत्र रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७५**.]

मिलों के लिये धोती का अभ्यंश

४४२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९५३ के धोती (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) अधिनियम सं० ३९ की धारा ३ के अधीन मिलों के लिये नियत अभ्यंश बताने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मिलों के लिये कुल अभ्यंश प्रति तिमाही लगभग १४ करोड़ ४१ लाख गज़ होता है ।

मद्रास में नमक उत्पादन

४४३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२, १९५३ तथा १९५४ के वर्षों में मद्रास राज्य में नमक उत्पादन के अन्तर्गत कितनी भूमि थी ;

(ख) इस कालावधि में वहां कितना नमक तैयार किया गया है ;

(ग) उस राज्य में इसकी कुल कितनी फैक्टरियां हैं ;

(घ) क्या प्राइवेट व्यक्ति भी वहां नमक बनाने का काम करते हैं ; तथा

(ङ) यदि करते हैं तो इस राज्य के किन स्थानों में ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :

(क)	एकड़	सेंट
१९५२	७२६३	२६
१९५३	८२८४	६७
१९५४	८२६५	५३

(ख)	मन
१९५२	१,२१,९८,०००
१९५३	१,३२,७२,०००
१९५४	५,३७,०००

(फरवरी के अन्त तक)

(ग) ३४ अनुज्ञा प्राप्त फैक्टरियां ।

(घ) जी हां । मद्रास में कोई सरकारी नमक फैक्टरी नहीं है ।

(ङ) सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७६]**

नोट (१) विवरण में दी गई तथा ऊपर उल्लिखित सूचना का सम्बन्ध केवल उन्हीं क्षेत्रों से है जो कि वर्तमान मद्रास राज्य में हैं । यह सूचना उन क्षेत्रों से सम्बन्धित नहीं जो कि आंध्र में शामिल हैं ।

(२) भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उत्पादन तथा भूमि आदि के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये हैं वह केवल अनुज्ञा प्राप्त फैक्टरियों के हैं । बिना लाइसेंस के उत्पादन आदि के सम्बन्ध में ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं । बिना लाइसेंस के उत्पादन का हाल ही में परिमाप किया गया है, परन्तु अभी यह पूरा नहीं हुआ है ।

नारियल जटा उत्पाद

४४४. **श्री अच्युतन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) दिसम्बर, १९५२ तथा १९५३ में नारियल जटा उत्पादकों के स्टाक की तुलनात्मक स्थिति क्या थी ;

(ख) क्या १९५३ के द्वितीयार्ध में नारियल जटा उत्पादकों का निर्यात बढ़ गया है ;

(ग) यदि बढ़ गया है, तो कितना; तथा

(घ) १९५३ के प्रथमार्ध तथा द्वितीयार्ध में इन उत्पादकों का मूल्य स्तर क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ७७]**

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) मात्रा में ३८,९८१ हंडरवेट तथा मूल्य में ३१·८८ लाख रुपये ।

(घ) १९५३ के प्रथमार्ध में नारियल जटा चट्टाइयों की कीमत ७४ रुपये ६ आने ३ पाई तथा ८५ रुपये ९ आने ८ पाई प्रति हंडरवेट के बीच घटती बढ़ती रही है । १९५३ के द्वितीयार्ध में यह ७६ रुपये १ आना ६ पाई प्रति हंडरवेट से लेकर ८७ रुपये १ आना ८ पाई प्रति हंडरवेट तक थी ।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

४४५. **श्री मुनिस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मार्च, १९५४ में भारत से क्या क्या वस्तुयें पाकिस्तान को निर्यात की गईं ;

(ख) इसी महीने में पाकिस्तान से क्या वस्तुयें आयात की गईं ; तथा

(ग) इस कालावधि में कितने मूल्य का माल आयात किया गया है तथा निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे यथा समय सदन पटल पर रख दिया जायगा ।

सोमवार,
२६ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोकसभा

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

मद्रास बन्दरगाह न्यास बोर्ड तथा कलकत्ता बन्दरगाह आयोग का पुनर्संगठन

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : परिवहन मंत्री द्वारा १७ अगस्त, १९४८ को बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाह न्यास (संगठन) (संशोधन) विधेयक पर हुये विवाद में दिये गये वचन के अनुसार मैं निम्नलिखित पत्रों में से प्रत्येक की एक-एक प्रतिलिपि पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :

(१) परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९-पी० आई० (२५०)।५३, दिनांक १५ फरवरी, १९५४ **[पुस्तकालय में रख दी गई है। देखिये संख्या १० एस०—१२५/५४]**

(२) कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का

पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण **[पुस्तकालय में रख दिया गया है। देखिये एस०—१२६।५४]**

(३) परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३—पी० आई० (१२४)।५३, दिनांक १५ फरवरी, १९५४। **[पुस्तकालय में रख दी गई है। देखिये संख्या स०—१२७/५४]**

(४) मद्रास बंदरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला एक विवरण **[पुस्तकालय में रख दिया गया है। देखिये संख्या एस०—१२८/५४]**

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक

—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू के निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगा जो उन्होंने २४, अप्रैल, १९५४ को रखा था। प्रस्ताव इस प्रकार है :

'कि कतिपय विधियों को ऐसे क्षेत्रों में जिनका संविधान के प्रारम्भ होने से पहले, अपवर्जित या अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों के रूप में प्रशासन किया जाता था, और जो संविधान के प्रारम्भ होने पर, कतिपय राज्यों में विलीन कर दिये गये, लागू करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

श्री जजवाड़े (सन्थाल परगना व हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, परसों जब मैं इस बिल पर बोल रहा था तो इस बिल को लाते हुये हमारे गृह-मंत्री डाक्टर काटजू ने हमें और सदन को बताया था कि यह बिल्कुल निर्विवाद बिल है और यह कौंसिल आफ स्टेट में पास हो चुका है और उन्होंने आशा प्रकट की थी कि यह एक मिनट ही में स्वीकार हो जायेगा । मैंने दुःख प्रकट करते हुये कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद और विधान की मंजूरी होने के बाद भी इस उपेक्षित एरिया को अभी भी उपेक्षित ही समझा जा रहा है और मेरी दृष्टि में स्टेटमेंट एन्ड आब्जेक्ट्स (विवरण तथा उद्देश्य) में जैसा बतलाया गया है उसके अनुसार बिल नहीं बनाया गया है । महोदय, हम लोग जो इस देश के रहने वाले हैं इस नीति को मानते हैं :

हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः

कोई हित की बात अप्रिय भी हो या कुछ दुर्लभ भी प्रतीत होती हो, तो भी हमारे नीतिकारों ने बतलाया है कि :

स किं सखा यस्तु न शास्ति सोऽधिपं,

हितांन्त यः संश्रृणुते स किं प्रभुः ।।

वे सदस्य बुरे हैं जो सच्ची बात सदन के सामने नहीं रखते और वे शासक वर्ग भी बुरे समझे जाते हैं जो उन बातों को नहीं सुनते, हमारी तो यह मान्यता है । कानून की पेचीदा बातों को हम नहीं जानते, हम इस बात को मानते हैं कि इस देश में योग्यतम कानून हमारे अधिकारी वर्ग बनायें उनको इसका पूरा अधिकार है और साथ ही यह भी उचित है कि कानून के नियम और परिस्थिति के अनुसार उन पर आचरण करें, पर जो बात लोगों में स्वाभाविक रूप से रक्खी जाती है, उसे उसी प्रकार इनके सामने रख देने का काम हमारे जिम्में है । महोदय स्टेटमेंट एन्ड आब्जेक्ट्स में यह स्पष्ट बतलाया गया है कि "यह आवश्यक समझा जाता है ..... ।" अन्तिम लाइन पढ़े देता हूं । हमारे यहां जो भी कानून बनाया जाता है उसमें यह उल्लेख करना पड़ता है कि यह इस जिले के लिये लागू होगा या नहीं होगा । एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कोई भी कानून उल्लेख किये बगैर उस एरिया में लागू नहीं होता । इसी केन्द्रीय शासन के जो कानून हैं उनको समान रूप से लागू करने के लिये गवर्नमेंट ने यह मंशा ज़ाहिर की :

"यह आवश्यक समझा जाता है कि सभी केन्द्रीय विधियां उन में समान रूप से लागू हों । यह विधेयक इस उद्देश्य की प्राप्ती करने के लिये बना है ।"

इस समानता के साथ जब यहां इस तरह के कानून लागू करने का विचार है तो मैं नहीं समझा कि केवल एक ही ला संथाल परगना के सिर्फ दो डिवीजन में ही क्यों लागू हो । संथाल परगना के दो ही सब डिवीजन में क्यों लागू किया जाता है और क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार के सभी ला युनिफार्मिटी के साथ समूचे भारत में क्यों नहीं लागू होते ? मेरे ख्याल में इसमें एक वैधानिक बात भी आ जाती है । विधान पास होने के बाद जहां लोक मत के आधार पर यह ऐलान किया गया है कि जनता के मौलिक अधिकार सम्बन्धी जो कानून बनाये जाते हैं, वे सब वर्गों के लिये समान रूप से लागू किये जायेंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस प्रांत और इस वर्ग के लोग इससे क्यों वंचित रखे जाते हैं और इसी लिये मैंने इस पर एक संशोधन भी दिया था और मैं समझता हूं कि यदि सरकार की और कोई मंशा न हो तो सरकार को बिना किसी संकोच के मेरे उस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये । मेरे ख्याल में सरकार के दिमाग पर अभी भी पुरानी बातों का ही असर विद्यमान है, वे

समझते हैं कि ये पिछड़े हुये भूभाग के निवासी जिसम २२ लाख की आबादी ५ हज़ार वर्ग मील के दायरे में फैले हुये हैं वह एक ऐसा हल्का है जो पिछड़े वर्गों के बाशिन्दों से भरा हुआ है । यह भ्रम जो अन्ग्रेज़ी सरकार ने हमारे अन्दर प्रवेश कराया उसे हम अभी भी ढोते जा रहे हैं । सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि संथाल परगना का नाम भ्रमोत्पादक है क्योंकि संथाल परगने के नाम से यह समझा जा सकता है कि वह जिला और वह हलका केवल संथाल लोगों का ही निवास स्थान है, ऐसी बात नहीं है । संथाल ही वहाँ के सर्व प्रथम आदिवासी हैं, ऐसी बात भी नहीं है । इतिहास आपको यह बतला देगा कि १७९० से लेकर सन् १८१० के काल में संथाल परगना में संथाल लोगों का प्रथम प्रवास हुआ और उस हलके में जहां जंगली इलाका था उसको साफ करके उन्होंने आबाद किया और सन्थाल लोग काफी परिश्रमी और उन्नतिशील थे और जब उन्होंने वहां पर प्रवेश किया तो उन्होंने अपने परिश्रम से उस इलाके को जो जंगली इलाका था साफ किया और उसको आबाद किया । अंग्रेजों ने अपने शासन काल में अपने स्वार्थ हेतु दामीन हल्के में उनको रक्खा, उसी इलाके में उनका कंसनट्रेशन कराया और केवल संथाल लोगों को उस इलाके में बसाया और अंग्रेजों ने अपनी उसी प्रसिद्ध नीति 'फूट डालो और शासन करो' की नीति उनके सम्बन्ध में अपनायी । अंग्रेजों ने इसी फूट डालने वाली और वर्ग संघर्ष को कायम करने की नीति अपनाई और वहां के आदि निवासियों और संथालों के बीच में द्वेष भावना का प्रचार करना आरम्भ किया और इस फुट डालने वाली नीति के बल पर अपनी हुकूमत को इस देशवासियों पर कायम रखना चाहा । आप जानते ही हैं कि संथालों की उन्नति के बारे में बहुत सी बातें कही गईं लेकिन अंग्रेजी शासन काल में के १५०, २०० वर्षों में उन्हें शिक्षित बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया और वह इलाका और वहां के बसने वाले केवल कुलियों के जमा करने का डीपो ही बन कर रह गया । अंग्रेजी शासन काल में हमने देखा कि वहां के लोगों को शिक्षित और सभ्य बनाने के नाम पर उस इलाके को ईसाई मिशनरियों का अड्डा बनाया गया और हमारे सन्थाल भाई जो चरित्र की दृष्टि से बहुत ऊंचे थे उनके चरित्र को भी गिराया गया । मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस भ्रम में न रहें कि संथाल परगना केवल ऐसे एक वर्ग की जमात है जो कि बिलकुल असभ्य और पिछड़े हुये हैं, मैं आपको और सदन को बताना चाहता हूं कि संथाल परगना की ख्याति पुराणों में मिलती है और यह हिन्दू संस्कृति का एक प्रसिद्ध स्थान रहा है और यहां का वैद्यनाथ धाम विख्यात है । संथाल परगना पिछड़ा हुआ भाग नहीं है वह काफी सभ्य और प्रगतिशील रहा है ।

इस सब को बतला कर मैं तो यह सिद्ध करना चाहता था कि संथाल परगना पिछड़ा भाग नहीं है और उसकी सभ्यता काफी पुरानी है ।

मैं यह बता रहा था कि संथाल परगने के अन्दर जोकि पिछले समय में उन्नत रहा है, अभी तक इस ऐक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है । राजमहल सब डिवीजन जो कि सभ्यता का शिरोमणि रहा है, उस में से उसे लागू नहीं किया जा रहा है, जामताड़ सब डिवीजन जो कि दामीन एरिया नहीं है, जहां बहुत कम संख्या में आदिवासियों का निवास है, वहां इस ऐक्ट को लागू नहीं किया जा रहा है । मैं नहीं समझता कि स्वाधीनता के बाद इस प्रकार से इस क्षेत्र की उपेक्षा करने का कोई कारण हो सकता है । जो मनोवृत्ति अंग्रेजों के सामने थी, अगर

[श्री जजवाड़े]

वह नहीं है, और मेरे विचार में अब वह नहीं है, तो समूचे हल्के को उन्नत बनाने के ख्याल से, जैसा कि स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एड रीज़न्स में लिखा हुआ है, समस्त हलके में इस विधान को लागू करना चाहिये। केन्द्रीय-सरकार कानून इस समस्त भूभाग पर लागू होने पर हम लोगों को आशा बंधेगी। मैं यह निवेदन करूंगा, आपने, अध्यक्ष महोदय मना किया, मैं आपकी आज्ञा को मानता हूं कि इस ऐक्ट का क्षेत्र सीमित है, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय, हमारे गृह मंत्री महोदय, मन में इस बात को अच्छी तरह से जाने कि संथाल परगना अभी भी किस प्रकार से उपेक्षित हो रहा है। मैं उनके मन में इस बात को बैठाना चाहता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद संथाल परगने के प्रतिनिधियों के आप के पास रहने के बाद भी संथाल परगने की उन्नति न हो सकी तो जैसा कहा गया है कि रत्नाकर के पास रहकर भी अगर कोई दरिद्र रहता है तो उसमें दोष उस मनुष्य का नहीं होता है, दोष रत्नाकर का है, इसी तरह से दोष संथाल परगने वालों का नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि आप उनकी स्थिति को जानें और उन सब की तरक्की की चेष्टा करें। मैं समझता हूं कि आप उनकी स्थिति को जान कर इस कानून को वहां पर जरूर लागू करेंगे। मैं इसी आशा से आप के सामने उनके प्रतिनिधि की हैसियत से आवाज़ उठा रहा हूं। पहले उनके प्रतिनिधि नहीं थे, लेकिन अब मैं समझता हूं कि इस जिले से हम तीन प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं, और तीनो ही एक स्वर में इस आवाज को लगायेंगे। मैं तो आपको विस्तार से सारी बात बताना चाहता था परन्तु शायद समय अधिक नहीं है, आप रोक भी दीजियेगा। यदि मौका मिला तो अमेन्डमेंट पेश करने के समय मैं कुछ कहूंगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि यह काम बहुत अयुक्ति पूर्ण तरीके से किया जा रहा है और मेरे संशोधन को मान लेना चाहिये।

जनता के लिये तात्कालिक महत्व-पूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना।

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नेरौबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री जोकीम अल्वा की एक सूचना नियम २१५ के अन्तर्गत माननीय प्रधान मंत्री का ध्यान जनता के लिए तात्कालिक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करने तथा उस पर भाषण देने के लिये निवेदन करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है। वह विषय है: "गत सप्ताह जिन लोगों पर माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने का सन्देह था उनको सामूहिक रूप से गिरफ्तार करने में भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी लेने के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रियायें।"

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : नेरोबी में परसों जो घटना घटी है वह बड़ी गम्भीर प्रकार की है। मेरे पास उसकी सूचना विस्तार में नहीं है, किन्तु जो भी कुछ जानकारी मुझे इस सम्बन्ध में है, वह मैं सदन के सम्मुख रखूंगा। नेरोबी में इस तथा कथित सामूहिक रूप से गिरफ्तार करने में सैन्य टुकड़ियां नेरोबी स्थित हमारे आयुक्त के कार्यालय में भी घुस गईं थीं। उस समय

स्थानापन्न आयुक्त वहां उपस्थित नहीं थे किन्तु कर्मचारी वर्ग के कुछ और लोग थे। कुछ कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया, दो-एक दराजें, अलमारियां तथा अन्य ऐसी ही चीजें तोड़ फोड़ डाली गईं और सभी अफ्रीकी कर्मचारियों को गिरफ्तार कर वे लोग अपने साथ ले गये। तत्पश्चात यह मामला स्थानापन्न राज्यपाल की जानकारी में लाया गया, और उनके शब्दों में उन्होंने "बड़ी ही नम्रता पूर्वक क्षमा" मांगी और यह कहा कि सेना के द्वारा की जाने वाली एक जांच के साथ ही उन्होंने ने इसकी तत्कालिक जांच करने के लिये आदेश दे दिया है। उन्होंने बताया कि यह घटना सेना को दिये गये निदेशों में भयंकर भूल के परिणामस्वरूप हुई है कि वाणिज्य दूतालय की सीमाओं का आदर किया जाना चाहिये, और इसको सुधारा जा रहा है। उन्होंने यह भी वचन दिया है कि निरोधित अफ्रीकी कर्मचारियों की जांच को प्राथमिकता दी जायेगी। दूसरे दिन प्रधान सेना नायक ने हमारे स्थानापन्न आयुक्त को बुलाया, क्षमा मांगी और आवश्यक कार्यवाही करने का वचन दिया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : क्या वे छोड़ दिये गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली)। गिरफ्तार किये गये लोगों की संख्या क्या थी, और क्या वे छोड़ दिये गये हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कोई भी भारतीय गिरफ्तार नहीं किया गया था। सभी अफ्रीकी कर्मचारी ही ले जाये गये थे, और जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं कि राज्यपाल ने कहा है कि उनकों जांच के लिये ले जाया गया है। उनकी जांच यथा शीघ्र हो जायेगी।

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : चूंकि समय कम है, अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह संक्षेप में बोलें। इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक चर्चा करने की आवश्यकता भी नहीं है किन्तु इसके विषय में कुछ गलत धारणायें हैं। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से विदित होता है कि इसका उद्देश्य उन सभी क्षेत्रों में समानता लाना है जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ नियम अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। उनको अलग करने का नहीं वरन् संघ में मिला लेने की आवश्यकता है। यदि मैं गलत कहता हूं तो माननीय मंत्री इसको ठीक कर सकते हैं।

श्री भक्त दर्शन (ज़िला गढ़वाल—पूर्व व ज़िला मुरादाबाद—उत्तर पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा, जैसा कि आप ने कहा है मुझे बहुत संक्षिप्त होना चाहिये, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कानून सारे भारत के विभिन्न राज्यों में लागू किया जा रहा है, यह इस भावना का प्रतीक है कि हमारी वर्तमान सरकार पिछड़े हुए इलाकों को अन्य उन्नत इलाकों के समक्ष लाना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इन कानूनों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिये और इस लिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिन इलाकों में इन कानूनों को आप लागू करने जा रहे हैं, वहां की जनता कहां तक इसके लिये तैयार है और वह लोग अन्य इलाकों से पिछड़े रहने के कारण कितने पीछे रहे ह,

[श्री भक्त दर्शन]

तथा उन की उन्नति करने का कहां तक प्रयत्न किया जाना है । हमारे गृह मंत्री जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और वहां मंत्री भी रह चुके हैं, वह जानते हैं कि जौनसार-बावर से मिले हुए जो ज़िले उत्तर प्रदेश में हैं वह पहले शेड्यूल्ड क्षेत्र घोषित किये गये थे, लेकिन धीरे धीरे नये कानून पास किये गये और उन ज़िलों को उनके अन्तर्गत लाया गया। केवल जौनसार बावर का इलाका ऐसा है जो उस में नहीं आया था । मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जौनसार बावर में भी नया कानून लागू किया जा रहा है ।

मैं सदन का समय अधिक नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं मंत्री महोदय से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने के साथ साथ यदि इन इलाकों के पिछड़ेपन को हटाने के लिये भी वे प्रयत्न करें । यदि वे आर्थिक सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी सभी परिस्थितियों को समान रूप से उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे तो वहां की जनता इस के लिये उन की सदा आभारी रहेगी

[श्री पाटस्कर पीठासीन हुए]

इन शब्दों के साथ मैं सदन का अधिक समय न लेता हुआ इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जौनसार-बावर की जनता जो इतने दिनों से पिछड़ी हुई है इन सुधारों का हृदय से स्वागत करेगी ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) : मुझे इस विधेयक के उद्देश्य अथवा सिद्धान्त के संबंध में कि जो क्षेत्र पहले अपवर्जित नहीं थे अथवा अंशत: अपवर्जित थे, इस पर कोई आपत्ति नहीं किन्तु अस्पृश्यता-निवारण विधेयक जैसे आवश्यक विधेयक को स्थगित कर ऐसे साधारण विधेयक को प्राथमिकता देने का मैं विरोध करता हूं । यह छोटा सा विधेयक है और इसे इसी अधिवेशन में समाप्त हो जाना चाहिये था जबकि अस्पृश्यता-निवारण विधेयक पर अभी तक कुछ नहीं हो सका ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक को अनावश्यक प्राथमिकता दी गई है और राष्ट्र हित की दृष्टि से जो विधेयक आवश्यक था वह अभी तक ज्यों का त्यों ही पड़ा हुआ है ।

दूसरी बात यह है कि अपवर्जित अथवा अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों को नियमित रूप से प्रशासित ज़िलों के समान बनाया जाना तो चाहिये, किन्तु उस के साथ यह आवश्यक नहीं कि वही अनुन्नत विधान जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, और अधिक नियमित बनाने के लिये उसे अपनाया जाय । जब उन क्षेत्रों में ये नियम लागू नहीं थे तो भला अब उन क्षेत्रों में वही विधान लागू करने से क्या लाभ होगा ?

कोड़े लगाने का दंड तो आज का सभ्य समाज एक जंगली लोगों जैसा व्यवहार समझता है । पुलिस (विद्वेष-उत्तेजन) अधिनियम के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि विद्वेष तो कई प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है यदि असन्तोष होगा तो विद्वेष भी होगा । पुलस (विद्वेष-उत्तेजन) अधिनियम की धारा ३ में विद्वेष की जो व्याख्या दी गई है वह भी अधिक सहायक नहीं है । इस अधिनियम के अधीन सरकार की नीति के निरोध में वैध उपायों के अन्तर्गत की गई कार्यवाही अपराध नहीं है, यदि उन से विद्वेष न फैलाया जाय । अन्यथा वह व्यक्ति दंड का भागी होगा । यदि पुलिस के साथ अन्याय किया जाय और उस की चर्चा की जाय तो यह सरकार में उस की अनुरक्ति कम करेगा और विद्वेष फलाना कहा जायगा । विद्वेष व्यापक शब्द है और सरकार के व्यापक निरोध की इस में सभी प्रकार की बातें आ जाती हैं । राष्ट्रीय आन्दोलन को कुचलने के लिये अंग्रेज़ों ने जो विधि बनाई थी वह इन क्षेत्रों में लागू नहीं होनी

चाहिये। इसलिये मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं सर्वप्रथम यह चाहूंगा कि सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या विद्यमान संवैधानिक उपबन्ध जो सदन में रखे गये हैं, आवश्यक हैं। भारत सरकार अधिनियम की धारा ९२ का उल्लेख करने से कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि अब तो उन सभी चीज़ों के स्थान पर संविधान लागू कर दिया गया है।

संविधान में संघ तथा राज्य सूची है। जो विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आते हैं उन के अतिरिक्त संसद् द्वारा जो भी नियम बनाये जायेंगे वे स्वभावतः सभी राज्यों में लागू होंगे। विलीन क्षेत्र अब पूर्णरूपेण विलीन हो गये हैं और प्रथम तालिका में उल्लेख किये गये राज्यों के अंग बन गये हैं। संविधान का अनुच्छेद ३७२ इस प्रकार है :

"अनुच्छेद ३९५ में निर्दिष्ट अधिनियमितियों का निरसन होने पर भी किन्तु इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले भारत राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधि उसमें तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि सक्षम विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदली, या निरसित या संशोधित न की जाये।"

१९५० में राष्ट्रपति ने विधि आदेश का अनुकलन जारी किया था, जिसके अधीन सभी केन्द्रीय अधिनियम अनुकलित किये गये हैं, और उनका विस्तार अथवा प्रयुक्ति इन क्षेत्रों में भी काफी विशद होगी। उदाहरणतया कोड़े लगाने के अधिनियम को लीजिये। राष्ट्रपति के अनुकलन आदेश के द्वारा इसका अनुकलन किया गया था। इस आदेश के अनुसार यह भाग 'ख' राज्यों को छोड़ कर सारे भारत पर लागू होता है। हम भारत शासन की धारा ९२ के उपबन्धों से तुलना कर के देखते हैं कि हमारे संविधान में क्या वैसा कोई उपबन्ध है। भारत शासन अधिनियम की धारा ९२ में दिया हुआ है कि जब कभी केन्द्रीय सरकार कोई विधान पारित करे, तो राज्यपाल अधिसूचना निकाल कर उसे अपवर्जित क्षेत्रों पर लागू कर सकता है। धारा ९२ के अधीन राज्यपाल की अधिसूचना द्वारा घोषणा के बिना कोई अधिनियम लागू नहीं हो सकता। परन्तु संविधान के उपबन्ध के अन्तर्गत यदि राज्यपाल या राज्य प्रमुख अधिसूचना निकाल कर यह न कह दे कि 'यह उपबन्ध अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा' यह अपने आप लागू हो जाता है। अतः मेरा यह निवेदन है कि संविधान के उपबन्धों, अनुकलन आदेश, अनच्छेद ३७२ और अनुसूची ५ की कंडिका ५ के अन्तर्गत यह अधिनियम संगत नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है, तथा यह गलत बनाया गया है।

यदि यह मान भी लिया जाये कि केवल यही अधिनियम सरकार की आज्ञा से विलीन क्षेत्रों पर लागू होते हैं तो भी मैं कोड़े लगाने के अधिनियम और पुलिस (विद्वेष उत्तेजन) अधिनियम के विस्तार का तीव्र विरोध करता हूं। मैं यह बता दूं कि अंग्रेजों ने लोगों को नीचा दिखाने के लिए ही यह कोड़े लगाने का अधिनियम बनाया था परन्तु अब क्योंकि कांग्रेस सरकार ने सत्ता सम्भाल ली है, हम समझते हैं कि इस प्रकार के अमानवोचित, निर्दयतापूर्ण तथा बर्बरता सूचक विधान नहीं रहने चाहिएं। परन्तु विलीन क्षेत्रों को हमने यह उपहार दिया है। हमने न तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी, न उन्हें भूमि दी, बल्कि हम उन्हें कोड़े दे रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के अनुभव के आधार पर यह बता सकता हूं कि एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता श्री श्रवन को कोड़े मार मार कर मार दिया गया था और १९३७

[श्री एस० एस० मोरे]

में कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त, समिति ने इसकी पुष्टि की थी। इस कोड़े लगाने के अधिनियम को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, किन्तु डा० काटजू फिर भी इस खतरनाक विधान को बनाये रखना चाहते हैं। वे विलीन क्षेत्रों को कोई आर्थिक सुविधा तो दे नहीं सके, बल्कि उन्हें यह कोड़े लगाने का अधिनियम उपहार में दे रहे हैं।

जहां तक संवैधानिक स्थिति का सम्बन्ध है, यह अधिनियम बिल्कुल अनावश्यक है। अन्य बातों के आधार पर भी मैं यह कह सकता हूं कि इस अधिनियम को वहां लागू नहीं करन चाहिए।

श्री हेमब्रोम (संथाल परगना व हज़ारीबाग—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां): सभापति महोदय, मेरे दोस्त श्री रामराज जजवाड़े ने जो सुझाव दिया उसके विषय पर समर्थन कर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट एक बहुत जंगली एरिया है। उस एरिया में रह कर हमने ज़मीन को अच्छी बनाया और खेती का इन्तजाम किया और बहुत सारे कामों को हमने बढ़ाया। उस एरिया में बहुत ज्यादा आबादी आदिवासी बाशिन्दों की है। वह लोग वहां पर आजकल रहते हैं, उनके पहले वहां पर और पहाड़ी लोग भी थे जो कि जंगल और पहाड़ों में रहा करते थे। हमने संथाल परगने की ज़मीन की तरक्की की है। इस एरिया को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की ओर से शेड्यूल्ड एरिया बनाया गया। बाद में वह शेड्यूल्ड एरिया नहीं रहा और उसके ६ सब डिवीजन बना दिये गये। इन ६ परगनों में सिर्फ संथाली लोग ही नहीं हैं, उनमें और भी बहुत जातियां रहती हैं। अभी हमको मालूम हुआ कि कौंसिल आफ स्टेट्स ने यह पास कर दिया कि इन ६ सब डिवीजनों में से दो ही पर (देवघर और गड्डा) एक दूसरा कानून लागू होगा। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और गृह मंत्री जी इस चीज़ की पहले जा कर ठीक से जांच करें। ब्रिटिश शासन के दिनों में वर्तमान कानून को उस एरिया में लागू किया गया था। उन्होंने उस की बाउन्ड्री निश्चित की। उस बाउन्ड्री को हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने स्टेट गवर्नमेन्ट को हिदायत देकर परिवर्तित किया। इस एरिया में हम आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासियों की तमाम सुविधाओं के लिये पहले से बिहार गवर्नमेन्ट ने ध्यान दिया है। अब जो कानून लागू किया जा रहा है उससे आदिवासियों को बहुत तकलीफ मिलेगी, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस पर ध्यान दे। आजकल हमारी गवर्नमेन्ट है, पहले हमारी गवर्नमेन्ट नहीं थी, इसलिये हमारी सुनवाई नहीं होती थी। उस समय मिशनरी लोग हमें तंग किया करते थे। जब से हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हिन्दुस्तान में हुई है उस वक्त से हम लोगों को कुछ बोलने का मौका मिला। हमारी गवर्नमेन्ट को हमारी सुविधाओं का ख्याल रखना चाहिये। हमारे यहां आज भी कोई सिविल रूल नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट में अब भी एक दूसरे की खरीद फरोख्त पर मनाही है। इसी लिये आज तक हम लोग सुखी हुए रहे हैं। हमारे यहां अब तक कोई सुधार का काम नहीं हुआ है। पहले तो हमारे यहां ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने पढ़ना लिखना सिखाया। अब तो चूंकि हमारी गवर्नमेन्ट हो गई है, इसलिये हमें मौका मिल रहा है और स्कूल आदि भी खोले जा रहे हैं। हम लोगों को शिक्षा भी मिल रहा है और आगे चल कर हम सभी कुछ सीख सकेंगे, अभी तक तो हम लोग कोई कागज़ तक पढ़ नहीं सकते थे इसीलिये जो विधान होते थे उनको हम समझ नहीं पाते थे। वहां आजकल भी वही हालत कुछ कुछ चल रही है

जैसे कि अंगरेजों के राज्य में चला करती थी। वहां अब भी मिशनरी लोगों का जोर है और इसके लिये अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया, इसके लिये कुछ न कुछ इन्तज़ाम जल्दी ही करना चाहिये। मिशन वाले काफी रुपये वाले लोग हैं और जो आदमी अशिक्षित हैं उनके बीच में रुपया डाल कर ऐसे लोगों को भुला भटका कर अपना प्रोग्राम पूरा करते हैं। हम लोग तो अभी भी पुरानी ही रीति से रहते हैं। रामचन्द्र के यग में जिस प्रकार धनुष वाण लोग रक्खा करते थे उसी प्रकार से हम लोग भी रखते हैं और आप जा कर देख सकते हैं कि तीर धनुष ले कर हम लोग शादी ब्याह तक करते हैं। हम लोगों के पिछड़ेपन से फायदा उठा कर मिशनरी लोग हमें क्रिश्चियन बनाने का प्रयत्न करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने क्यों उन लोगों को वहां पर आजाद छोड़ दिया है यह मेरी समझ में नहीं आता है। स्टेट गवर्नमेंट उन को कन्ट्रोल नहीं कर सकती है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लोगों का कनेक्शन है इसलिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इस का इन्तजाम करना चाहिये। हम लोग हमेशा अपने जंगलों और झाड़ों की रक्षा किया करते थे, लेकिन फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। उन को इस की आजादी मिली है कि वह अपने हाथ से मुहर लगा कर जिस को चाहें ब्लैक मार्केट से गाछ को बेच देते हैं, लेकिन यदि हम लोगों को खेती के लिये चार हाथ के टुकड़े की दरकार हो तो हम लोगों पर जुल्म किऐ जाते हैं, और हम को जेल में जाना पड़ता है। मैं बहुत दुःख के साथ यह बात आप के सामने कहता हूं। इस लिये हमारे गृह मंत्री महोदय या हमारे प्रधान मंत्री स्वयं जा कर वहां पर देखें और मीटिगें करें और जांच करने के बाद जैसा कानन ठीक समझ वैसा बना दें, इस में हमें कोई ऐतराज नहीं है। जांच करने के बाद जैसा भी कानून सेन्ट्रल गवर्नमेंट बनायेगी हम उस को मानने को तैयार हैं। हम लोग वहां के रहने वाले हैं हमारी हालत को हमारे बीच में जा कर ही उन को देखना चाहिये। जहां पर आदिवासियों की मैजारिटी है वहीं पर जाकर उनको पता चल सकता है कि उन की क्या हालत है। चूंकि यह लोग संथाली भाषा बोलते हैं इसलिये वहां पर जो मैथिली भाषा है उसको भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ऐसी हालत में आदिवासी ऐरिया में कानून को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अंगरेजी शासन काल में जिस तरह से वह लोग चाहते थे, करते थे। उन्होंने ही हमारी बाउन्ड्री तय की हुई थी। हम समझते हैं कि जो कुछ ब्रिटिश शासन काल में हुआ था उसको अपनी आंखों से जा कर देखिये और उसके बाद जैसे चाहें कानून बनाइये हम लोग उसके लिये राजी हैं, उस में हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : सभापति जी, अभी हमारे दो मित्रों ने श्री जजवाड़े और श्री हेमब्रोम ने जो कि संथाली मेम्बर हैं इस सभा के सामने और माननीय मंत्री जी के सामने यह विचार रक्खा था कि जब आप इस विधेयक को इस सभा में लाये हैं तो उस का उद्देश्य यही है कि उन क्षेत्रों में जहां आज तक सामान्य कानून एक तरह से लागू नहीं किये जाते हैं, वहां ये कानून लागू किया जाय। मुझे मालूम है कि अब तक जो भी कानून देश में आज तक पास हुए, उस के सम्बन्ध में संथाल परगने के लिये अलग से यह आर्डर देना पड़ता था कि यह देश के और भागों में ही नहीं बल्कि संथाल परगने में लागू किया जायेगा। आज तक यह तरीका चला आ रहा है। इस का कारण मुख्यतः यह है कि ब्रिटिश शासन के समय में उन की संकुचित मनोवृत्ति के कारण इस को अलग

[श्री भागवत झा आज़ाद]

रक्खा गया । इस का एक मात्र उद्देश्य यह था कि चूंकि किसी कानून के लाने से संथाल परगने का जो एरिया है वह भी उन्नत हो जायेगा, इस लिये उस कानून को वहां पर न लागू किया जाय । आपने इस प्रथा को बदला नहीं । इसका परिणाम यह कि आप ने जो जो कानून बनाये वे कानून आप ने उन क्षेत्रों में लागू किये जिन का आप को पूर्ण विकास करना था और विकास हुआ । लेकिन आप ने उन को संथाल परगने के क्षेत्र के सब विभागों पर उन को लागू नहीं किया विशेषकर उन स्थानों पर जहां के लोग पिछड़े हुए हैं, दबे हैं । वहां के लोग आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र अपने को नहीं अनुभव करते, वह आधुनिक सभ्यता से भी बहुत दूर हैं । इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि आज के ज़माने में जो हमारी लोकप्रिय सरकार है, वह इस विधेयक को इस सभा में ला रही है, जिस के जरिये वह यह चाहती है कि दो सब डिविजनों को भी अपने कानून के पर्व्यू में ले आये, वह बाकी के सब डिवीजनों को भी इसमें ले ले । इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सिर्फ गोड्डा और देवघर सब डिवीजनों को न ले, बल्कि संथाल परगने में जो चार और भी सब-डिवीजन हैं उन को भी अपने विधेयक के अन्दर ले ले । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर सरकार की इच्छा क्या है । हो सकता है कि उस के पास इस के लिये कोई कारण हो, लेकिन हम लोग यह जानना चाहते हैं, कि राजमहल, पाकूड़, जामताड़ा और साहब गंज सब डिवीजनों को इस विधेयक के अन्दर क्यों नहीं लिया जा रहा है । क्या इस लिये कि गोड्डा और देवघर सब डिवीजनों की हालत अच्छी है । यह अवश्य है कि गोड्डा और देवघर सब डिवीजन कुछ उन्नत सब डिवीजन हैं, लेकिन इस का कोई कारण मालूम नहीं होता कि उस को अलग कर दिया गया ।

आप के इस विधेयक का उद्देश्य बहुत सुन्दर है और इस के सिद्धान्त से हम लोग सहमत हैं, हम समझते हैं कि गृह मंत्री ने यह बहुत बड़ा कार्य किया है, लेकिन साथ साथ हम यह भी समझते हैं कि गृह मंत्री का कार्य अभी सम्पूर्ण नहीं है, पीसमील है । आपने उन लोगों को छोड़ दिया है जो इस जिले के पुराने रहने वाले हैं । आपने उनके साथ वही सुलूक किया है जो किसी लोक प्रिय सरकार को नहीं करना चाहिये । यह वैसा ही सुलूक है जो ब्रिटिश काल में होता था और जो किसी भी शासन के लिये लज्जापूर्ण था ।

आज आप ने जो काम उठाया है, और जो आप इन एरियाज को अपने कानून के अन्दर लेना चाहते हैं तो मेरी आप से यह अपील है कि सिर्फ गोड्डा और देवघर सब डिवीजनों को ही न लें, बल्कि संथाल परगने के सभी डिवीजनों को लें ।

मुझे इतना ही कहना है । मोरे साहब ने कहा कि यह आटोमैटिकली लागू हो जायेगा, तो इस में मुझे कोई ऐतराज नहीं है । लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक के लिये मेरा कहना है कि जैसा कि मेरे दो मित्रों, श्री हेमब्रोम और श्री जजवाड़े, ने कहा है उस को इस के अन्दर लिया जाये । श्री हेमब्रोम संथालों के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने यह मांग की है कि इस क्षेत्र के अन्दर यह कानून लागू किया जाय क्योंकि इस के बिना आज तक बहुत जुल्म होता रहा है । ऐसा करना न्याय करना होगा । इन शब्दों के साथ मैं आप से अनुरोध करता हूं कि श्री जजवाड़े ने जो अमेंडमेंट दिया है उस को मान लिया जाय ।

डा० काटजू : माननीय सदस्यों के भाषण एक दूसरे का खंडन करने वाले हैं और उन्होंने एक दूसरे की बातों का उत्तर

दे दिया है । सब से पुहले मैं विधेयकों की प्राथमिकता के बारे में जो शिकायत की गई है उस के बारे में कुछ कहूंगा । अस्पृश्यता विधेयक को रोक रखने के सम्बन्ध में कुछ बहुत ही बुरा उद्देश्य होने का आरोप लगाया गया है, किन्तु यह बिल्कुल निराधार है । यह विधेयक राज्य परिषद् में बिल्कुल औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था और उस के द्वारा पारित होने पर हमारे पास आ गया । सदन की कार्यवाही पर विचार करते समय यह सोचा गया था कि द्वितीय सदन से आने वाले सभी विधेयकों को रोका न जाये और पारित कर दिया जाये । इसी कारण इसे राज्य परिषद् द्वारा पारित विधेयकों की सूची में सम्मिलित किया गया था । इस के पीछे और कोई कारण नहीं है ।

श्री मोरे ने यह कहा था कि संविधान के पारित हो जाने पर सभी क्षेत्र संघ का भाग बन गये हैं और इस लिये सभी विधान उन पर स्वयं लागू हो जाते हैं, अतः यह विधेयक अनावश्यक है । यह तो एक दृष्टिकोण है, किन्तु जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने स्वयं कहा १९३५ के भारत शासन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अपवर्जित तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र थे जिन में राज्य पाल के आदेश से विधियां लागू होती थीं । वर्तमान संविधान में 'अपवर्जित क्षेत्र' तथा आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र— ये शब्द उड़ा दिये गये हैं । अब संविधान की अनुसूचीं ५ तथा ६ के अधीन अनुसूचित क्षेत्र हैं । संभव है मेरे माननीय मित्र की यह बात ठीक हो कि प्रत्येक अधिनियम स्वयमेव लागू हो जाता है किन्तु हमें यह सलाह दी गई थी कि यह विषय संदिग्ध है और इसलिये इस विषय में एक स्पष्ट अधिनियम बनाना अच्छा होगा ।

श्री एस० एस० मोरे : यदि आप को संदेह है तो आप इस अनावश्यक विधान को बनाने की अपेक्षा अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत इस विषय को उच्चतम न्यायालय को क्यों नहीं निर्दिष्ट कर देते ?

डा० काटजू : मैं भविष्य में इस बात को याद रखूंगा और प्रति दिन हर बात के लिये उच्चतम न्यायालय को कष्ट दूंगा । फिर तो वह न्यायालय और कोई कार्य नहीं कर सकेगा ।

मैं इस विधेयक की उत्पत्ति के कारण बता रहा था । हम ने विभिन्न राज्य सरकारों से यह पूछा था कि हम ने संघ सूची में अब जो अधिनियम सम्मिलित किये हैं क्या उन में से कोई ऐसा है जो इस समय अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता । हम ने जिन राज्यों को पत्र भेजे उन में से केवल पांच ने उत्तर दिया और एक लम्बी सूची हमारे पास भेज दी हम ने उसे आगे भेज दिया । तो मेरे माननीय मित्र यह कहने लगे कि यह अनावश्यक है । मान लीजिये कि यह अनाश्वकय है और प्रत्येक केन्द्रीय अधिनियम स्वयमेव लागू हो जाता है । तो मेरे माननीय मित्र को कोड़े लगाने के अधिनियम के सम्बन्ध में यह तर्क करने की क्या आवश्यकता थी कि इस को वापस ले लीजिये, क्योंकि यह अनावश्यक है । और इसे बढ़ा कर इसके स्थान पर एक बड़ा अधिनियम बना दिया जाये । मेरे माननीय मित्र कोड़े लगाने के अधिनियम और नैतिक अनाचार के सम्बन्ध में इतना हल्ला-गुल्ला मचा रहे थे । केवल एक राज्य सरकार ने इसे लागू करने की सिफारिश की है और किसी भी अन्य राज्य ने इस की मांग नहीं की, क्योंकि उन राज्यों में जो अधिनियम लागू है, उन में कोड़े लगाने के दंड की व्यवस्था है । मेरे पास बम्बई के सम्बन्ध में आंकड़े हैं : १९५१ में बम्बई में ९६१, ५७१ अभियोग चलाये गये थे । इन में से केवल ५२ मामलों में कोड़े लगाने का दंड दिया गया था । वास्तव में गृह मंत्रालय में

[डा० काटजू]

इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि यह दंड बिल्कुल हटा दिया जाये, या इसे केवल थोड़े से मामलों तक सीमित रखा जाये इस सम्बन्ध में न्यायिक मत और लोक मत में भेद है। मैं ने न्याय के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले योग्य व्यक्तियों से सुना है कि कुछ प्रकार के अपराधों--नैतिक पतन के अपराधों या स्त्रियों तथा बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार के अपराधों--के लिये कोड़े लगाने से अधिक उपयुक्त और कोई दंड नहीं है। ऐसे अपराधियों के लिये उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान पर कोड़े लगाना ही एकमात्र दंड है, वे अपराधी चाहे अनुसूचित जातियों के हों या तथाकथित ऊंची जातियों के।

इसमें कुछ क्षेत्र सम्मिलित नहीं किये गये हैं और हम बिहार सरकार की सिफारिशों के अनुसार काम कर रहे थे। मैं बिहार सरकार से पूछ ताछ करूंगा और जो माननीय सदस्य ने कहा है यदि वह ठीक है तो हम उसका समाधान करेंगे। यदि हम कार्यपालिका आदेश से ऐसा कर सकेंगे तो हम इसे स्वयं कर देंगे अन्यथा इसे अन्य प्रकार से ठीक कर ेंगे। उन क्षेत्रों को भारत के अन्य भागों के समान ही लाभ प्राप्त हैं।

श्री भागवत झा आजाद : क्या बिहार सरकार ने इन क्षेत्रों को सम्मिलित न करने के कोई कारण बताये ?

डा० काटजू : मैं इस की पूछ ताछ करके आप को बता दूंगा। यदि इस के लिये विधान बनाना पड़ेगा तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी किन्तु पहिले यह विधेयक तो पारित कर दिया जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय विधियों को ऐसे क्षेत्रों, में जिनका, संविधान के प्रारम्भ होने से पहले अपवर्जित या अंशतः अपवर्जित क्षेत्रों के रूप में प्रशासन किया जाता था, और जो संविधान के प्रारम्भ होने पर कतिपय राज्यों में विलीन कर दिये गये, लागू करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २--परिभाषायें

सभापति महोदय : अब हम खंडशः विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ३--विधियों का विस्तार

श्री जजवाड़े (सन्थाल परगना व हजारीबाग) : गृह मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची १ से ५ तक, खण्ड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यास राज्य क्षेत्र तथा आश्रित क्षेत्र आयोग के भारतीय प्रतिनिधि ने कोड़ा लगाने के दण्ड का विरोध किया था और वह इस के विरुद्ध बोले थे। हमें इस प्रकार के दंड के औचित्य पर ध्यानपूर्वक

विचार करना चाहिये । हमारा सारकार से निवेदन है कि इस प्रकार के दण्ड को यथाशीघ्र हटा देना चाहिये ।

डा० काटजू : हम इस विधान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के सुझाव का ध्यान रखेंगे ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कतिपय मामलों में औषधियों के विज्ञापन पर नियंत्रण करने, कुछ प्रयोजनों के लिये जादुई गुणों वाले कथित उपचारों के विज्ञापन का प्रतिषेध करने और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया विचार किया जाये ।"

मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का विरोध नहीं किया जायगा और जैसा कि द्वितीय सदन में हुआ था इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जायेगा । मुझे इस बात से बड़ी चिन्ता हुई कि कुछ वर्षों से विभिन्न बीमारियों के तथाकथित आश्चर्यजनक इलाजों के सम्बन्ध में आपत्तिजनक विज्ञापनों की संख्या बढ़ती रही है और ये अश्लील तो हैं ही किन्तु खतरनाक भी हैं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये औषधि नियमों में एक ऐसा उपबन्ध है जिसके अनुसार ऐसी औषधियां नहीं बनाई जा सकती हैं या मंगाई नहीं जा सकती हैं जिन की शीशियों के कागज के या उसके विवरण में इस बात का उल्लेख हो कि उन से कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं । किन्तु इस अभिप्राय के लिये यह उपबन्ध भी अपर्याप्त पाया गया ।

मुझे कुछ संशोधनों की सूचना मिली है, किन्तु मुझे खेद है कि मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती । विधि मंत्रालय ने भी हमें यही बताया है कि कुछ प्रस्तावित संशोधनों से उस में कोई विशेष अन्तर नहीं होगा । उन में से एक दो तो ऐसे हैं जिन पर मुझे आपत्ति है और जब वे प्रस्तुत होंगे तब मैं उन पर कुछ कहूंगी । मेरा सदन से निवेदन है कि वह इस विधेयक को पारित कर ले ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई–उपनगर) : औषधि अधिनियम के अन्तर्गत औषधियों को बनाने, उनके बेचने तथा वितरण के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं । किन्तु इन औषधियों के विज्ञापनों से जनता को बहुत हानि होती है । स्वास्थ्य के लिये भोजन के बाद औषधियां ही आती हैं । इसलिये जो औषधि व्यापारी हैं उनको यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि उनके इस कार्य का प्रभाव लोगों के जीवन तथा स्वास्थ्य पर पड़ता है । गत शताब्दी में चिकित्सा विज्ञान ने बहुत अधिक उन्नति की है । दवाओं को बेचने के लिये इन के विज्ञापन के तरीकों को महत्व दिया जाता है । कुछ लोग ऐसे हैं जो सब प्रकार की औषधियों के प्रयोग तथा जादुई चिकित्सा की सलाह देते हैं । नकली औषधियों का विज्ञापन बहुत बढ़ गया है और इसके रोकने की आवश्यकता है । इन औषधियों का बड़े अनैतिक तरीके से विज्ञापन किया जाता है और मुझे महिला डाक्टरों ने बताया कि इन औषधियों से स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है ।

कुछ मास पूर्व अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया

[श्रीमती जयश्री]

था और इन विज्ञापनों की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि यह विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है और मुझे आशा है कि सदन इसे स्वीकार कर लेगा ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन के लिये सरकार ने चिकित्सा सम्बन्धी अधिक प्रबन्ध नहीं किये हैं। इसलिये लोग ऐसे आदमियों से औषधियां और दवायें लेते हैं जो चिकित्सक नहीं होते हैं और जो जादुई दवायें बेचते हैं । उड़ीसा में १३ वर्षीय एक नैपाली बाबा ने इस प्रकार की चिकित्सा करनी और दवा देनी आरम्भ की। बहुत से लोग उसके पास गये और कुछ समय बाद वहां हैजा हो गया । त्रावनकोर-कोचीन में भी इस प्रकार की बात हुई । इन घटनाओं के अनुभवों के आधार पर अधिकारियों ने कुछ कार्यवाही की ।

इस का कारण क्या है? हमारे जो थोड़े से अस्पताल हैं उन में डाक्टरों आदि की पर्याप्त संख्या नहीं है । बीमार वहां इलाज के लिये तीन या चार घंटे तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते ।

खाद्य अपमिश्रण विधेयक के बारे में मुझे मालूम नहीं कि इसे कब प्रस्तुत किया जायगा । इसके मामले में भी सरकार को शीघ्रता करनी चाहिये । हमारे देश में किसी भी चीज़ को दवा के रूप में बेचा जा सकता है । कुनैन के बारे में यह विज्ञापन होता है कि उसमें १० ग्रेन है किन्तु उन गोलियों में आधी ग्रेन भी कुनैन नहीं होती। इन्हीं बातों के कारण औषधि अधिनियमों की आवश्यकता है ।

सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह औषधियां बनाये और उन्हें सस्ते दामों पर बेचे या मुफ्त बेचे । हमारे देश में बहुत अधिक अन्धविश्वास है और ऐसी दवायें बेचने वाले लोग इससे लाभ उठाते हैं । लोग ताबीज तथा जादू की अंगूठियों के विज्ञापन देते हैं ।

खण्ड १५ में ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जिन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता । इन में रजिस्टर्ड डाक्टर आते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि स्वास्थ्य मंत्री को परामर्श देने वाले अनुभवी डाक्टरों ने इस बात को कैसे मान लिया। चिकित्सा व्यवसाय में एक अच्छी बात यह है कि उस में विज्ञापन को अच्छा नहीं समझा जाता और विज्ञापन देने की मनाई है । यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विज्ञापन देता है तो रजिस्टर में से उसका नाम हटाया जा सकता है । किन्तु इस विधेयक के अन्तर्गत चिकित्सा व्यवसायी अपना विज्ञापन दे सकेंगे और इस प्रकार उसका सम्मान स्तर नीचा हो जायेगा । मुझे विश्वास है कि चिकित्सा परिषद् इस बात को स्वीकार नहीं करेगी ।

सभापति महोदय : क्या आप उप खण्ड (क) का निर्देश कर रहे हैं ।

डा० रामा राव : मैं चाहता हूं कि इसे पूर्ण रूप से हटा दिया जाये। विदेशी औशधियों के बारे में यह दिया हुआ है कि समुद्र सीमा अधिनियम के अन्तर्गत सरकार विदेशी औषधियों के किसी विशेष विज्ञापन या किसी विशेष पत्रिका पर प्रतिबन्ध लगा सकती है । किन्तु ऐसे किये जाने से पूर्व यह पूरे देश में मिल सकती है। मुझे आशा है कि नियम बनाते समय सरकार विदेशी विज्ञापन वाले पत्र पत्रिकाओं के भारत में आने पर रोक लगाने की बात का ध्यान रखेगी ।

सिनेमा पत्रिकाओं तथा सस्ती पत्रिकाओं में बड़े अश्लील प्रकार के विज्ञापन

दिये जाते हैं। इसमें लड़कियों के मासिक धर्म सम्बन्धी विज्ञापन होते हैं। एक विज्ञापन में 'फैमिली प्लानिंग' (परिवार आयोजन) शीर्षक के अन्तर्गत श्री गाडगिल का नाम भी दिया हुआ है। ये इतने अश्लील होते हैं कि इन्हें यहां पढ़ा नहीं जा सकता। गृह मंत्रालय को ऐसे विज्ञापनों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय : यह तो अश्लील विज्ञापनों में आता है।

डा० रामा राव : कुछ भी हो, गृह कार्य मंत्रालय बहुत कुछ समय इन चीज़ों पर लगा रहा है . . .

डा० सुरेश चन्द्र (औरंगाबाद) : क्या मैं समाचार-पत्र का नाम जान सकता हूं।

डा० रामा राव : मैं विज्ञापन करना नहीं चाहता।

एक माननीय सदस्य : आप को समाचार पत्र का नाम अवश्य देना चाहिये।

डा० रामा राव : मेरे माननीय मित्र श्री गाडगिल का नाम 'हिन्दू' में निकला था। दूसरा विज्ञापन 'ब्लिट्ज़' में निकला था और एक 'कैराला कौमुदी' में।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार सुझाये गये आधार पर नियम बनाने का प्रयत्न करेगी।

सभापति महोदय : इस विधेयक का कुछ ऐसा विरोध नहीं हो रहा है, अतः अच्छा होगा यदि माननीय सदस्य अपने विचार संक्षेप से प्रस्तुत करें और अधिक विस्तार में न जायें। ऐसा करने से हमारा जो समय बचेगा वह अन्य विधेयकों पर लगाया जा सकता है। सदस्यों को एक ही बात को बार बार दुहराना अथवा विज्ञापनों का उद्धरण नहीं करना चाहिये।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : मैं इस विधेयक पर विचार सम्बन्धी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब मैं बम्बई विधान सभा का सदस्य था तो मैं ने भी इसी आशय का एक प्रस्ताव वहां प्रस्तुत किया था। ऐसे विज्ञापन दो तीन प्रकार के होते हैं : एक प्रकार तो वह है जिस में जादुई चिकित्सा तावीज़, कवच आदि की बात होती है। दूसरे अश्लील प्रकार के विज्ञापन होते हैं। ऐसे एक विज्ञापन का शीर्ष था "चप्पल की मार" और उस में यह बताया गया था कि एक आदमी को उस की स्त्री चप्पल से इस लिये मार रही थी कि वह उस की काम वासना को तृप्त नहीं कर सकता था। इस प्रकार के विज्ञापनों को न केवल बन्द ही कर देना होगा अपितु इन्हें छापने वाले पत्र पत्रिकाओं को भी दंड देना चाहिये।

एक और प्रकार के विज्ञापन ऐसे होते हैं जो झूठे और आधारहीन होते हैं यद्यपि स्पष्टतः अश्लील नहीं होते। और ऐसे अपराधों के लिये केवल जुर्माना ही काफी नहीं वरण कारावास का दंड भी होना चाहिये।

मैं इस विधेयक का पूर्णतः समर्थन करता हूं।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : इस विधेयक को पारित कर देना ही काफी नहीं होगा, इस की कार्यान्विति पूरे जोर के साथ होनी चाहिये। कुछ विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जो स्वयं तो आपत्तिजनक नहीं होते किन्तु वे किन्हीं पुस्तिकाओं का प्रशंसात्मक उल्लेख करते हैं और वे पुस्तिकायें बहुत अश्लील और आपत्तिजनक होती हैं। अतः ऐसे विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिये। यह देखने में आया है कि केवल ग्रामीण और भोले भाले लोग ही इन विज्ञापनों का

[श्री सी० आर० नरसिंहन्]

शिकार नहीं होते वरन कभी कभी अच्छे भले पढ़े लिखे भी बुद्धू बन जाते हैं ।

राष्ट्रपति के देहान्त पर मद्रास के एक व्यक्ति ने यह प्रकट किया कि मैं उन्हें पुनर्जीवित कर सकता हूं और यद्यपि यह एक मानने योग्य बात नहीं थी तो भी उस व्यक्ति को विमान द्वारा दिल्ली लाया गया किन्तु यहां आने पर जब उसने अनाप शनाप बातें करनी शुरू कीं तो उसे फिर वापिस भिजवा दिया गया ।

मुझे आशा है कि विधान बन जाने पर यह विधेयक ऐसे विज्ञापनों को बन्द करने में बहुत प्रभावी सिद्ध होगा ।

श्री खर्डेकर (कोल्हापुर व सतारा) : मैं इस विधेयक के अभिप्राय का तो स्वागत करता हूं किन्तु मैं समझता हूं कि इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षा तथा यथेष्ट प्रचार द्वारा करनी चाहिये । इस के लिये विधान बनाने का मैं विरोध करता हूं । आज यह विधान बनाया जा रहा है तो कल यह भी हो सकता है कि इस बारे में भी विधान बनाने का प्रयत्न किया जाय कि हमें क्या खाना पीना चाहिये, किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिये, क्या पढ़ना तथा विचारना चाहिये इत्यादि । यह एक गम्भीर खतरा देश के सामने है । आज का जमाना विज्ञापनों का है तथा यदि हम इन पर रोक लगा दें तो यह एक प्रतिक्रियावादी कार्यवाही होगी । अभी जब कांग्रेस पार्टी के अनुयायी कम हो रहे थे तो कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू की लोकप्रियता से फायदा उठा कर उन के नाम पर वोट लेने शुरू किये । स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "लोगों को मुझे वोट देना चाहिये क्योंकि प्रधान मंत्री मुझे पसंद करते हैं ।" क्या इस तरह की बातें करना भ्रामक विज्ञापन से कुछ कम हैसियत रखती है ?

राजकुमारी अमृतकौर : माननीय सदस्य ने जो मुझ पर आरोप लगाये ह, उनका मैं पूर्णतः खंडन करती हूं । यह बिल्कुल गलत है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को दूसरे माननीय सदस्यों के बारे में इस तरह न कहना चाहिये ।

श्री खर्डेकर : यदि भ्रामक विज्ञापनों को प्रतिषिद्ध किया जाये तो न मालूम कितने निर्वाचन घोषणापत्रों तथा कार्यक्रमों को रद्द किया जा सकता है ।

हमारे देश में चिकित्सा सुविधायें अपर्याप्त हैं । केवल दस से पन्द्रह प्रतिशत लोगों को यह सुविधायें मिलती हैं । अभी सांप के काटे के किसी मामले को ही लीजिये, भारत में केवल चार पांच किस्म के सांप ऐसे हैं जो कि खतरनाक हैं । इन के काटे के लिये हाफकिन इन्स्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई दवाई पर्याप्त है । किन्तु इस के अलावा सैंकड़ों ऐसे मामले होते हैं जो वास्तव में इतने खतरनाक नहीं होते हैं । तथा जिन का स्थानीय इलाज ही होता है । यदि ऐसे व्यक्ति वह स्थानीय इलाज न करा पायेंगे तो वह वहम के डर से ही प्राण त्याग कर बैठेंगे । पूर्व के लोग कुछ पुराने फैशन के हैं तथा यहां कई ऐसे रहस्य हैं जिनका विज्ञान भी उद्घाटन नहीं कर सका है ।

यह विश्वास की बात होती है । यदि अलोपैथिक दवाइयों में भी आपका विश्वास न हो तो वह आप के मर्ज को दूर नहीं कर सकती हैं ।

'बूढ़ों को जवान बनाने की दवाइयों' से सम्बन्धित विज्ञापनों में खराबी क्या है । वह कम से कम लोगों में एक आशा पैदा कर देते हैं कि उनकी युवा अवस्था फिर आ सकती

है । समाचारपत्रों में तरह तरह की दिलचस्प बातें होती हैं । अगर ऐसे विज्ञापन भी वहां हों तो हर्जा क्या है ?

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

मैं ने अपने संशोधन में कहा है कि गर्भाधान रोकने पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये । हमें मालूम है कि देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तथा यदि लोग और तरीकों से इसे रोकने का प्रयत्न करेंगे तो उन्हें क्यों रोका जाये । निस्सन्देह लोगों को जान बूझ के गर्भपात करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री आर० के० चौधरी : इस विधेयक पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है । पहला दृष्टिकोण यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य आपत्तिजनक औषधियों तथा जादुई उपचारों के प्रयोग को रोकना है । परन्तु इसे रोकने का तरीका क्या है ? यह उद्देश्य पूर्ति इन औषधियों आदि से सम्बन्धित विज्ञापनों को बन्द कर के नहीं की जा सकती है । विधेयक में केवल इन विज्ञापनों को रोकने की बात कही गई है ।

इस देश में लोग चिरकाल से इन दवाइयों पर निर्भर रहे हैं । उदाहरणतः रतिज रोगों को लीजिये । इंजक्शनों आदि के आविष्कार से पूर्व असंख्य लोग देशीय इलाज का सहारा लेते थे तथा वह ठीक भी हो जाते थे । क्या आप इस तरह की दवाइयों के विज्ञापनों को बन्द करेंगे ।

मैथुन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों के विज्ञापन दिये जाते हैं । आप इन पर रोक कैसे लगा सकते हैं । जब तक कि आप इन दवाइयों के तत्वों को न जान जायें । इन्हें उपयोग में लाना या न लाना जनता के सद्विचारों पर छोड़ा जाना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बुराई को दूर करने का यह तरीका नहीं । कोई यह नहीं कह सकता कि यह दवाइयां बिल्कुल अप्रभावी हैं । इन दवाइयों के साथ मंत्र तथा पूजा आदि की बात भी आ जाती है । एक व्यक्ति का १३ वर्ष तक कोई पुत्र नहीं हुआ । उसने कामाख्या मन्दिर में किसी सज्जन से कोई दवाई ली तथा उसे पुत्र हुआ । मुझे इस घटना का स्वयं ज्ञान है । अब यदि इसे मैं विज्ञापित करूं तो क्या आप मुझ पर मुकदमा चलायेंगे ।

इसी तरह मैं एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण पेश कर सकता हूं जिसे दवाइयों का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं किन्तु जो हड्डियां जोड़ तथा बिठा सकता है । वह कुछ जड़ी बूटियां देता है तो यह काम सफलता से करता है । इसी तरह की और और बातें हैं । आसाम राज्य के नवगांग ज़िले में मायांग एक गांव है जहां कि जंत्र तंत्र जानने वाला एक व्यक्ति है । उस के पास निमोनिया की दवाई थी । यदि रोगी उसे वक्त पर इस्तमाल करता था तो वह बच जाता था । उन दिनों इस के लिये एलोपेथी की दवाइयां आदि उपलब्ध नहीं थीं । और भी इस तरह के कई रोग तथा कई दवाइयां हैं ।

अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक आज से दस वर्ष बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । उस समय तक हमें काफी अनुभव प्राप्त होता । मैं ने माननीय मंत्री को पहले ही कुछ जड़ी बूटियां दी हैं । उन्होंने वह परीक्षण के लिये प्रयोगशालाओं में भेज दी हैं । मैं इस के लिये उनका आभारी हूं ।

क्योंकि इस विधेयक में लिंग मूलक विषय विचार विमर्श के लिये रखे गये हैं, इसलिये मेरा विचार है कि मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह कहना चाहिये कि

[श्री आर० के० चौधरी]

उन्होंने कम से कम लिंग परिवर्तन के मामले में इस देश में कुछ नहीं किया है ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे संदेह है कि जो बात मेरे मित्र कह रहे हैं वह विधेयक के क्षेत्र में नहीं आती है । जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, इसका लिंग परिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री आर० के० चौधरी : मुझे आशा है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री इस देश में भी कार्यवाही करेंगी । अन्य देशों में अस्पताल स्थापित हो गये हैं । यह लिंग परिवर्तन मनोवृत्ति पर निर्भर है । जब स्त्रियां यह विचार करने लगती हैं कि वे पुरुषों के समान हैं, तो उस मनोवृत्ति से लिंग परिवर्तन होता है । जब तक हम यह न चाहें कि स्त्री पुरुष हो जाये, तो देश की सरकार को यह रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिये । मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह अवश्य कहना चाहिये कि जब चिह्न दिखाई पड़ने लगें तब सावधानी से काम लेना चाहिये । यदि आप इस ओर ध्यान न दें तो यह दण्डनीय होगा । कार्यवाही की जानी चाहिये तथा सूचना एकत्रित करनी चाहिये । क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री मुझे यह बता सकेंगे कि क्या भारत में लिंग परिवर्तन का, स्त्री से पुरुष बनने का कोई उदाहरण है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस का इस विधेयक से क्या संबन्ध है? मैं जानना चाहती हूं । यदि माननीय सदस्य मेरा ध्यान इस प्रकार की किसी बात की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, तो वह ऐसा कर सकते हैं । परन्तु इस रुप में नहीं कि यह इस विधेयक से उत्पन्न होती है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : जिस उद्देश्य से यह विधेयक बनाया तथा यहां प्रस्तुत किया गया है, मैं उसे पसन्द करता हूं । मेरा अभिप्राय यह है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम में बहुत से विधेयक हैं । उदाहरण के लिये खाद्य अपमिश्रण विधेयक को लीजिये । मेरी समझ में नहीं आता कि जब अन्य विधेयक विस्मृति में पड़ा है तो इस प्रकार के विधेयक को प्राथमिकता क्यों दी गई है ।

दूसरी बात यह है कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिस की सहायता से सरकार निश्चित रूप से अन्तिम निर्णय कर सके कि अमुक औषधि या चिकित्सा एक जादुई औषधि या चिकित्सा है। इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है । उदाहरण के लिये खंड ३ को लीजिये जिस में विज्ञापन के प्रकाशन के बारे में कहा गया है । शब्द 'प्रकाशन' बड़ा ही परिभाषिक शब्द है । शब्द 'विज्ञापन' के भी बहुत से अर्थ हो सकते हैं । दैनिक पत्र आदि के स्वामियों को लीजिये । वे कैसे यह जाने कि अमुक औषधि सम्बन्धी अमुक विज्ञापन ऐसा विज्ञापन है जो इस विशेष नियम के अनुसार दण्डनीय होगा । अतः मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि उद्देश्य सराहनीय है परन्तु जनता के संरक्षण के लिये इस में कुछ नहीं है । यदि हम किसी मित्र को किसी औषधि की सिफारिश करते हैं तो यह एक प्रकार का विज्ञापन होगा । मेरा अभिप्राय यह है कि कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये ।

श्री एम० एम० गुरुपादस्वामी : मैं समाचारपत्रों के दृष्टिकोण से कुछ शब्द कहना चाहता हूं । जहां तक समाचारपत्रों पर इस के साधारण प्रभाव का सम्बन्ध है, श्री मोरे ने भी इस विधेयक की उलझनों पर व्याख्यामय प्रकाश नहीं डाला है । मुझ इस के उद्देश्य पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु माननीय मंत्री ने जो तरीका ग्रहण किया है वह उचित नहीं

है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन औषधियों में से, जिन के विज्ञापन प्रकाशन के लिये प्रेस में आते हैं, कौन सी औषधि अच्छी है या बुरी है, यह जानना किसी भी समाचार पत्र के सम्पादक या विज्ञापन-प्रबन्धकर्त्ता के लिये बहुत कठिन है । एक पत्रकार के रूप में मैं यह जानता हूं कि स्वयं प्रेस में एसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिस से वह अमुक औषधि के प्रभाव को जान सके ।

सभापति महोदय : खण्ड ३ के सम्बन्ध में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की जांच करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री **एम० एस० गुरुपादस्वामी** : यह धारा चार का विषय है जिस में कहा गया है कि यदि कोई विज्ञापन किसी औषधि के सम्बन्ध में झूठी सूचना देता है, तो ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं होना चाहिये, क्योंकि वह आपत्तिजनक विज्ञापन है । इस सम्बन्ध में एक और बात पर भी विचार करना चाहिये । प्रेस आयोग शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा । मेरा विचार है कि आयोग—जांच के उद्देश्यों में से एक यह है कि समाचार-पत्रों के लिये एक नमूने का विज्ञापन-कोड बनाया जाये । यदि उस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करली जाती तथा तत्पश्चात् यह कार्यवाही की जाती तो उत्तम होता । इस के अतिरिक्त एक बात और है कि यह विधेयक मुद्रण-स्वातंत्र्य पर आक्रमण करता है । इस की धारा ८ के अन्तर्गत एक अधिकारी मुद्रणालय में प्रवेश कर सकता है तथा उस के द्वारा प्रकाशित सारे पत्रों व पत्रिकाओं को अपने अधिकार में ले सकता है । मेरे विचारानुसार यह उत्तम होता कि प्रेस आयोग को प्रतिवेदन के आधार पर एक व्यापक प्रेस विधेयक बनाया जाता । यदि अब विधेयक को देखें तो आप को पता लगेगा कि इस में केवल विज्ञापन का उल्लेख है तथा औषधियों व अन्य वस्तुओं के बनाने का कोई उल्लेख नहीं है अर्थात् इसका सम्बन्ध मुख्यतः समाचारपत्रों से ही है । मेरा सुझाव है कि यह स्वतन्त्र विधेयक आवश्यक नहीं है तथा एक अधिक व्यापक प्रेस विधेयक, जिस में अन्य बातों का भी निर्देश हो सके, सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : श्री रघुनाथ सिंह ।

श्री **रघुनाथ सिंह** : सभापति जी, मैं हैल्थ मिनिस्टर साहिबा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना सुन्दर विधेयक यहां उपस्थित किया । मैं कुछ बातें आप के सम्मुख मैजिक के बारे में उपस्थित करना चाहता हूं । हमारे यहां उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक मैजिक होता है । साउथ में उस को शक्ति बन्दी कहते हैं और उत्तर भारत में उस को हौवाना कहते हैं । स्त्रियां कभी बड़ के पेड़ के नीचे कभी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं या किसी साधू या महात्मा आ गये तो सैकड़ों की तादाद में स्त्रियां बैठ जाती हैं, बाल खोल लेती हैं और हौवानें लगती हैं । इस से यह माना जाता है कि उस का रोग अच्छा हो जायेगा या व्याधि अच्छी हो जायेगी । कभी कभी स्त्री को कोई कुछ पीने को देता है लेकिन उस से उस का रोग अच्छा नहीं होता बल्कि उस का स्वास्थ्य दिन प्रति दिन खराब होता जाता है और कुछ दिन बाद उस का देहान्त हो जाता है । इस प्रकार की जो चीजें हैं या जो साधू फकीर आदि इस प्रकार से घूमा करते हैं और डुग्गी पीटा करते हैं कि हमारे यहां स्त्रियां आयें और उन के सब रोग अच्छे हो जायेंगे । मैं समझता हूं कि इस पर भी रोक होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि वशीकरण मंत्र और सम्मोहन मंत्र वगैरह का भी बहुत ऐड-वर्टाइज मेन्ट होता है । वशीकरण मंत्र और सम्मोहन मंत्र में यह होता है कि आदमी कहते हैं कि फलां स्त्री तुम्हारे पास आ जायेगी, या

[श्री रघुनाथ सिंह]

जिस स्त्री को तुम स्नेह अथवा प्रेम करते हो वह तुम्हारे पास आ जायेगी। इस प्रकार की बहुत सी चीजें हैं। और बहुत से लोग भोले भाले आदमियों को परेशान करते हैं और साधू नामधारी लोग और फकीर लोग उन से फायदा उठाते हैं।

साथ ही साथ आज कल अगर आप हिन्दी और उर्दू के अखबारों के ऐडवर्टाइजमेंट देखें तो गर्भपात के विषय में अजीब अजीब ऐडवर्टाइजमेंट देखने में आते हैं, कि इस चीज के खाने से गर्भ नहीं रह सकता। गर्भपात हो जाता है। और मैं आप को बताऊं कि किस प्रकार से होता है कि कोई प्रेग्नेन्ट स्त्री, गर्भवती स्त्री इस का सेवन न करे अन्यथा गर्भपात हो जायेगा। कहते क्या हैं कि इस दवा से मासिक धर्म ठीक से होता है, लेकिन ऐडवर्टाइजमेंट में दिया जाता है कि गर्भवती इसका सेवन न करे नहीं तो गर्भपात हो जायेगा। लेकिन इस का मतलब यह हुआ कि जिस स्त्री के पेट में बच्चा है अगर वह इस दवा का सेवन करेगी तो गर्भपात हो जायेगा, उस के पेट का बच्चा गिर जायेगा। पर वह ऐडवर्टाइजमेंट इस तरह से दिया जाता है कि वह कानून की धारा के अन्दर न आये। इस प्रकार से आज कल हिन्दी और उर्दू के अखबारों में ऐडवर्टाइजमेंट आते हैं कि मासिक धर्म ठीक से होने लगेगा अगर मासिक धर्म बन्द हो जाये और पेट फूले तो वह खत्म हो जाये। अर्थात् किसी स्त्री का मासिक धर्म बन्द हो जाये तो बताई हुई रीति से वह खुल जायेगा। यह भी वही चीज़ है कि जिस प्रकार से अगर किसी स्त्री के पेट में बच्चा हो तो उस की हत्या हो जाये।

इसी तरह से कामिनी सम्मोहन का भी एडवर्टाइजमेंट होता है कामिनी सम्मोहन के प्रयोग करने से कोई भी स्त्री वश में हो सकती है। वह चाहे स्त्री वश में हो जाये या नहीं लेकिन इस प्रकार के ऐडवर्टाइजमेंट होते हैं। इसी तरह से कामिनी सम्मोहन, कामिनी मदन वटी, कामिनी सम्मोहन वटी और साथ ही साथ जितनी सेक्स से सम्बन्धित चीजें हैं उन सब के ऐडवर्टाइजमेंट होते हैं। इन को सब से पहले बन्द करने की आवश्यकता है। इसी तरह से सफेद दाग के लिये कहते हैं कि सफेद दाग की बीमारी सात दिन में नहीं रहेगी।

दूसरा एडवर्टाइजमेंट "श्वेत कुष्ट की अद्भुत जड़ी"। हमारे यहां हिन्दुस्तान में जितना श्वेत कुष्ट है वह सब तीन दिन में आराम होता है। इसी तरह सफेद बाल काला करने के और मधुप्रमेह के एडवर्टाइजमेंट है। मधुप्रमेह पांच दिन में आराम होता है। और उस एडवर्टाइजमेंट में यह रहता है। कि अगर सफेद बाल काला न हो यां सफेद कुष्ट अच्छा न हो तो रुपया वापस। आप मुकदमा दायर कर के रुपया वापस ले सकते हैं। आप वकील हैं और आप समझ सकते हैं कि कौन तीन रुपये की औषधि के लिये मुकदमा दायर करेगा और किस तरह से वह रुपया वापस लेगा। यह चीज़ असम्भव है। एक चीज और है मोतियाबिन्द। हमारे यहां हजारों आदमियों की आंखें इस औषधियों से नष्ट होती हैं। रेलों में अक्सर यह दवा बेचने वाले चलते हैं। मैं ने कई बार रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से और श्री अलगेशन से प्रार्थना की है। कि वह इनका रेलों में चलना रोकें। यह लोग कहते हैं कि हम दांत अच्छा करते हैं, आंख अच्छी करते हैं वह लोगों की आंखों में औषधि डाल देते हैं और उन के दांत तोड़ देते हैं। और बेचारे देहाती अपनी आंखें खराब करा लेते हैं और अपना दांत खो देते हैं। इसलिये मेरा कहना है कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंटस पर ही नहीं बल्कि इस तरह के दवा बेचने वालों पर भी कुछ न कुछ बंदिश होना

चाहिये । आप वकील हैं । आप जानते हैं कि किस तरह से ये लोग अदालतों में लोगों को दवायें बेचते हैं । ऐसे लोगों के चारों ओर पचासों आदमी जमा हो जाते हैं और वह कहते हैं कि यह जंत्र ले जाओ इस से अच्छे हो जाओगे और इस तरह से पचासों रुपया पैदा करते हैं ।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस का इतना प्रोपेगेंडा किया जायेगा कि जिस से इस के द्वारा जनता का उद्धार होगा ।

राजकुमारी अमृतकौर : मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को इस सदन की भारी बहुसंख्या का समर्थन प्राप्त हुआ है । मैं उन बातों के उत्तर के अतिरिक्त जो कही गई ह, कुछ अधिक नहीं कहूंगी । जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, यहां मेरे पास केवल थोड़े से अवतरण हैं जिनसे उनकी भयानकता का पता लगता है । अतः प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के विषय में जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है । इस बुराई को समाप्त करने के लिये कुछ कार्यवाही करनी ही थी । मैं कह सकती हूं कि लगभग प्रत्येक राज्य ने --स्वभावतः मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य का पृथक पृथक मत जानना पड़ा--इस कार्यवाही का स्वागत किया है । राज्य परिषद् में पारित होने के पश्चात् प्रेस ने भी इस कार्यवाही का पर्याप्त स्वागत किया है । यह मेरे माननीय मित्र के लिये, जिन्होंने कहा कि मैं इस कार्यवाही के द्वारा समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर आक्रमण कर रही थी, उत्तर होना चाहिये । मैं उन से निवेदन करती हूं कि वह एक क्षण के लिये अपना ध्यान उस प्रकार के विज्ञापनों की ओर दें जो इस विधेयक के अन्तर्गत आते हैं । वह देखेंगे कि इस विधेयक का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है । इस का सम्बन्ध केवल प्रेस से ही नहीं है । मेरा विचार था कि यदि समाचारपत्रों के सम्पादकों पर ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये जायें तो वे प्रसन्न होंगे ताकि उन के पत्र का स्तर उंचा हो जाये तथा इस प्रकार के विज्ञापन जो मानव गौरव के लिये हानिकारक हों प्रकाशित न हों ।

मेरे ऊपर खाद्य अपमिश्रण विधेयक को प्राथमिकता न देने तथा उस से पहिले इस विधेयक को प्रस्तुत करने का आरोप लगाया गया है । किन्तु यह काम तो सदन की एक समिति द्वारा किया जाता है । अतः यह आरोप मुझ पर नहीं लगाया जा सकता ।

एक माननीय सदस्य ने विदेशी औषधियों की बात कही थी, पर आयात अनुज्ञप्ति के बिना उसका आयात नहीं होने दिया जाता है, अतः नियंत्रण मेरे हाथ में रहता है ।

डाक्टरों को रियायतों के बारे में सुझाया गया था कि एतद्विषयक उपबन्ध बिल्कुल उड़ा दिया जायें । पंजीबद्ध चिकित्सकों को अधिनियम से छट देने का कारण यह था कि अनुमानतः वे पढ़े लिखे आदमी हैं और दवाओं का गुण दोष जानते हैं कि उनका कैसे प्रयोग किया जाये । हमें उन लोगों पर विश्वास करना पड़ता है जो, पंजीबद्ध हो चुके हैं और जिन को चिकित्सा करने की कला का प्रचार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है । यदि किसी चिकित्सक को पता चले कि कोई दवा ऐसी है, जो विधेयक में बताये गये रोगों में गुणकारी है, तो उसे अधिकार है कि उसे प्रयोगशाला में भेज कर उस की जांच करवाये । उसी प्रकार औषिध तथा भेषज विक्रेताओं को भी विक्रय से पहले यह जानना चाहिये कि उसमें क्या क्या तत्व हैं । औषध तथा भेषज विक्रेताओं के पास गुप्त रूप से भेजे जाने वाले विज्ञापनों का अभिप्राय उनको संबंधित भेषज के स्वरूप

[राजकुमारी अमृतकौर]

और तत्वों से परिचित कराना होता है। यदि विज्ञापित भेषजों में बताये गये तत्व हों, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर वे नहीं होते। इसी से वे स्वास्थ्य के लिये हानिकर होते हैं और अनजान व्यक्ति धोखे में मारे जाते हैं। स्वयं दवा पसन्द करने की प्रवृत्ति को किसी भी कीमत पर बन्द करा देना चाहिये।

जहां तक डाक्टरों का सम्बन्ध है हम भारतीय चिकित्सा सम्बन्धी अधिनियम के अधीन उन के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। दूसरी बात यह उठाई गई थी कि लोग एक प्रकार से विज्ञापित दवायें इसलिये खरीदते हैं कि हम चिकित्सा के विषय में उन की उचित सहायता नहीं कर पाते। इस विषय में हम भरसक चेष्टा कर रहे हैं। औषध निर्माण (फार्मस्युटिकल) समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है और सरकार देश में भेषजें बनाना शुरू करेगी। जिस से वे कालांतर में सस्ती हो जायेंगी और जन साधारण के लिये उपलब्ध हो जायेंगी। पेनीसिलिन कारखाना इस वर्ष उत्पादन शुरू कर देगा। डी०डी०टी० कारखाना भी शीघ्र उत्पादन करने लगेगा। अतः इस बारे में हम बिल्कुल चुप नहीं बैठे हैं।

जैसा एक माननीय सदस्य ने सुझाया, मैं मानती हूं कि विधि को कठोर रूप में परिवर्तित करना चाहिये। साथ ही अधिनियम के अधीन मिलने वाली छूट उन लोगों की रक्षा करेगी, जिनको सदन के कुछ माननीय सदस्यों के अनुसार अनुचित रूप से दंडित किया जा सकता है। फिर खंड १६ के अधीन नियम बनाने की शक्ति है। पुस्तिकाओं आदि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं। हम सभी उपयोगी सुझावों को अपनाने की चेष्टा करेंगे।

मेरे विचार से चर्चा के समय उठाई गई सारी बातों का उत्तर मैं दे चुकी हूं। मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये समर्थन के लिये उन को धन्यवाद दूंगी और चाहूंगी कि यह विधान शीघ्र ही पारित हो जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कतिपय मामलों में औषधों के विज्ञापन पर नियंत्रण करने, कुछ प्रयोजनों के लिये जादुई गुणों वाले कथित उपचारों का प्रतिषेध करने और तत्सम्बन्धी मामलों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं खंड २ मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा।

श्री **झुनझुनवाला** (भागलपुर मध्य) : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यदि हम को किसी दवाई से फायदा हुआ या किसी मंत्र से फायदा हुआ है और वह चीज़ मैजिकल समझी जाती है, मैं यदि इस बात को किसी को कहूं कि अमुक चीज से मुझ को लाभ हुआ है तो क्या मैं इस डैफिनीशन के अनुसार गुनहगार हो जाऊंगा। यह जो इस क्लाज़ में कहा गया है :

["विज्ञापन में कोई भी सूचना परिचालित पत्र, लेबिल, रैपर, या अन्य प्रपत्र और मौखिक रूप से की गई या प्रकाश, ध्वनि या धुआं द्वारग की गई कोई घोषणा शामिल है।"]

तो एनाउन्समेंट के माने हुए कि पबलिक मीटिंग में कहा जाय या मैं कुछ आदमियों से कहूं कि इस दवाई से मुझ को फायदा हुआ है, या मंत्र से हम को फायदा हुआ है तो मैं गुनहगार हो जाता हूं ।

श्री आर० के० चौधरी : पार्लियामेंट में इस को कहने से गुनहगार हो गये ?

श्री झुनझुनवाला : चौधरी साहब पूछते हैं कि मैं ने यह जो बात पार्लियामेंट में कही, तो क्या मैं गुनहगार समझा जाऊंगा ? मेरी समझ में यह बड़ा सीरियस मैटर है ।

सभापति महोदय : संसद् में आप बिना किसी गुनहगारी के कुछ भी कह सकते हैं । क्या माननीय मंत्री उत्तर देना चाहेंगे ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मेरे मित्र का भय निराधार है । यह दांडिक अपराध है, और उसे सिद्ध करना होगा । यदि कोई प्रकाशित कर दे, तो यह दांडिक अपराध नहीं हो जायेगा । परिभाषा ऐसे व्यक्तियों की रक्षा करती है । यह अपराध होगा, एक मेजिस्ट्रेट जांच करेगा और अभियोक्ता को सिद्ध करना होगा कि अपराध संपन्न हो चुका है । इन मामलों में दांडिक अभिप्राय नहीं होता, जो दांडिक अपराधों में प्राथमिक तत्व हैं ।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दें । मान लो, कोई व्यक्ति एक विज्ञापन बांस में लगा कर बाजार में निकलता है तो अनजाने ही वह इस विज्ञापन के प्रकाशन में भाग लेता है । वह दोषी होगा और दांडिक अभिप्राय या जानकारी का कोई प्रश्न नहीं उठेगा ।

श्री बिस्वास : हमें देखना होगा कि विज्ञापन इस अधिनियम के क्षेत्र में आता है ।

एक माननीय सदस्य : वह पृथक् बात है ।

सभापति महोदय : पहले तो यह सिद्ध होना चाहिये कि वह विज्ञापन इस अधिनियम के क्षेत्र में आता है या नहीं और दूसरे क्या उस ने उस में भाग लिया है या नहीं, भले ही यह अनजाने लिया गया हो ।

श्री बिस्वास : यह कैसे भी हो, पर वह विज्ञापन इस अधिनियम के अर्थ में वर्जित होना चाहिये । बिना जाने अपराध करने वालों की बात खंड ३ और ४ में आ जाती है . . .

श्री झुनझुनवाला : मुझे एक बात और स्पष्ट करानी है । माननीय मंत्री ने दांडिक अभिप्राय की बात कही । मैं सचाई से किसी दवा के गुण में विश्वास करके दांडिक अभिप्राय के बिना इसका विज्ञापन करता हूं । अतः यह दांडिक अभिप्राय की बात नहीं उठ सकती ।

श्री बिस्वास : यह अभियोजक को सिद्ध करना होगा ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड २ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३—(रोगों आदि के उपचार के लिए औषधियों के विज्ञापनों पर प्रतिषेध)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४—(औषधि सम्बन्धी भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिषेध)

श्री दाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ में पंक्ति ३८ के बाद निम्न जोड़ दिया जाए :

"Explanation : Theburden of proving that a claim for a particular drug is not false shall lie upon the person making the claim."

[व्याख्या : किसी औषधि के झूठी न होने की बात सिद्ध करने का भार वह दावा करने वाले व्यक्ति के ऊपर होगा।]

प्रस्तुत खंड ४ में कहा गया है कि "इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग न लेगा, जिसमें ...."

सामान्य साक्ष्य अधिनियम के अधीन यह सिद्ध करने का भार अभियोजक पर रहता है, पर इन विज्ञापनों आदि में विज्ञापक ऐसे दावे करते हैं, अतः उन्हें सच्चा सिद्ध करने का भार अभियुक्त के ऊपर रहना चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

राजकुमारी अमृतकौर : मेरी समझ से यह संशोधन अनावश्यक है, क्योंकि यदि किसी विज्ञापन में झूठा दावा किया जाता है, तो अभियोजक के उसे झूठा सिद्ध करने में कठिनाई न होगी, क्योंकि औषधि के विद्यमान रहने से उसके गुण-दोष की परीक्षा हो सकती है और कुछ मामलों में इसके उपयोगी न होने की सूचना प्राप्त की जा सकती है और वह सामान्य दांडिक विधि के भी अनुकूल होगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व): विधेयक की नीति के बारे में बड़े-बड़े विचार व्यक्त किए गए हैं, और थोड़ा सा विरोध होने पर भी सामान्यतः इसका समर्थन ही किया गया है।

परन्तु खंड ४ के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। वह ठीक नहीं है। इसमें झूठी दवाओं के विज्ञापनों के प्रकाशन में भाग लेने वालों को लिया गया है। पर विज्ञापनों पर इस प्रकार रोक नहीं लगाई जाती। कुछ विज्ञापनों को वर्गीकृत करके उनके प्रकाशनों पर रोक लगाई जानी चाहिए थी, पर विज्ञापनों की तो अनुमति दी जा रही है और उनके झूठे होने पर रोक लगाई जा रही है। जैसा आपने बताया, यहां दांडिक अभिप्राय की बात नहीं है। विज्ञापन के झूठा दावा करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, परन्तु व्यक्ति अनेकों होंगे। समाचारपत्र में छपने पर कम्पोजीटर से लेकर निरीह होकर तक सभी इसके अन्तर्गत आयेंगे। ऐथेंस में ड्राको कुछ नैतिक नियम बनाना चाहते थे, पर उनके दंडों के अत्यन्त कठोर होने से सब उनके विरुद्ध हो गए। वैसे ही इस एक खंड के कारण सारा विधेयक निन्दनीय समझा जायेगा, जो अन्यथा बड़ा अच्छा है। अतः इस खंड को निकाल कर कुछ उपयुक्त खंड रखा जाना चाहिए।

श्री बिस्वास : मैं नहीं समझता कि उत्तर देना आवश्यक है। सफल अभियोजन के लिए खंड ४ में उल्लिखित सभी बातों को सिद्ध करना पड़ेगा। इन सब बातों को सिद्ध करने का सारा भार अभियोजक पर डाला गया है। यह सिद्ध करना होगा कि विज्ञापन ने औषधि के सच्चे स्वरूप के बारे में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः झूठा प्रभाव डाला है, इसमें झूठा दावा किया गया है; या अन्य किसी विशेष बात में यह झूठा या भ्रामक है। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में अभियोजक को ये सब बातें सिद्ध करनी होंगी। श्रीमान्, जैसा आपने बताया, सम्भव है प्रकाशन में निरीह व्यक्ति भाग लें, परन्तु अपराध तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक स्वयं विज्ञापन खंड ४ के निबन्धनों में न आ जाय अर्थात्

यह (क), (ख) या (ग) के अधीन आ जाए और प्रत्येक स्थिति में सिद्ध करने का भार अभियोजक के ऊपर पड़ेगा। अतः पूरा संरक्षण होना चाहिए।

श्री साधन गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि दांडिक अभिप्राय की बात कब उठती है। विज्ञापन ....

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति, माननीय सदस्य के तर्कों का उत्तर माननीय मंत्री दे चुके हैं। माननीय मंत्री को बारम्बार उत्तर देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

प्रश्न यह है कि :

"खंड ४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड –५–(रोगों आदि के उपचार के लिए जादुई चिकित्सा के विज्ञापन का प्रतिषेध)।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ २ पंक्ति ४२ में "Shall take" (लेगा) के बाद "directly or through others" (प्रत्यक्षतः या अन्यों के द्वारा) निविष्ट किया जाए।"

शायद अभिप्रेत अर्थ यही हो, पर यह स्पष्ट बता देना चाहिए, क्योंकि स्वयं कार्यवाही न करने वाले किन्तु दूसरों से कराने वाले व्यक्ति पर भी कार्यवाही की जा सकेगी।

राजकुमारी अमृतकौर : श्रीमान्, चंकि "प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः" शब्द वहां पर पहले से ही हैं, माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात उस में आ गई है।

सभापति महोदय : क्या मैं संशोधन पर मत ले लूं ?

डा० रामा राव : नहीं मैं उस पर आग्रह नहीं करता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ७—(दंड)

श्री दाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ पंक्ति ९ में "Punishable" (दंड्य) के स्थान पर "Punished" (दंडित) रखा जाए।

श्रीमान्, मैं अपना संशोधन सख्या ७ न रख कर संख्या १५ वाला दूसरा संशोधन रख रहा हूं।

सभापति महोदय : हां।

श्री दाभी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३ पंक्ति १३ में "or with fine or with both" (अथवा जुर्माने की या दोनों की) के स्थान पर "and with fine" (और जुर्माने की) आदिष्ट किया जाए।

बनावटी औषधों और तथाकथित जादुई दवाओं के सम्बन्ध में आपत्तिजनक तथा अश्लील विज्ञापन देना और उनको प्रकाशन करना बहुत बड़ा समाज-विरोधी कार्य है तथा जनता को आर्थिक और नैतिक दोनों प्रकार से हानि पहुंचाता है ; इसलिए इस प्रकार का अपराध करने वालों को कड़ी सज़ा देना आवश्यक है। मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार के किए गये द्वितीय अपराध पर केवल जुर्माने की ही नहीं वरन् जुर्माने और जेल दोनों की सज़ा मिलनी चाहिए। इसका पूर्वदृष्टांत भी मौजूद है। अपमिश्रण विधेयक में, जो इस सदन के सम्मुख निलम्बित है और जिस पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

[श्री दाभी]

आ चुका है, जुर्माने तथा जेल दोनों का उपबन्ध किया गया है । ठीक उसी प्रकार यह भी समाज विरोधी कार्य है तथा इसमें भी जुर्माने और जेल दोनों की सज़ा मिलनी चाहिए । और यदि हम यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि द्वितीय अपराध के लिए जेल और जुर्माने दोनों की सज़ा हो तो हमें शब्द 'दण्डनीय' के स्थान पर 'दण्डित' रखना होगा । बम्बई आबकारी अधिनियम में शब्द 'दण्डनीय' प्रयुक्त किया गया है और जब मेजिस्ट्रेट ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत एक व्यक्ति को अपराध करने पर दण्ड दिया तो उस पर केवल जुर्माना किया । बम्बई सरकार के अपील करने पर बम्बई उच्च न्यायालय ने भी कहा कि शब्द 'दण्डनीय' न्यायालय को इस बात का विवेक देता है कि केवल जुर्माने की सज़ा दे अथवा जेल की या दोनों ही की । इसलिए जब कि बम्बई विधान सभा द्वारा जब मद्य-निषेध अधिनियम पारित किया तो उन्होंने धारा ६५ में 'दण्डनीय' के स्थान पर 'दण्डित' रखा । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि हम ऐसी सज़ा देना चाहते हैं कि अपराध-वृत्ति निरुत्साहित हों तो यह अत्यन्त आवश्यक है, दण्ड जुर्माना तथा जेल दोनों का हो ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ११ में "or with fine" (अथवा जुर्माने की) के पश्चात् "amounting to Rs. 500" (५०० रु० की) आदिष्ट किया जाए ।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति १३ में "or with fine" (अथवा जुर्माने की) के पश्चात् "amounting to Rs. 1000" (१,००० रु० की) आदिष्ट किया जाऐ ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३, पंक्ति ११ में "or with fine" (अथवा जुर्माने की) के बाद "of not less than rupees one thousand" (एक हज़ार रुपये से कम की नहीं) आदिष्ट किया जाए ।

(२) पृष्ठ ३, पंक्ति ११ में "or with fine" (अथवा जुर्माने की) के बाद "of not less than rupees two thousand" (दो हज़ार रुपए से कम की नहीं) आदिष्ट किया जाए ।

मेरी राय में इस कानून को तोड़ने वालों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए । इसलिए मैंने यह सशोधन प्रस्तुत किया है । मैं नहीं चाहता कि न्यायालय को कम जुर्माना करने का विवेक दिया जाए । इसलिए मैंने संशोधन द्वारा प्रथम तथा द्वितीय अपराध के लिए जुर्माने की न्यूनतम राशि निर्धारित कर दी है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

राजकुमारी अमृतकौर : कोई दो विधेयक एक से नहीं हुआ करते । इसलिए यह तर्क युक्तियुक्त नहीं है कि चूंकि एक विधेयक में जेल और जुर्माने दोनों की व्यवस्था की गयी, इसलिए इस विधेयक में भी यह हो ।

जहां तक शब्द "दण्डनीय" के स्थान पर "दण्डित" रखने का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि "अपराध करने का कार्य दण्डनीय होगा" का अर्थ यही है कि जो भी अपराध करेगा उसे दण्ड मिलेगा । इसलिए मैं संशोधन का विरोध करती हूं ।

श्री कासलीवाल द्वारा, सदन की अनुमति से, अपने संशोधन वापस ले लिए गए ।

सभापति द्वारा शेष संशोधन सदन के मतदान के लिए प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह कि है :

खंड ८ **तथा** ९ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८ तथा ९ विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री दाभी : खंड १० के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अपराध हस्तक्षेप होंगे ? इस विधेयक में इस बात का स्पष्टीकरण कहीं नहीं किया गया है ।

सभापति महोदय : यह तो निर्वचन का प्रश्न है । खंड १० में केवल न्यायालयों का निर्देश है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता । प्रश्न यह है :

कि खंड १० से १३ तक विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १० से १३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १४—(परित्राण)

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ४ में (१) पंक्ति १२ से १५ तक हटा दी जाएं ।

(२) पंक्ति १६, १९, २३ और २६ में 'ख' 'ग', 'ध' और 'ङ' के स्थान पर क्रमशः 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' जोड़ दिये जाएं ।

माननीय मंत्री चाहती हैं कि वह डाक्टरी व्यवसाय के प्रति दयालु रहें । किन्तु मैं समझता हूं कि उस प्रकार की दयालता एक निर्दय दयालुता है जो कि चिकित्सीय नैतिकता के लिए लाघवीय है । यह कानून डाक्टरों को इस प्रकार का विज्ञापन देने की अनुमति देता है । मान लीजिए कि कोई डाक्टर अपनी दूकान के बाहर यह साइन बोर्ड लगा दे कि दो इंजैक्शनों में वह यौन-रोगों का निदान कर सकता है, तो क्या उसे इसकी अनुमति दी जा सकती है ? मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डाक्टरों को दी गयी ये विशेष सुविधाएं वापस ले ली जाएं क्योंकि उनके व्यवसाय को इनसे अनैतिकता का आश्रय मिलता है ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं श्री रामा राव के संशोधन का विरोध करता हूं । मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में हमारी नीति दोहरी होनी चाहिए । खराब चिकित्सीय विज्ञापनों के लिए यह घातक होनी चाहिए तथा अच्छों के लिए समर्थनकारी । अन्यथा हम अशिक्षित व्यक्तियों को सही प्रकार की चिकित्सा कराने से वंचित कर देंगे । इसलिए मैं माननीय मंत्री का समर्थन करता हूं ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं श्री राव द्वारा दिए गये सुझाव का विरोध करता हूं क्योंकि गांवों में रहने वाले लोगों पर इसका बहुत कठोर प्रभाव पड़ेगा । यह बहुत आवश्यक है कि डाक्टर को साइन बोर्ड पर यह विज्ञापित करने की अनुमति दी जाए कि वह क्या क्या रोग ठीक कर सकता है । क्योंकि अन्यथा लोग जान नहीं सकते कि किस रोग के लिए किस डाक्टर के पास जाया जाए । शहरों में

[श्री बर्मन]

रहने वाले विशेषज्ञ डाक्टरों के नाम जब तक कि अखबारों में प्रकाशित न हों, ग्राम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे जान सकते हैं कि अपने विशिष्ट रोग के निदान के लिए किस डाक्टर के पास जायें अथवा उससे पत्र-व्यवहार करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि श्री राव का संशोधन स्वीकार न किया जाए और अखबारों में इस प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति दी जाए।

सभापति द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रक्खा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १५—(विधेयक के प्रवर्तन से छूट देने की शक्ति)

श्री कासलीवाल : चूंकि खंड ५ का सम्बन्ध भेषजों से नहीं बल्कि जादुई दवाओं से है अतः मेरा निवेदन है कि उसे हटा दिया जाए। जादुई दवाओं के बारे में कोई छूट नहीं होनी चाहिए। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ ४ पंक्ति ४७ में "५" लुप्त किया जाए"

सभापति महोदय द्वारा संशोधन सदन में प्रस्तुत किया गया।

राजकुमारी अमृतकौर : जादुई दवाएं भी भेषज के ही रूप में होंगी, अतः खंड ५ के रखे जाने के बारे में यह आपत्ति मेरी समझ में नहीं आती।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री धुलेकर (जिला झांसी—दक्षिण) : यद्यपि प्रायः पूरा विधेयक पारित हो गया है, पर खंड १५ खंड ३, ४, ५ और ६ आदि में छूट देकर विधेयक को व्यर्थ बना देता है। खंड ३ स्त्रियों के गर्भपात के बारे में विज्ञापन रोकता है। खंड ४ भेषजों के बारे में गलत प्रभाव डालना रोकता है। पर खंड १५ के अनुसार यदि लोकहित में सरकार ऐसे विज्ञापनों को भी उचित समझे तो उनके प्रकाशन की अनुमति दे सकती है। इस उपबन्ध से विभाग के छोटे छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैलेगा। अतः इस बारे में सरकार को गलत परामर्श दिया गया है। ऐसे मामले में केन्द्रीय सरकार की अनुमति से यह विज्ञापन निकाला जा रहा है, ऐसा कह कर और भी भ्रम फैलाया जा सकता है।

खंड ३ यौन-आनन्द की शक्ति सुधारने वाले विज्ञापनों को भी रोकता है। क्या सरकार 'तिला' के बारे में भी छूट देगी।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति।

माननीय सदस्य खंडों के विवरणों में न जाएं। वह सरकार को यह शक्ति नहीं देना चाहते। इस खंड से यह सहज ही समझा जा सकता है कि कुछ ऐसे उचित मामले होंगे, जिनमें सरकार छूट दे सकती है। माननीय सदस्य सरकार को यह शक्ति देने का विरोध कर रहे हैं। पर प्रत्येक खंड के विवरण इस प्रकार से लेने में बहुत देर लगेगी।

श्री धुलेकर : धन्यवाद। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार किस प्रकार जादुई चिकित्सा के विज्ञापन को अनुमति दे सकती है। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि क्या कोई जादुई चिकित्सा वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक ? अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि इस खंड के क्षेत्र से जादुई चिकित्सा तथा विदेशी विज्ञापनों को अनुमति देने का अधिकार हटा दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार, आयुर्वेदिक औषधियों पर जादुई, अवैज्ञानिक तथा मूर्खतापूर्ण कह कर रोक न

लगाया जाना चाहिये। अन्यथा विदेशी लोग तो 'पेनिसिलीन से स्वर्ग मिलता है तथा स्वराज्य भी हासिल होता है' आदि विज्ञापन दे सकेंगे और आयुर्वेदिक चिकित्सा को निषिद्ध कर दिया जाएगा।

राजकुमारी अमृतकौर : भारत सरकार, जिसने स्वयं यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उसके उद्देश्यों पर कुठाराघात नहीं करना चाहेगी। यह तो एक मामूली बात है कि इस विधेयक के प्रयोग से विमुक्ति देने का अधिकार सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहती हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देना या किसी अन्य का विरोध करना नहीं चाहती। यह विधेयक केवल कुछ दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। विदेशी विज्ञापनों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा कि अन्य देशी विज्ञापनों के विषयों में होगा। नियम बनाने के समय इसका प्रबन्ध किया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १६ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १, विधेयक का नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दामोदर मेनन : मैं जानना चाहता हूं कि यदि किसी समाचार पत्र के प्रकाशक के पास किसी औषधि का विज्ञापन आता है तो वह इस बात का निर्णय कैसे करें कि उस औषधि के नाम पर किया गया दावा सच्चा है या झूठा

सभापति महोदय : इस बात की चर्चा की जा चुकी है और माननीय विधि मंत्री ने इसका उत्तर देने की कोशिश भी की है। यदि माननीय सदस्य का इस उत्तर से समाधान नहीं हुआ है तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब तो मुझे प्रस्ताव सभा के सामने मतदान के लिए रखना है।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं उन्हें बाद में समझा दूंगी।

सभापति महोदय : अब मैं केवल श्री नन्दलाल शर्मा को भाषण करने का अवसर दूंगा।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : माननीय सभापति जी, मुझे दो शब्द मैजिक (जादु) शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में कहना है। मैं माननीया स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया के उद्देश्य का सर्वथा समर्थन करता हुआ भी यह समझता हूं कि गृह विभाग के अनसार धोखादेही, प्रवंचना और दुश्चरित्रता का प्रचार इन दो दृष्टिकोणों से रोकने का आदेश है। इसके अतिरिक्त किसी बात को मैजिक कह देना उसी प्रकार से है जैसे कि कुत्ते को पागल कह कर उसको मारना। मैजिक शब्द का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं, यद्यपि इसका कोई लक्षण इसमें दिया नहीं है यह है कि हम किसी वस्तु का डैफिनिशन नहीं कर सकते। जैसे किसी बात को जो कि हमारी समझ में न आये हमारे कुछ बंधु सूपर्स्टिशन (अंध श्रद्धा) कह कर पुकारते हैं, सुपर्स्टिशन यह है कि जिसका रीजन (कारण) जिसका काजशन हमारी समझ में न आये, यदि हम कार्य और करण का सम्बन्ध बतला सकें तो उस दशा में वह सुपर्स्टिशन या मैजिक कोई स्थान नहीं रखता।

[श्री नन्द लाल शर्मा]

भारतवर्ष में जिस समय से विदेशी लोग आये, भारतीय तत्व को वह सभी जगह सुपर्स्टिशन के नाम से पुकारते रहे, अंध विश्वास के नाम पुकारने का फल यह हुआ कि सारे के सारे आदमियों ने जिनके पास आध्यात्मिक और आधिदैविक शक्ति थी वह सब के सब उसको भूल गये । मेरा इस लिए निवेदन है कि यह बिल बीसवीं सदी का न कहला कर उन्नीसवीं सदी का कहलायेगा उस परिस्थिति में जबकि आज यूरोप और अमरीका में साइकल रेमेडीज़, साइको एनेलेसिस और कितने ही मनोवैज्ञानिक प्रकार के उपायों द्वारा चिकित्सा चलायी जा रही है। उन सबको हम न जान कर यहां पर मैजिक के नाम से कहें तो उचित नहीं होगा । आयुर्वेद की बहुत सी औषधियां जिनको कि हम पहचानते नहीं हैं उनके बारे में हम ऐसा ही कहते हैं। एक वस्तु का विरोध मैं अवश्य करता हूं और उस सम्बन्ध में मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी महोदया के भावों से सर्वथा सहमत हूं कि जो लोग अपने को जादूगर कह कर अपना व्यापार चलाते हैं या व्यभिचार के फैलाने वाले कार्य करते हैं उस सम्बन्ध में ध्यान होना आवश्यक है परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि बोनाफाइड्ज़ (सदाशय) और मैलाफाइड्ज़ (दुराशय) का कैसे ज्ञान होगा कि कौनसी वस्तु मैजिक है। मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र और यंत्र शास्त्र तीनों में अविश्वास रखने वाला व्यक्ति भारतीय सभ्यता से अपने आपको सर्वथा अनभिज्ञ सिद्ध करेगा। वे अपना स्वयं नुकसान करते हैं। जादू वह है जो सर पर चढ़ कर बोले । जस्टिस वुडरफ नें अपनी पुस्तक "इज़ इंडिया सुपर स्टीशस" में लिखा है कि हम भी पहले सोचा करते थे कि भारतवर्ष के लोग मंत्र शास्त्र में विश्वास करते हैं इसलिए मूर्ख हैं और मैजिक में विश्वास करते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि "दिस इज़ ए साइंस बाई इटसेल्फ" जब तक हमने उस साइंस को देखा नहीं, उसका अनुसंधान नहीं किया, उसके पहले ही हम कह देते हैं कि इसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई कार्य कारण सम्बन्ध नहीं है, केवल मात्र मैजिक है और इसका परित्याग कर देना चाहिए। यह अनुचित है। अस्तु मेरा स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से यही निवेदन है कि वह मैलाफाइड्ज़ और बोनाफाइड्ज़ को जानने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य रखें। माननीय श्री धुलेकर जी ने जो बात कही है वह ध्यान आकर्षित करती है । आयुर्वेद के सम्बन्ध में निरन्तर सौतेली मां का जैसा व्यवहार चल रहा है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्दर एलोपैथ्स भरे रहेंगे तो वह किसी प्रकार भी आयुर्वेदिक औषधियों को स्वीकृति प्रदान नहीं कर सकते। मैं देखता हूं कि कुम्भ के अवसर पर टीका अनिवार्य करके लोगों को तंग किया गया। पीछे जब देखा कि लोग वहां नहीं जा रहे हैं तो टीके का बन्धन हटा दिया। यह जानते हुए भी कि यह टीका आयुर्वेद के अनुसार अनिवार्य वस्तु नहीं है और यह जानते हुए कि बहुत से लोगों की धार्मिक भावना के प्रतिकूल यह पड़ता है, यह बराबर चलाया जा रहा है क्योंकि यहां डाक्टरों का बहुमत है और वह इसको चलाने को तैयार रहते हैं। इसलिए मैं स्वास्थ्य मंत्रिणी जी से निवेदन करूंगा कि नियम बनाते समय वह मैलाफाइड्ज़ और बोनाफाइड्ज़ का ध्यान रखेंगे। अन्य मित्रों ने मंत्र शास्त्र के बल से सर्प काटे के इलाज का और गर्भधारण का ज़िक्र किया है। इन चीज़ों का आपको पता चल चुका है। मैं भी कुछ ऐसी बातें कह सकता हूं। कह ही नहीं सकता बल्कि इन चीजों का मैं प्रदर्शन भी करा सकता हूं। लेकिन इन प्रदर्शनों से भी अन्ततोगत्वा पूर्ण लाभ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि यह स्वयं एक विज्ञान है और इसको जाने बिना सुपरस्टीशन कह

देना यह भारतीय बन्धुओं के द्वारा भारतीयता पर कलंक लगाना होगा। अपने घर की बात को न जान कर उसको खराब कह देना उचित नहीं है। हम बिना जाने अपने घर की चीज़ को बुरा कह देते हैं और बाहर से आने वाली चीज़ को अच्छा कहने लगते हैं, यह अच्छी चीज़ नहीं है। इस दृष्टिकोण को आपके सामने उपस्थित करना आवश्यक था।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वह यह है कि गर्भ निरोध, गर्भपात या गर्भ-स्राव इन तीनों चीजों को चाहे आप मैजिक के तरीके से करावें या दूसरे तरीकों से करावें, चाहे यह काम आपके द्वारा स्वीकृत मैडीकल प्रोफेशन के आदमी करें, मैं समझता हूं कि सदाचार के दृष्टिकोण से इसका सदा विरोध करना चाहिए। यदि इसको आप ब्रह्मचर्य की शिक्षा द्वारा इंद्रिय निग्रह की शिक्षा द्वारा या समाज के आचरण के स्तर को ऊंचा करके बन्द करना चाहें तो अच्छा रहेगा बजाय इसके कि आप डाक्टरों द्वारा इन कामों को होने दें। इससे जनता में दुश्चरित्रता का प्रचार होता है और यह बहुत बुरी बात है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा और आशा करूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रिणी जी इन बातों पर ध्यान देंगी।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघीय प्रयोजनों के लिए भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के अधीन कुछ राज्य सरकारों द्वारा संघ के प्रयोजन के लिए भूमियों के अर्जन को और उस सम्बन्ध में निकाले गये आदेशों और की गई कार्यवाहियों को मान्यता देने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

यह एक अत्यन्त सरल विधेयक है। २६ जनवरी, १९५० तथा अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य सम्बन्धित राज्यों को सौंपे जाने के बीच के कालावधि में राज्य सरकारों द्वारा की गई कुछ भूमि अर्जन कार्यवाहियों को मान्यता देने के उद्देश्य से यह विधेयक रखा गया है। संविधान के लागू होने के पहले, भारत शासन अधिनियम, १९३५ की धारा १२७ के अनुसार प्रांतीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार के प्रयोजन के लिये भूमियों का अर्जन करने का अधिकार था। १९५० के विधि अनुकूलन आदेश द्वारा १८९४ के भूमि अर्जन अधिनियम का संशोधन हुआ जिससे केन्द्रीय सरकार को संघीय प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करने का अधिकार दिया गया। किन्तु यह अनुभव होने के पश्चात् कि केन्द्रीय सरकार के लिए इन कार्यवाहियों का करना असुविधाजनक तथा अनावश्यक है, ये अधिकार राज्य सरकारों को सौंपे गए। किन्तु इन संवैधानिक परिवर्तनों के बावजूद, कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें अधिकार सौंपे जाने के पहले भी १८९४ के अधिनियम के अनुसार संघीय प्रयोजनों के लिए भूमियों के अर्जन का कार्य जारी रखा। परिणाम यह हुआ कि जब तक हम इन कार्यवाहियों को नियमित नहीं बना देते, तब तक न्यायालयों में उन पर आपत्ति उठाई जा सकती है और उन्हें अवैध ठहराया जा सकता है। राज्य-परिषद् ने इस विधेयक को बिना किसी चर्चा के स्वीकार किया है और मुझे आशा है कि यहां भी इसे पारित किया जायेगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : पिछले कुछ दिनों में हुए कतिपय भूमि अधिग्रहणों को विनियमित करने के लिये यह व्यवस्था है। सरकार विमान अड्डों के निर्माण और पुनर्वास कार्यों आदि के लिये भारत सरकार भूमि अधिग्रहण करती है । भूमि लेने में सरकार अत्यन्त स्फूर्ति और द्रुतगति के साथ काम करती है लेकिन जिनसे भूमि ली जाती है उन्हें मुआवजा देने में सरकार शीघ्रता से काम नहीं लेती है। हमें यह जानना चाहिये कि कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जायेगा ? हमें मालूम है कि पुनर्वास कार्यों के लिये अनेक राज्यों में और विशेष रूप से बंगाल में पर्याप्त भूमि का अधिग्रहण किया गया है लेकिन अनेक मामलों में सरकार ने आवश्यक भूमि लेने में अरूचि प्रकट कर दी क्योंकि उसका सम्बन्ध बिड़ला आदि धनी व्यक्तियों से था। इस सम्बन्ध में सरकार से मेरा आग्रह है कि वह शीघ्र ही कोई कार्यवाही करे।

मुआवजे की अदायगी का प्रश्न ऐसा है कि जिसकी देश के सब भागों से मांग की जा रही है। उस दिन पश्चिम बंगाल के बाकुरा जिले में दामोदर घाटी योजना के लिये अधिग्रहण की गई भूमि के मुआवजा के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया था। इस प्रकार की भूमि राज्य के अन्य भागों में भी प्राप्त की गई है। हमारी इच्छा है कि मुआवजा चुकाने के लिये सरकार शीघ्र ही कोई कार्यवाही करे।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मुआवजे की दर और उसमें होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय मंत्री का निर्देश मुख्य विधेयक पर लागू है जबकि विधेयक का उद्देश्य कुछ राज्य सरकारों द्वारा भूल से की गई प्रक्रिया को विनियमित करना है। मद्रास में कुल २४ मामले हैं, उत्तर प्रदेश में चार या पांच मामले हैं तथा एक-दो दूसरे मामले भी हैं, संविधान के कार्यान्वित होने के पश्चात् से भूमि अधिग्रहण की शक्ति केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। पुराने अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण किया करती थीं। और उन्होंने कुछ भूमि भूल से ले ली थी। यद्यपि यह सही है कि जिस भूमि को विनियमित करना है वह बहुत कम है।

श्री एन० बी० चौधरी : भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है। अब सुविधा की दृष्टि से उन्होंने यह कार्य राज्य सरकारों को सौंप दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार को मुआवजा देने में शीघ्रता करनी चाहिये।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सब विधेयक के अन्तर्गत नहीं है। विधेयक तो राज्य सरकारों द्वारा भूल से ली गई भूमि के विनियमन से सम्बन्धित है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत कर लिया गया।

सभापति महोदय : इस विधेयक में संशोधन नहीं हैं। प्रश्न यह है कि :

"खंड १ और २, शीर्षक और अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ और २, शीर्षक और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

राज्य परिषद् द्वारा पारित प्रस्तुत विधेयक पर सदन से सहमत होने की प्रार्थना करते समय मैं उद्देश्य तथा कारणों के विवरण पत्र की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आमंत्रित करूंगा।

उपलब्ध वैगन के स्थान को अधिक अच्छे तरीके से उपयोग करने की दृष्टि से १९५३ में अस्थायी रूप से यह व्यवस्था की गई थी कि सुरक्षा पर यथोचित ध्यान देते हुए कतिपय विशिष्ट वैगनों को चिन्हित क्षमता के अतिरिक्त एक टन माल ले जाने की अनुमति दी जाये। यह सब स्थितियों में समान रूप से नहीं किया जा सका। इसका कारण मार्ग की सीमित दशाएं थीं। विभाजन के पश्चात्, वैगनों की स्थिति अत्यन्त बुरी हो जाने से इसमें और छूट दी गई और अब इनमें चिन्हित क्षमता से अधिक दो टन तक कोयला ले जाया जा सकता था। दूसरे सामान में एक मन की वृद्धि की जा सकती थी। जहां तक कोयले का सम्बन्ध है यह बात देखी गई थी कि कोयला खदान स्वामी १९३० में भी कोयला चिन्हित वजन-क्षमता से अधिक वैगनों में भरते थे। इस अनियमित प्रथा को रोकना दुष्कर था क्योंकि किसी भी प्रकार की जांच का अर्थ था वैगनों को रोकना। इसके साथ ही रेलवे द्वारा वास्तविक अनुभव के आधार पर यह मालूम किया गया कि कुछ विभागों के कतिपय निर्दिष्ट मार्गों पर सुरक्षापूर्वक वैगनों में चिन्हित वजन से अधिक कोयला ले जाया जा सकता है। अतः अतिरिक्त भार वैध था। चूंकि यह छूट किन्हीं निर्दिष्ट मार्गों के सम्बन्ध में दी गई थी इसलिये वैगनों पर बताये गये चिन्ह में परिवर्तन व्यवहार्य नहीं था।

जैसा माननीय सदस्यों को विदित है अभी वैगनों की स्थिति सुगम नहीं हुई है। वैगनों को अतिरिक्त भार लादने की स्वीकृति को वापस लेने से उक्त यातायात के लिये भी ३ या ४ प्रतिशत और वैगनों की आवश्यकता पड़ेगी। अतः वैगनों को अतिरिक्त भार ले जाने की अनुमति दी गई है। जहां ऐसा किया जा रहा है वहां बढ़ाये गये वजन पर ही भाड़ा वसूल किया जाता है। यद्यपि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० की प्रस्तुत धारा ५३ (१) के अनुसार अपेक्षित बढ़ाई गई भार-क्षमता वैगनों के ऊपर नहीं दर्शायी गयी है तथापि व्यवसाय और जनता के निर्देशन के लिये परिपत्र जारी किये गये हैं। वर्तमान व्यवस्था भारतीय रेलवे अधिनियम के प्रस्तुत उपबन्धों के अनुरूप नहीं है अतः धारा ५३ में उचित संशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि चिन्हित वजन से अधिक वजन, वैगनों के ऊपर बताये बगैर, ले जाया जा सके। यदि बढ़ाये गये भार को इन वैगनों के ऊपर प्रदर्शित कर दें तो यह व्यवस्था स्थायी रूप धारण कर लेगी। अतः इस मन्तव्य को बड़ी सावधानी के साथ कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि प्रस्तुत व्यवस्था विशुद्ध रूप में विवादहीन है तथा उसका अभिप्राय सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध वैगनों का श्रेयस्कर उपयोग है। वस्तुतः वर्षों से चली आ रही प्रथा को वैधानिक रूप देना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। प्रचलित प्रथा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में कि वह राज्य-परिषद् द्वारा पारित किया गया, विचार किया जाये।"

श्री नम्बियार (मयूरम) : मुझे प्रस्तुत विधेयक पर कुछ कहना है। जिस ढंग पर इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है उसी पर मुझे आपत्ति है क्योंकि भारतीय रेलवे (प्रथम संशोधन) विधेयक, जो राज्य परिषद् द्वारा पारित किया गया है, अभी तक उपस्थित नहीं किया गया है। इस पर भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ शीर्षक लिखा है। पहले द्वितीय संशोधन विधेयक रखा गया है और पता नहीं प्रथम संशोधन विधेयक कब रखा जायेगा। मुझे विश्वास है कि उपमंत्री इसका कारण बतायेंगे।

कहा गया है कि अधिक वज़न ले जाने की जानकारी जनरल मैनेजर और आप-रेटिंग सुपरिन्टेंडेंट के परिपत्रों द्वारा दी जायेगी यह अत्यन्त संदिग्ध स्थिति है। मुझे विश्वास है कि सदन वैगनों के पटरी से उतर जाने की घटनाओं से परिचित है। आज के समाचार पत्र में भी पटरी से उतर जाने की एक घटना का संवाद छपा है। जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। केवल एक महीना ही बीता होगा कि गोला-बारूद में आग लग जाने से गाड़ी पटरी से गिर पड़ी और तीस व्यक्ति दुर्घटना के शिकार बने।

मैं नहीं समझता कि डब्बों के पटरी से उतरने के कारण क्या उनमें अधिक वज़न होना नहीं है। यदि हम एक बार इस प्रथा को वैध रूप दे देते हैं तो यह बड़े जोखिम का कार्य है।

रेलवे बजट पर चर्चा के दौरान में यह स्वीकार किया गया कि सहस्रों वैगन पुराने एवं अप्रयुक्तनीय हो गये हैं। हम उनकी मरम्मत तथा निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन यह बात सर्वथा अधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी जाती है कि अमुक वैगन नया है अथवा पुराना। वास्तविक बात यह है कि जब व्याव-सायिक वर्ग से अधिक मांग आती है तो छूट दे दी जाती है। जिस भावना के साथ प्रस्तुत विधेयक रखा गया है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। उसके परोक्ष में यह विचार धारा है कि सामान के परिवहन में सुविधाएं मिल सकें। हमारे पुलों की अवस्था भी बड़ी खराब है। कई बार मालगाड़ियां गिर पड़ती हैं।

डब्बे, इंजनों आदि के निर्वहन से संबंधित कर्मचारियों की संख्या में कमी की जा रही है और अनेक विभागों में काम के घंटों में वृद्धि कर दी गई है। पहले काम के घंटे आठ थे, अब वह बढ़ा कर बारह कर दिये गये हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वैगनों और गाड़ियों का परीक्षण उचित रूप में नहीं हो पाता। मुझे अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में मालूम है लेकिन मैं उन्हें नहीं दोहराऊंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी को सब मालूम हैं।

श्रमिकों के सहयोग से वैगनों की स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि मरम्मत और निर्वहन किया जाये तो पर्याप्त समय की बचत हो सकती है। यदि मार्ग पर उचित ध्यान दिया जाये तो स्थिति में सुधार हो सकता है।

इन सब कारणों से मैं संशोधन को वर्तमान रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो तरमीम इंडियन रेलवे सेकेन्ड ऐमेन्डमेन्ट बिल के नाम से मंत्री जी लाये हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरे मित्र ने यह अपनी आवाज उठाई कि जब भी उनको जरूरत पड़े तो जितनी कैपेसिटी एक वैगन की है उसको बढ़ाने के लिये, उनको हक दे

दिया जाय उसका विरोध किया है । यदि मंत्री जी जो कि आपका सन् १९५३ का और जो रेलवे का कानून १८९० का है उसके साथ साथ यह चीज यदि उसमें और लगा दी जाती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है । लेकिन वेगन्स की जितनी कैपेसिटी होती है उससे लोड अभी भी बढ़ाया जाता है। मंत्री जी मुझे माफ करेंगे कि यदि किसी को चोरी से कोई चीज़ भेजनी होती है तो वह अब भी भेजी जाती है जबकि वेगन की केपेसिटी कम है इसका एक उदाहरण घुटकू स्टेशन का ईस्टर्न रेलवे का है जो कि इस समय मंत्री जी के सामने पेश है। सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस जगह पर यदि संशोधन कर दिया जायेगा तो जो लोग यह कार्रवाइयां करते हैं वह कम से कम कानूनी तौर पर करेंगे । कम से कम चोरी तो बन्द हो ही जायेगी । मेरी तो ऐसी ही राय है । इसलिये जो तरमीम है इस को मंजूर कर लेना चाहिये ।

दूसरे मेरे मित्र ने यह कहा कि अब आज कल जो एक्सप्लोसिव चीज़ें भेजी जाती है उसके कारण भी गड़बड़ी होती है, यह चीजें नहीं होनी चाहियें । लेकिन कोई जान कर तो इसको करता नहीं । कोई एक्सप्लोसिव चीज अगर है जिसको नहीं जाना चाहिये, यदि वह भेजी जाती है तो उस की सारी जिम्मेदारी भेजने वाले पर है । इसकी तहकीकात हो रही है । तहकीकात होने के बाद जो कुछ होगा उसके बाद वाजिब सजा जिम्मेदार आदमी को दी जायेगी । लेकिन इस तरह से एक लांछन लगाना कि इस तरह की चीज़ें होती हैं या एक्सिडेंट ज्यादा लोड के कारण होते हैं, इस को मानने के लिये मैं तैयार नहीं । ऐक्सिडेंट्स जो होते हैं फिश प्लेट्स रेल की पातें, सिगनल वगैरह के हटाने से होते हैं, या जो हमारे कुछ दोसत हैं, जो कि दूसरे रास्ते पर चलते हैं और दूसरों को चलाना चाहते हैं। अगर वह इसकी फिकर उधर बढ़ा दें तो भी हो सक हैं, इस तरह का लांछन मंत्री जी पर जो लगा रहे हैं। इन कारणों से यह सब चीजें हो सकती हैं । यह कहना कि ऐक्सिडेंट्स कैपेसिटी के बढ़ाने से होते हैं यह गलत है । इसलिये हम को इस बिल का स्वागत करना चाहिये और इसको पास करना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नल्लोर) : श्री नम्बियार ने आपत्ति उठाते हुए कहा है कि द्वितीय संशोधन विधेयक से पहले प्रथम संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । मैं समझता हूं कि उनकी यह आपत्ति सही नहीं; कारण इन दो विधेयकों का सम्बन्ध अलग अलग संशोधनों से है ।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में उद्देश्य तो स्पष्ट दिये गए हैं किन्तु कारण कुछ संतोषजनक नहीं। भार-धारिता को विनियमित करने की क्या आवश्यकता है——यद्यपि यह इतने दिनों से अनियमित है——यह बात स्पष्ट नहीं। वास्तव में इस तरह का विधेयक केवल सरकार को अथवा रेलवे विभाग को किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचाना चाहता है, परन्तु सरकार का यह अधिनियम कहां तक विधिवत् है, इस बात की जांच करनी होगी ।

रेलवे प्रशासन में बहुत भारी परिवर्तन आये हैं, ऐसी दशा में यह उचित होता कि सरकार संशोधन करने वाला एक व्यापक विधेयक सदन में पेश करती, क्योंकि रेलवे प्रशासन की सम्पूर्ण प्रणाली को नियमित करने के लिए इस अधिनियम की कई धाराओं का संशोधन करना होगा, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इस तरह का व्यापक विधेयक कब सदन में प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अलगेशन : जहां तक प्रथम संशोधन तथा द्वितीय संशोधन का सम्बन्ध है, यह सही है कि प्रथम संशोधन को पहले प्रस्तुत न

[श्री अलगेशन]

किया गया हो, आपको मालूम है कि सदन में काम की कितनी ज्यादती है, वास्तव में हमें यह विधेयक दूसरे सदन में प्रस्तुत करना था क्योंकि हमें वहां अच्छा मौका मिलता है, यदि कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति हमें दूसरा विधेयक भी प्रस्तुत करने का मौका देगी तो हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि वह विधेयक भी पास हो। जहां तक पहले दूसरे के झगड़े का सम्बन्ध है, आप इसी विधेयक को प्रथम विधेयक के नाम से पुकार सकते हैं।

माननीय सदस्य ने सुरक्षा के पहलू पर जो बल दिया है, उससे मैं सहमत हूं। मैंने भी अपने प्रारम्भिक भाषण में इस मामले पर चर्चा की। यह कार्यविधि वास्तव में, नई नहीं है। यह १९३२ से पहले भी चल रही थी जबकि एक टन अतिरिक्त कोयला उठाने की अनुमति दी गई थी। १९४३ से इस में सामान्य माल शामिल किया गया। विभाजन के बाद वैगनों की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये धारिता से दो मन अधिक भार उठाने की अनुमति दी गई, इस कार्यविधि को सदा के लिए जारी रखने का इरादा नहीं है, जब माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे, तो वह उतना ही माल उठायेंगे जितनी कि उनकी धारिता होगी। प्रयोग के रूप में इसे ज़रा बढ़ाया भी जा सकता है। इसको विनियमित करने के लिये तथा त्रुटियों का निवारण करने के लिए हमने यह अतिरिक्त भार उठाने की अनुमति दी है।

जहां तक दुर्घटनाओं का सम्बन्ध है यह बात सुविदित है कि प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है तथा इसके कारण दिये जाते हैं, इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है तथा यह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, दुर्घटनाओं का निवारण करने के लिए तथा जन धन की क्षति को रोकने के लिए हम उत्तम से उत्तम उपाय करेंगे, परन्तु हमारे ध्यान में यह बात नहीं आई है कि यह दुर्घटनायें अति भार के कारण हुआ करती हैं। वास्तव में बड़ी सावधानी से अतिरिक्त भार उठाने की अनुमति दी जाती है, कुछ सेक्शनों तथा ब्रांच लाइनों आदि पर इसकी अनुमति नहीं दी जाती है तथा यही कारण है कि हम माल डिब्बों के बाहर बढ़ी हुई धारिता नहीं लिखते हैं, सब तरह की सावधानी बर्ती जाती है तथा यह बेढब तरीके से नहीं किया जाता है। यह केवल कार्या विधि को विनियमित करने के लिये किया जा रहा है तथा मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि इस नियम का पालन करने में सावधानी बर्ती जायगी।

मैं एक मद लेता हूं तथा कुछ आंकड़े दे देता हूं। कोयला लादने के लिये प्रतिदिन ३६०० माल डिब्बों की आवश्यकता होगी, यह कुल अपेक्षाओं का एक तिहाई भाग है, यदि हम दो टन का अतिरिक्त भार न लादेंगे तो न मालूम हमें कितने और डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। यह सदन तथा मंत्रालय इस बात के लिये उत्सुक हैं कि अधिक डिब्बे प्राप्त किये जायेंगे। देशीय निर्माता केवल ७००० डिब्बे प्रतिवर्ष प्रदाय कर रहे हैं, हमने उन्हें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कहा है तथा यदि मुझे अच्छी तरह याद है तो वह अप्रैल १९५५ से १२००० डिब्बे प्रति वर्ष तैयार कर सकेंगे। यह हमारी आत्मनिर्भरता की नीति के अनुसार किया गया है। यह छूट उतने समय से एक दिन के लिए भी ज्यादा न रहेगी जितने समय के लिये कि इसकी आवश्यकता है।

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ तथा २, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ तथा २, नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : इस विधेयक को प्रथम संशोधन विधेयक माना जाना चाहिये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री नम्बियार : अतिरिक्त माल उठाने वालें डिब्बों को यदि कोई दुर्घटना पेश आयेगी तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर आ जायेगी ? मुझे आशंका है कि कहीं अधिकारी इस ज़िम्मेदारी से बच न जायें तथा यह बला पार्सल क्लर्क अथवा अन्य किसी बाबू के सिर पर न आ जाये, क्या मंत्री जी स्थिति को स्पष्ट करेंगे ।

श्री अलगेशन : मान लीजिये कि यह अंतिरिक्त भार न होगा तथा कोई दुर्घटना पेश आये, ऐसी दशा में भी हमें इस बात को निश्चित करना होगा कि ज़िम्मेदारी किस की है तथा यह उन व्यक्तियों पर आ जायेगी जो इसके लिये ज़िम्मेदार होंगे । मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पास करने से कोई नई समस्या उत्पन्न नहीं होगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सभा मंगलवार २७ अप्रैल १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—115 PSD—20-10-54—285